पंगलवा (नागालैण्ड) में सैनिक विद्यालय

रोखिया (त्रिपुरा) की सृजन ईकाई फेस-III

मशीनरी की निष्कृयता-दीमापुर (नागालैण्ड) स्थित 22.92 मे.वा. एच.एफ.ओ. आधारित थर्मल विद्युत संयंत्र

भवन की निष्कृयता- दीमापुर (नागालैण्ड) स्थित 22.92 मे.वा. एच.एफ.ओ. आधारित थर्मल विद्युत संयंत्र

कार्य प्रगति पर-जोवाई जल आपूर्ति योजना, मेघालय

लंगलई स्थित 200 बिस्तरों वाला अस्पताल, मिजोरम

सत्यमेव जयते

संसाधनों की गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल योजना

की निष्पादन लेखापरीक्षा

(उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

2010-11 की सं.5

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

संसाधनों की गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल योजना

की निष्पादन लेखापरीक्षा

(उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
2010-11 की सं.5
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
विशिष्टताओं तथा अनुशंसाओं का सारांश		v
अध्ययाय I: सं.गै.व्य.के.पू.- विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक व्यवस्थाएं	1.2	2
योजना दिशानिर्देश	1.3	3
बजट एवं व्यय	1.4	4
अध्याय II: लेखापरीक्षा अभिगम		
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1	5
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.2	5
लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं आवृतन	2.3	5
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	2.4	6
आभारोक्ति	2.5	6
अध्याय III: नियोजन एवं निष्पादन		
नियोजन	3.1	7
लोक लेखा में सं.गै.व्य.के.पू. आरक्षित निधि का सृजन	3.1.1	7
सं.गै.व्य.के.पू. की स्थापना से पहले अन्तर विश्लेषण	3.1.2	8
वार्षिक परियोजना रूपरेखा	3.1.3	8
परियोजना निष्पादन	3.2	9
पूर्ण/अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति	3.2.1	9
समीक्षा की गई परियोजनाओं के परियोजना कार्यान्वयन का क्षेत्रवार विश्लेषण	3.2.2	13
शिक्षा क्षेत्र	3.2.2.1	13
सड़कें एवं पुल	3.2.2.2	15

जल आपूर्ति क्षेत्र	3.2.2.3	19
बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई क्षेत्र	3.2.2.4	22
विद्युत क्षेत्र	3.2.2.5	23
स्वास्थ्य क्षेत्र	3.2.2.6	27
खेलकूद क्षेत्र	3.2.2.7	29
परियोजना के बारे में अप्रर्याप्त पारदर्शिता तथा प्रचार की सूचना	3.2.3	29
अध्याय IV: वित्तीय प्रबन्धन		
वित्तीय निष्पादन	4.1	31
निधियों के जारी करने तथा उपयोगिता में विलम्ब	4.2	32
सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत राज्यों का अंश	4.3	33
ऋण की गैर-वसूली	4.4	35
सं.गै.व्य.के.पू. निधियों का विपथन	4.5	35
मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के अग्राह्य घटकों पर निधियों का निर्गम	4.6	38
राज्यों द्वारा किया गया अग्राह्य व्यय	4.7	39
अध्याय V: मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन		
मॉनीटरिंग	5.1	41
मूल्यांकन	5.2	43
अध्याय VI: निष्कर्ष तथा अनुशंसाए		
निष्कर्ष	6.1	45
अनुशंसाए	6.2	46
अनुबंध		49
शब्दावली		91

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा संसाधनों का गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल (सं.गै.व्य.के.पू.) योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों पर यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा 2002-03 से 2007-08 की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जाँच तथा आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा के राज्य विभाग में लेखापरीक्षा के माध्यम से संचालित की गई।

विशिष्टताओं तथा अनुशंसाओं का सारांश

संसाधनों का गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल (सं.गै.व्य.के.पू.) की योजना केन्द्र सरकार द्वारा 1998-99 में, राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का प्रावधान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ की गई थी। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए संसाधन का यह केन्द्रीय पूल, राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तर-पूर्वी (उ.पू.) राज्यों पर खर्च करने के लिए उद्दिष्ट की गई सकल बजटीय सहायता की निर्धारित 10 प्रतिशत की अव्ययित राशि से वित्त पोषित की जानी थी।

सं.गै.व्य.के.पू. योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा 2002-03 से 2007-08 तक की अवधि को आवृत करते हुए की गई थी और उपरोक्त अवधि के दौरान अनुमोदित 527 परियोजनाओं में से 91 परियोजनाओं का एक नमूना लेखापरीक्षा में जाँच के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष, मंत्रालय को सितम्बर 2009 में सूचित किए गए थे और फरवरी 2010 में प्राप्त मंत्रालय के उत्तर का, इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय ध्यान रखा गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और अनुशंसाएं निम्नानुसार हैः

- 2003-04 से 2007-08 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान, सं.गै.व्य.के.पू. निधि के पास 6525 करोड़ रू. की कुल संभूति थी जिसके प्रति उ.पू. राज्यों को जारी की गई कुल राशि 3205 करोड़ रू. थी जो कि कुल संभूतियों का 49 प्रतिशत बनती थी। निधि के पास 2007-08 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 6963.79 करोड़ रू. का शेष था। प्रत्येक वर्ष निधि से अपेक्षाकृत छोटी राशि के निर्गम निधियों की उपलब्धता के बावजूद कार्यक्रम के खराब कार्यान्वयन को दर्शाते हैं।

  (पैराग्राफ 4.1)

- मंत्रीमण्डल के नवम्बर 1997 के निर्णय ने निर्धारित किया कि वित्त मंत्रालय सं.गै.व्य.के.पू. को भारतीय लोक लेखा में स्थापित करेगा। इस प्रकार की कोई आरक्षित निधि अभी तक लोक लेखे में स्थापित नहीं की गई है और मंत्रालय इस निधि का केवल प्रोफार्मा आधार पर अनुरक्षण कर रहा है। इस प्रकार, वतर्मान व्यवस्थाओं के अंतर्गत अनुरक्षित सं.गै.व्य.के.पू. निधि को गैर-व्यपगत निधि नहीं कहा जा सकता।

  (पैराग्राफ 3.1.1)

- सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत परियोजनाओं की पूर्णतः दर संतोषजनक के विपरीत थी। सितम्बर 2008 तक, 7070 करोड़ रू. की एक अनुमानित लागत के साथ 959 परियोजनाएं, सं.गै.व्य.के.पू. से संस्वीकृत की गई थी। इनमें से, 783 परियोजनाएं, अक्तूबर 2008 या इससे पहले तक पूर्णता के योग्य हो गई थी, तथापि, 1934 करोड़ रू. के व्यय को समाविष्ट करते हुए केवल 435 परियोजनाएं (56 प्रतिशत) पूर्ण हुई थी। यहाँ तक कि पूरी की गई परियोजनाओं का पांच वर्षों या अधिक तक का विशाल समय का फैलाव था।

  (पैराग्राफ 3.2.1 (क))

- 524 अपूर्ण परियोजनाओं थीं जिस में से 348 ने अक्तूबर 2008 तक के अनुमोदित कार्यक्रम को पीछे छोड़ दिया था। अधिक समय से चल रही अधिकांश अपूर्ण परियोजनाएं असम (143), मणीपुर (44), सिक्किम (40) और नागालैण्ड (38) में थी। 106 परियोजनाओं की पूर्णता, संबंधित राज्य सरकारों को 1108 करोड़ रू की समग्र अनुमोदित लागत को जारी करने के बावजूद लम्बित थी।

(पैराग्राफ 3.2.1(ख))

- परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में मुख्य अड़चनें कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को निधियों के जारी करने में विलम्ब, अनुपयुक्त नियोजन, अनुमानों के निरन्तर संशोधन, निविदा करने तथा कार्य के प्रदान करने में विलम्ब, ठेकेदारों द्वारा कार्य-निष्पादन की धीमी प्रगति, वन तथा अन्य अनुमतियों की प्राप्ति में विलम्ब, भूमि विवाद तथा कानून और व्यवस्था समस्याएं थीं।

(पैराग्राफ 3.2.1(ग))

- मंत्रालय ने सं.गै.व्य.के.पू. से 1837.46 करोड़ रू की राशि विपथित/अनियमित रूप से अर्थात् उत्तर-पूर्वी परिषद् का व्यय (1605.38 करोड़ रू), उन परियोजनाओं का वित्तपोषण करना जोकि प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गई थी परन्तु छोड़ दी गई/समाप्त कर दी गई और तदन्तर सं.गै.व्य.के.पू. से वित्तपोषित की गई (191.20 करोड़ रू) और उन घटकों, जिन पर दिशानिर्देशों में विचार नहीं किया गया था (40.88 करोड़ रू), पर खर्च की।

(पैराग्राफ 4.5.1, 4.5.2, 4.6 और 4.7)

- उ.पू. राज्यों को 2008-09 तक जारी किए गए 5883 करोड़ रू की कुल राशि के प्रति, 1164 करोड़ रू के उपयोगिता प्रमाणपत्र मार्च 2009 तक लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब जो कि चार वर्षों या अधिक के बीच था ने मंत्रालय द्वारा राज्यों को निधियों को और आगे जारी करने पर प्रतिकूलरूप से प्रभाव डाला।

(पैराग्राफ 4.2)

- वर्ष 2005-06 से, सं.गै.व्य.के.पू. के अन्तर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता, भारत सरकार से अनुदान 90 प्रतिशत था और शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा अंशदान किया जाना था। 2005-08 के दौरान, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में राज्य सरकारों ने, सं.गै.व्य.के.पू. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति अपने कुल अंश के 113.92 करोड़ रू (81.50 प्रतिशत) का अंशदान नहीं किया। मुख्य चूककर्ता राज्य मेघालय (100 प्रतिशत), मणीपुर (99.78 प्रतिशत), असम (93.51 प्रतिशत), त्रिपुरा (88.83 प्रतिशत) और नागालैण्ड (42.98 प्रतिशत) थे।

(पैराग्राफ 4.3)

- दिशानिर्देशों में निर्धारित मॉनीटरिंग उपायों अर्थात् तिमाही प्रगति रिपोर्ट (ति.प्र.रि.) का प्रस्तुतीकरण, राज्य के मुख्य सचिवों द्वारा तिमाही संवीक्षा बैठकें, परियोजना के आवधिक निरीक्षण, संघात अध्ययन आदि के प्रति, 68 परियोजनाओं की नमूना जॉच ने प्रकट किया कि तिमाही प्रगति रिपोर्टें अस्वाभाविक विलम्ब सहित प्रस्तुत की गई थीं। मुख्य सचिवों द्वारा तिमाही संवीक्षा बैठकें भी नियमितरूप ये आयोजित नहीं की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा किए गए परियोजनाओं के निरीक्षण अपर्याप्त थे।

(पैराग्राफ 5.1)

- सं.गै.व्य.के.पू. से संबंधित पर्याप्त पारदर्शिता और सूचना के प्रचार को स्थानीय मीडिया और प्रदर्शन बोर्डों के माध्यम से सुनश्चित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 3.2.3)

- उ.पू. राज्यों में भारी निवेश के बावजूद, सं.गै.व्य.के.पू. वित्तपोषण से स्थापित की गई परियोजनाओं के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 5.2.2)

अनुशंसाओं का सारांश

- मंत्रालय विलम्बित और अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारणों का विश्लेषण राज्य सरकारों के साथ समन्वय से करे जिससे कि अड़चनों को हटाया जा सके और परियोजनाओं के समय पर और दक्ष निष्पादन को सुनिश्चित किया जा सके।

- सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत वार्षिक संभूतियां, निधि से वार्षिक निर्गमों की तुलना में काफी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत भारी आधिक्य शेष का संग्रहण हुआ। मंत्रालय को राज्य सरकारों की सलाह से निधियों की उपयोगिता सुधारने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति विकसित करनी होगी।

- मंत्रालय को मूल न्यूनतम सेवाओं (मू.न्यू.से.) का अंतराल विश्लेषण करने के लिए राज्यों पर बल देना चाहिए और ऐसे विश्लेषण को, इस प्रकार की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में वरीयकरण सुसाध्य करने के लिए उनके प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

- मंत्रालय को ठोस मॉनीटरिंग तथा बाद की कार्यवाही द्वारा यह सुनिश्चित करने कि राज्य सरकारों और/अथवा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सं.गै.व्य.के.पू. का कोई विपथन अथवा अनियमित उपयोगिता नहीं है, वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- मंत्रालय/राज्य सरकारों को कार्य निष्पादन में परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर नियंत्रणों के साथ-साथ निरीक्षण और मॉनीटरिंग क्रियाविधि को सुदृढ़ करना चाहिए।

- सं.व्य.गै.के.पू. के अंतर्गत निष्पादित की गई परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की परियोजनाओं के संबंध में पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने के लिए, व्यापक प्रचार प्रदान किया जाए।

- प्रभावी/अध्ययन/सर्वेक्षण विशेषरूप से परिणामों की प्राप्ति के संदर्भ में किए जा सके।

अध्याय I: सं.गै.व्य.के.पू.- विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

अक्तूबर 1996 में, सरकार ने "उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.) हेतु नई पहल" के अंतर्गत घोषित किया कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट का कम से कम दस प्रतिशत उत्तर-पूर्वी (उ.पू.) राज्यों के विकास के लिए अलग से रखा जाएगा। आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के संबंध में संचित कार्यों की जाँच तथा अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषतौर पर उ.पू. राज्यों में विद्युत, दूरसंचार, रेलवे, सड़के, शिक्षा एवं कृषि, में अन्तराल का निर्धारण करने के लिए 1996 में एक उच्च स्तरीय आयोग (शुक्ला आयोग) संस्थापित किया गया था। आयोग ने आधारभूत न्यूनतम सेवाओं (आ.न्यू.से.) में संचित कार्य का आवृतन करने के लिए 9396 करोड़ रू. तथा अवसंरचना में अन्तराल को पूरा करने के लिए 93619 करोड़ रू. की आवश्यकता का अनुमान लगाया। योजना आयोग द्वारा किए गए प्रारम्भिक क्रियाविधि से प्रकट हुआ कि 1997-98 के दौरान कई केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा उत्तर-पूर्व पर व्यय, वर्ष के लिए सकल बजटीय सहायता (स.ब.स.) के निर्धारित दस प्रतिशत के कम रहा। इसके पश्चात्, इसने उ.पू.क्षे. में अवसंचना विकास परियोजनाओं की सहायता करने के लिए, एक केन्द्रीय उत्तर-पूर्वी राज्य संसाधन पूल के सृजन का प्रस्ताव किया, जिसे स.ब.स. के निर्धारित दस प्रतिशत की अव्ययित राशि में से वित्तपोषित किया जाना था। तदनुसार, सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयीकरण हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए शीर्षक "उ.पू.क्षे. के विकास हेतु केन्द्रीय संसाधन पूल" लोक लेखा में वर्ष 1998-99 के लिए संघ के बजट में एक संसाधनों का गैर-व्ययगत केन्द्रीय पूल (सं.गै.व्य.के.पू.) का सृजन करने का निश्चय किया।

योजना के व्यापक उद्देश्य थे :

- प्राथमिकता प्राप्त कर रहे भौतिक अवसंरचना क्षेत्रों में परियोजनाओं सहित, क्षेत्र में नई अवसंरचना परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ा कर उ.पू.क्षे. में अवसंरचना का तीव्र विकास सुनिश्चित करना, तथा

- केन्द्रीय पूल के अंतर्गत सहायता प्रदान करने हेतु उन पर विचार करके, सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण, विद्युत, सड़क एवं पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता जैसे भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना क्षेत्रों दोनों का विकास करना।

उ.पू.क्षे. में सभी विकास कार्यक्रमों के विनियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय नोडल अभिकरण, अगस्त 2001 तक योजना आयोग में निहित था। इसके पश्चात, सितम्बर 2001 से अप्रैल 2004 तक यह कार्य गृह मंत्रालय (गृ.मं.) को अंतरित कर दिया गया था। मई 2004 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (उ.पू.क्षे.वि.) के सृजन के पश्चात सं.गै.व्य.के.पू. योजना को इसके द्वारा वित्तपोषित एवं मॉनीटर किया गया था।

1.2 संगठनात्मक व्यवस्थाएं

'सं.गै.व्य.के.पू. समिति' सं.गै.व्य.के.पू. योजना का संचालन करती है तथा सचिव, उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। समिति के कार्य उ.पू. राज्यों के बीच सं.गै.व्य.के.पू. संसाधनों का बराबर संवितरण सुनिश्चित करना, उ.पू. राज्यों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं/योजनाओं का निर्धारण, ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं हेतु निधियों के आबंटन को प्राथमिकता देना एवं सिफारिश करना, केन्द्रीय पूल बजट शीर्ष से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पुनर्विनियोग हेतु राशि (यों) की सिफारिश करना है। समिति परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति को मॉनीटर एवं समीक्षा भी करती है, परियोजनाओं के निष्पादन में कार्यविधिक एवं अन्य अड़चनों से बचने के लिए नीति परिवर्तन का सुझाव देती है तथा सं.गै.व्य.के.पू. परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर उ.पू.क्षे.वि. के केन्द्रीय मंत्री को अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु आवधिक रूप से बैठक भी करती है।

योजना का कार्यान्वयन सं.गै.व्य.के.पू. के लिए अपने नोडल विभाग, जो कि राज्य के सभी अन्य विभागों सहित उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय का अंतरापृष्ठ है, के माध्यम से राज्य सरकारों में निहित है। राज्य अपने नोडल विभाग के माध्यम से परियोजनाओं का वार्षिक रूपरेखा प्रस्तावित करता है।

परियोजना निरूपन एवं मंत्रालय द्वारा स्वीकृति में मुख्य चरण हैः

31 दिसम्बर तक नोडल विभाग के माध्यम से राज्य द्वारा परियोजनाओं के शेल्फ/परियोजनाओं की वार्षिक रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण

↓

सं.गै.व्य.के.पू. समिति द्वारा परियोजना का प्रतिधारण

↓

नोडल विभाग के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रतिधारित परियोजनाओं की ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (ब्यौ.प.रि.) का प्रस्तुतीकरण

↓

विषय मामला मंत्रालयों द्वारा ब्यौ.प.रि. की तकनीकी-मितव्ययी जाँच

↓

सं.गै.व्य.के.पू. समिति द्वारा तकनीकी रूप से मूल्यांकित परियोजना की स्वीकृति

केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु परियोजनाएं तभी प्रस्तुत करेगी अगर उन्होंने उ.पू.क्षे. हेतु प्रदत्त निधियों (उनके बजट का न्यूनतम 10 प्रतिशत) को व्यय कर दिया है। तब भी, प्रथम दृष्टांत में, उन्हें उ.पू.क्षे. में परियोजना के लिए अपने बजटों को बढ़ाने हेतु अनुपूरक माँगों को प्रस्तुत करने हेतु सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

1.3 योजना दिशानिर्देश

1.3.1 सं.गै.व्य.के.पू. योजना 1998-99 से प्रचालन में थी तथा योजना आयोग ने जुलाई 2001 में दिशानिर्देशों को तैयार करना प्रारम्भ किया। दिशानिर्देश तत्कालीन उ.पू.क्षे.वि. विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2002 में अंतिम रूप से तैयार किए गए थे। यह पाया गया था कि उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय ने सभी स्तरों से प्रतिपुष्टियों तथा योजना के कार्यान्वयन के पिछले अनुभव से अर्जित अनुभव के आधार पर बाद में जुलाई 2004 में दिशानिर्देशों का संशोधन किया। कुछ परिवर्तन जो संशोधित दिशानिर्देशों में लाए गए थे, वह वार्षिक परिच्छेदिका में अन्तराल विश्लेषण को शामिल करना, राज्य से आश्वासन कि प्रस्तावित परियोजनाएं किसी अन्य वित्तपोषण क्रियाविधि द्वारा आरम्भ नहीं की गई थी। 2.00 करोड़ रू. से कम की परियोजनाओं को सामान्यतः वित्तपोषित नहीं किया जाना था तथा रोजगार सृजन एवं अवसंरचना योजनाओं पर बल दिया जाना था। संशोधित दिशानिर्देश में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण हेतु एक विस्तृत कार्यान्वयन ढाँचा तथा लाईन मंत्रालय द्वारा जाँच में विलम्ब के मामले में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृत करने के लिए क्षेत्रीय तकनीकी समिति की स्थापना का भी निर्धारण किया गया। किसी वित्तीय वर्ष में प्रतिधारण नहीं की गई, अत्यावश्यक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर यदि राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाए; तो परवर्ती वर्ष में विचार किया जा सकता था, प्रथम किश्त को परियोजना लागत के 35 प्रतिशत तक सीमित किया गया तथा प्रत्येक किश्त की उपयोगिता पहले से निर्धारित किए गए छः महीने के स्थान पर नौ महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाना था। अतः, ये संशोधित दिशानिर्देश, योजना के कार्यान्वयन में वर्षों से अर्जित अनुभव को दर्शाते थे। मंत्रालय द्वारा की गई अन्य पहल पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों/ छठे अनुसूचित क्षेत्रों/ स्वायत्त जिला परिषदों में परियोजनाओं को न्यूनतम 25 प्रतिशत निधियों का आबंटन करने के लिए, अगस्त 2008 में दिशानिर्देशों का संशोधन, इस कारण से करना था कि राज्य सरकार उ.पू. राज्यों में, पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान नहीं कर रहे थे। अगस्त 2009 में दिशानिर्देशों को और संशोधित किया गया जिससे कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्यों को निधियां जारी करने हेतु 30 दिनों के बजाय 15 दिनों के समय का प्रावधान किया।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.) में राज्य जैसे अरूणाचल प्रदेश, असम, मणीपुर, मेघालय, नागालैण्ड, मिज़ोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा विकास निर्माण कार्यों हेतु मुख्य रूप से केन्द्रीय वित्तपोषण पर निर्भर है। ये अपने विकास मामलों को अपनी केन्द्रीय मंत्रालयों एवं अन्य केन्द्रीय अभिकरणों के साथ-साथ संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं के माध्यम से पूरा करते है। क्षेत्र में अंर्तराज्य प्रकृति की परियोजनाएं, उत्तर-पूर्वी परिषद (उ.पू.प.), जो कि एक अलग अस्तित्व है, द्वारा वित्तपोषित हैं।

1.3.2 उ.पू.क्षे. में विभिन्न स्त्रोतों से वित्तपोषण की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका-1: दसवीं पंचवर्षीय योजना और 2007-08 के दौरान उ.पू.क्षे. में व्यय/निवेश

निधिकरण का स्त्रोत	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	कुल (प्रतिशत)
	करोड़ रू. में						
राज्य योजना	4282.20	4845.56	5660.82	6464.63	8193.51	9083.38	38530.10 (42.70)
केन्द्रीय मंत्रालय	5139.59	5237.31	6403.74	7325.39	9723.06	11048.07 (अनन्तिम)	44877.16 (49.73)
उ.पू.स.	441.45	497.54	498.72	460.15	597.81	583.61	3079.28 (3.41)
सं.गै.व्य.के.पू.	550.00	550.00	650.00	679.17	689.83	636.00	3755.00 (4.16)
जोड़	**10413.24**	**11130.41**	**13213.28**	**14929.34**	**19204.21**	**21351.06**	**90241.54**

यद्यपि उ.पू.क्षे. में निवेश प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, फिर भी सं.गै.व्य.के.पू. का वित्तपोषण कुल व्यय का लगभग 4.16 प्रतिशत ही बनता था।

1.4 बजट एवं व्यय

2002-08 के दौरान, सं.गै.व्य.के.पू. के अन्तर्गत बजट आबंटन और व्यय के ब्यौरे तालिका 2 में दिए गए हैं:

तालिका-2: व्यय आबंटन और व्यय के ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय[1]
2002-03	550.00	550.00	550.00
2003-04	550.00	550.00	550.00
2004-05	650.00	650.00	650.00
2005-06	585.00	679.17	679.17
2006-07	700.00	700.00	689.83
2007-08	600.00	636.00	636.00
जोड़	**3635.00**	**3765.17**	**3755.00**

उ.पू.क्षे. विकास मंत्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां किश्तों में संस्वीकृत करता है। पहली किश्त कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत से अधिक जब तक कोई विशेष परिस्थितियां न हों, नहीं होनी है । 2004-05 तक, योजना के अंतर्गत जारी निधियां, 90 प्रतिशत 'अनुदान' और 10 प्रतिशत 'कर्ज' थीं। 2005-06 से, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केवल 'अनुदान' वाला हिस्सा राज्य सरकारों को जारी किया गया था। शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाना था।

[1] स्त्रोतः विनियोग लेखे

अध्याय II: लेखापरीक्षा अभिगम

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन पुनरीक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने थे कि:

- प्रत्येक अवसंरचनात्मक क्षेत्र में आवश्यकता का महत्वपूर्ण निर्धारण किया गया और कि अलग परियोजनाएं उपयुक्त रूप से विनियोजित की गई थीं।
- परियोजना के अनुमोदन के लिए विद्यमान क्रियाविधि का सख्ती से पालन किया गया था तथा अनुमोदन के पहले तथा निधियों के जारी करने के बाद प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त जांच की गई।
- परियोजनाएं दक्षतापूर्वक निष्पादित की गई थी तथा उनके अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त किए गये।;
- परियोजनाओं की उचित और प्रभावी मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए क्रियाविधि थी।

2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्कर्ष निम्नलिखित मानदण्डों के प्रति निर्देश चिन्हित किए गए थे:

- सं.गै.व्य.के.पू. के संचालन के लिए भारत सरकार (भा.स.) के दिशानिर्देश
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- निधियों को जारी करने के लिए शर्तें और मानदण्ड

2.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं आवृतन

निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2008 से नवम्बर 2008 के दौरान की गई थी और इसमें 2002-03 से 2007-08 की अवधि को आवृत किया गया। सं.गै.व्य.के.पू. (1998) के प्रारम्भ से तथा सितम्बर 2008 तक, 959 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी, जबकि 2002-03 से 2007-08 की अवधि के दौरान, 527 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। ये परियोजनाएं सड़कें तथा पुल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाढ़-नियंत्रण तथा सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता, कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों से संबंधित थी जो कि क्षेत्र में मूल अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुधार के लिए प्रत्यक्षरूप के लिए संबंधित हैं।

2002-03 से 2007-08 के दौरान सं.गै.व्य.के.पू. योजना के अन्तर्गत अनुमोदित 527 परियोजनाओं में से, 91 (17.3 प्रतिशत) परियोजनाओं **(अनुबंध-I)** को लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। लेखापरीक्षा मंत्रालय, आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में अभिलेखों और फाइलों की जांच के माध्यम से तथा फील्ड निरीक्षणों के माध्यम से भी की गई थी।

तालिका-3: सं.गै.व्य.के.पू. परियोजनाएं

(करोड़ रू. में)

अवधि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं में समाविष्ट व्यय	पूर्ण परियोजनाएं (प्रतिशत में)
1998-99 से 2007-08*	959	7070.38	435 (अक्तूबर 2008 तक)	1934.49	45.36
2002-03 से 2007-08*	959 में से 527	4307.91	174 (अक्तूबर 2008 तक)	1009.14	33.02
लेखापरीक्षा जांच के लिए चयनित परियोजनाएं					
2002-03 से 2007-08	527 में से 91	1399.89	36 (नवम्बर 2009 तक)	380.46	39.56

* अक्तूबर 2008 तक परियोजनाओं की स्थिति

2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ, अप्रैल 2008 में एक प्रवेश सम्मेलन के साथ आरम्भ की गई, जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, कार्य-क्षेत्र, लक्ष्यों तथा मानदण्डों को मंत्रालय को स्पष्ट किया गया था। मंत्रालय, राज्य सरकार और सभी उ.पू. राज्यों जैसे अरूणाचल प्रदेश, असम, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा में कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों में अभिलेखों की जांच की गई थी। सं.गै.व्य.के.पू. पर ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित किए गए निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 13 जनवरी 2010 को उ.पू.क्षे.वि.मं. के साथ एक निर्गम सम्मेलन किया गया था।

2.5 आभारोक्ति

हम, हमारी लेखापरीक्षा को सुसाध्य करने में उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा राज्य केन्द्रक विभागों के सहयोग के लिए सच्चा आभार करते हैं।

अध्याय III: नियोजन एवं निष्पादन

3.1 नियोजन

3.1.1 लोक लेखा में सं.गै.व्य.के.पू. आरक्षित निधि का सृजन

नवम्बर 1997 में मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को लोक लेखे में "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल" शीर्षक एक निधि का सृजन करना अपेक्षित था। तथापि, ऐसी कोई आरक्षित निधि लोक लेखे में सृजित नहीं की गई थी और सं.गै.व्य.के.पू. का वित्तपोषण वार्षिक बजट प्रक्रिया के माध्यम से सम्पन्न किया जा रहा था। प्रारम्भ से पूल में संभूतियों के विवरण तालिका 4 में दिए गए हैं:

तालिका - 4: 1998-99 से पूल को संभूतियों के विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	वर्ष	अथशेष	संभूतियों की राशि	वर्ष के दौरान निर्गम	अन्त शेष
1	1998-99 से 2001-02	उपलब्ध नहीं	**5806.07**	1605.38 (एन ई सी) 1346.72 (सं.गै.व्य.के.पू.) 2952.10	2853.97
2	2002-03	2853.97	**1339.70**	550.00	3643.67
3	2003-04	3643.67	**657.24**	550.00	3750.91
4	2004-05	3750.91	**663.35**	650.00	3764.26
5	2005-06	3764.26	**1960.12**	679.17	5045.21
6	2006-07	5045.21	**1311.08**	689.83	5666.46
7	2007-08	5666.46	**1933.33***	636.00	6963.79

*आंकड़ा अनन्तिम है और अभी व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया जाना है।

उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि 'गैर-व्यपगत पूल सैद्धान्तिक प्रारूप में विद्यमान हैं और लोक लेखे में व्ययगत पूल का सृजन, वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं की प्रकृति तथा प्रमात्रा का निर्णय करने के लिए लाभदायक होगा। योजना के लिए बजटीय सहायता प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालय को आवश्यकता के अनुसार पूल से प्रत्यक्षरूप से निधियां आहरित करना अनुमत होना चाहिए।' मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने विभिन्न फोरा पर लोक लेखे में गैर-व्ययगत पूल के सृजन करने के लिए मामला उठाया था। तथापि, यह सं.गै.व्य.के.पू. को वित्तपोषित करने पर एक निश्चित मत लेने से पहले, समग्र क्रियाकलाप तथा इस स्तर पर सं.गै.व्य.के.पू. द्वारा निभाई गई भूमिका का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त होगा। इस प्रकार, मंत्रीमण्डल के निर्णय के 11 वर्षों के पश्चात भी भारत के लोक लेखे में सं.गै.व्य.के.पू. निधि खोलने के मुद्दे का निराकरण नहीं किया जा सका था।

सरकार को प्राथमिकता पर इस मामले की व्यापक रूप से जाँच करनी चाहिए तथा या तो 1997 के मंत्रीमण्डल के निर्णय के अनुसार भारत के लोक लेखे में सं.गै.व्य.के.पू. के लिए एक निधि खोलना या केवल प्रोफार्मा आधार पर सं.गै.व्य.के.पू. के अनुरक्षण के लिए कार्यक्रम दिशानिर्देशों का उपयुक्त रूप से संशोधन करना चाहिए।

3.1.2 सं.गै.व्य.के.पू. की स्थापना से पहले अन्तराल विश्लेषण

मूल न्यूनतम सेवा (मू.न्यू.से.) तथा अवसंरचनात्मक विकास के लिए सभी उ.पू. राज्यों के लिए क्षेत्र एवं राज्यवार अन्तर विश्लेषण मार्च 1997 में प्रस्तुत शुक्ला आयोग रिपोर्ट में किया गया था। ये अन्तराल, सभी स्रोतों जैसे केन्द्रीय क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं, राज्य योजनागत योजनाएं, उत्तर-पूर्वी समिति इत्यादि से वित्तपोषित करके भरे जाने थे। रिपोर्ट ने विशेषतः मू.न्यू.से. में क्षेत्रवार अन्तरालों और अवसंरचना विकास के लिए वित्तपोषण के स्रोत की पहचान नहीं की थी। अवसंचना विकास के संबंध में, विभिन्न अवसंरचना विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों के निदेशात्मक आवश्यकता का केवल एक व्यापक विहंगावलोकन नवम्बर 1997 में किया गया था। उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय ने अपने वित्तपोषण के माध्यम से अन्तरालों को भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए किसी क्रियाविधि का उपाय नहीं किया था।

3.1.3 वार्षिक परियोजना रूपरेखा

योजना दिशानिर्देश के अनुसार, "परियोजनाओं की वार्षिक रूपरेखा"[2] प्रत्येक राज्य द्वारा पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर से पहले, सभी मुख्य क्षेत्रों के 'अन्तराल विश्लेषण' (2004 के संशोधित दिशानिर्देशों में सम्मिलित) और इन अन्तरालों को भरने के लिए सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए औचित्य समाहित करते हुए, विस्तृत प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जानी थी। इसे वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के भीतर समग्र विनियोजन प्रक्रिया के साथ सांमजस्य किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों की 24 वार्षिक प्राथमिकता सूचियों का तीन वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2007-08 के लिए समीक्षा संचालित की तथा पाया कि परियोजनाओं के 19 वार्षिक रूपरेखाओं में, संबंधित राज्यों द्वारा अन्तराल विश्लेषण नहीं किया गया था। परियोजना रूपरेखाओं में क्षेत्र में विद्यमान सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण, विशिष्ट परियोजना के लिए लागत लाभ विश्लेषण सहित सम्पूर्ण औचित्य समाविष्ट नहीं था। मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में विचार किए गए अन्तराल विश्लेषणों के संदर्भ में प्राथमिकता दिए बगैर सं.गै.व्य.के.पू. परियोजनाओं का अनुमोदन किया। विद्यमान अन्तरालों का मॉनीटर करने और वे अन्तराल जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भरे गए का कोई अभिलेख/डाटा नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि राज्य सरकारों को, अवसंरचना में अन्तरालों का विश्लेषण करने के बाद अवसंरचना परियोजनाओं की प्राथमिकता दी गई सूचियों को वार्षिक रूप से प्रस्तुत करना था। इसने सितम्बर 2009 में जिला अवसंरचना सूची (जि.अ.सू.) जारी की थी जो अन्तः क्षेत्रीय विभिन्नताओं को कम करने के लिए उ.पू.क्षे. के भीतर योजनाओं तथा परियोजनाओं को बेहतर लक्षित करने में सहायता करेगा। चूंकि मंत्रालय द्वारा योजना हेतु निधियों को जारी कर दिया गया है, इसलिए मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जान चाहिए कि इसने राज्यों को

[2] परियोजनाओं की वार्षिक रूपरेखा, सभी मुख्य क्षेत्रों के 'अन्तर विश्लेषण' और इन अन्तरालों को भरने में परियोजनाओं की सूची का औचित्य समाविष्ट करके एक विस्तृत प्रस्ताव होना चाहिए। इसे वार्षिक योजनाओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं को आवृत करते हुए, राज्य के भीतर समग्र विनियोजन प्रक्रिया के साथ सांमजस्य करना चाहिए। राज्य को यह भी सूचित करना चाहिए कि परियोजना प्रस्तावित नहीं की गई है अथवा अन्य निधिकरण प्रक्रिया से प्रारम्भ की गई है। सूची में अनुरूप वित्तीय परिव्यय, लाभभोगियों आदि की पहचान पर अवधारणा कागजात के रूप में विवरण शामिल किया जाना चाहिए।

निधियाँ जारी करने के निर्णय से पहले योजना की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है।

3.2 परियोजना निष्पादन

3.2.1 पूर्ण/अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(क) पूर्ण परियोजनाओं का विश्लेषण

सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत वित्तपोषित पूर्ण परियोजनाओं की स्थिति तालिका 5 में दर्शाई गई है।

तालिका-5: पूर्ण परियोजनाएं

राज्य का नाम	1998 से सितम्बर 2008 तक स्वीकृत परियोजनाएं	अक्तूबर 2008 तक पूर्ण की जानी वाली परियोजनाएं	अक्तूबर 2008 तक पूर्ण परियोजनाएं	पूर्ण परियोजनाओं की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
अरूणाचल प्रदेश	101	66	36	54.55
असम	295	243	100	41.15
मणीपुर	92	64	20	31.25
मेघालय	58	32	16	50.00
मिजोरम	79	67	48	71.64
नागालैंड	94	87	49	56.32
सिक्किम	187	181	141	77.90
त्रिपुरा	53	43	25	58.14
कुल	959	783	435	55.56

पूर्ण परियोजनाओं के हमारे विशलेषण ने दर्शाया कि:

- 30 सितम्बर 2008 तक, 959 परियोजनाएं, 7070.38 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर सं.गै.व्य.के.पू. से स्वीकृत की गई थीं। इनमें से 783 परियोजनाएं अक्तूबर 2008 तक पूर्ण की जानी चाहिए थी। तथापि, 1934.49 करोड़ रू. के व्यय समाहित करते हुए केवल 435 परियोजनाएं (56 प्रतिशत) पूर्ण हुई थीं।

- असम तथा मणीपुर का निष्पादन संतुष्टि से कहीं दूर था क्योंकि ये राज्य परियोजनाओं को आधा भी पूरा नहीं कर सके थे जो अक्तूबर 2008 तक पूरी की जानी थी। सिक्किम तथा मिजोरम राज्यों ने क्रमशः 78 प्रतिशत तथा 72 प्रतिशत के समग्र पूर्ण स्तर को प्राप्त करने में अपेक्षाकृत बेहतर निष्पादन किया।

चार्ट I- सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत अपूर्ण तथा पूर्ण परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

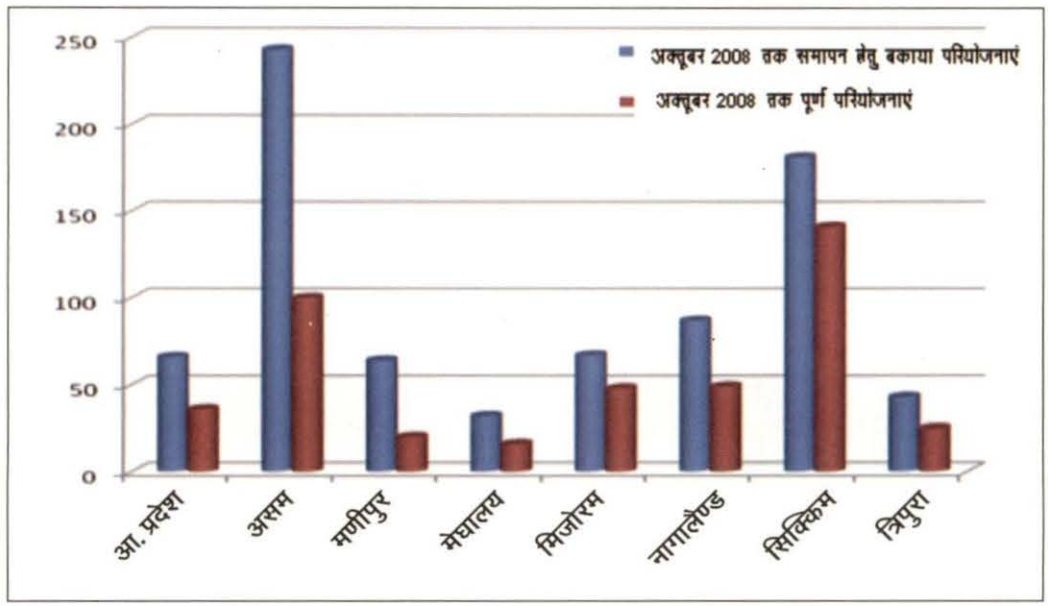

- अक्तूबर 2008 तक पूर्ण 435 परियोजनाओं में से केवल 210 परियोजनाएं (48.27 प्रतिशत) निर्धारित समय के अनुसार पूरी हुई थी तथा शेष 225 परियोजनाएं 1 माह से 69 माह के समय से अधिक विलम्बित हुई थीं जिनका ब्यौरा नीचे तालिका 6 में दिया गया है:

तालिका - 6: समय से अधिक के साथ पूर्ण हुई परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	अक्तूबर 2008 तक पूर्ण परियोजनाएं	समय से पूर्ण परियोजनाएं	समय से अधिक के साथ पूर्ण परियोजनाएं	विलम्ब (माह में)
अरूणाचल प्रदेश	36	5	31	7-50
असम	100	23	77	1-39
मणीपुर	20	7	13	2-69
मेघालय	16	3	13	1-38
मिजोरम	48	29	19	1-57
नागालैण्ड	49	45	4	3-18
सिक्किम	141	95	46	5-26
त्रिपुरा	25	3	22	1-60
योग	435	210	225	

(ख) पूर्ण परियोजनाओं का विश्लेषण

अधूरी परियोजनाओं की स्थिति तालिका 7 में दी गई है

तालिका-7: अपूर्ण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	1998 से सितम्बर 2008 तक संस्वीकृत परियोजनाएं	अक्तूबर 2008 तक अपूर्ण परियोजनाएं	अक्तूबर 2008 तक पूर्ण होने हेतु शेष परियोजनाएं	अधिक समय के साथ अपूर्ण परियोजनाएं	अपूर्ण परियोजनाओं की प्रतिशतता	छोड़ दी गई/ बन्द कर दी गई
अरूणाचल प्रदेश	101	65	66	30	45.45	0
असम	295	185	243	143	58.85	10
मणीपुर	92	72	64	44	68.75	0
मेघालय	58	42	32	16	50.00	0
मिजोरम	79	31	67	19	28.36	0
नागालैंड	94	44	87	38	43.68	1
सिक्किम	187	29	181	40	22.10	17
त्रिपुरा	53	28	43	18	41.86	0
कुल	959	496	783	348	44.44	28

- **524**[3] अपूर्ण परियोजनाओं, जिनमें 28 छोड़ दी गई परियोजनाएं शामिल थी, में से 348 परियोजनाएं (783 परियोजनाओं का 44.44 प्रतिशत) अक्तूबर 2008 या पहले पूर्ण होने हेतु शेष थीं। योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में परियोजनाओं के पूर्ण होने में गम्भीर विसर्पण थे। वास्तव में, **106 अपूर्ण** परियोजनाओं (20 प्रतिशत) से संबंधित राज्य सरकारों को **1107.99 करोड़ रू.** की समग्र स्वीकृत लागत को जारी कर दिया गया था। कुछ आवश्यक परियोजनाएँ जिन्हें मंत्रालय द्वारा निधियों के पूर्ण निमुर्क्ति के पश्चात अभी भी पूरा किया जाना था, वह 132 के.वी. जीरो-डपरोजी- अलोंग ट्रांसमिशन लाईन, अरूणाचल प्रदेश (52.81 करोड़ रू) चंपामत्ती सिंचाई परियोजना, असम (39.47 करोड़ रू) जनजातीय ग्रामों का विद्युतीकरण, मणीपुर (11.28 करोड़ रू) प्राथमिक विद्यालय भवन, मेघालय (14.40 करोड़ रू), नागालैण्ड में टैंग जंक्शन से चैनमोहो सड़क (15.13 करोड रू), सिक्किम में ग्लैशिंग जल आपूर्ति योजना का संवर्धन (7.08 करोड़ रू) तथा त्रिपुरा में जनजातीय विकास परियोजना (28.04 करोड़ रू) थीं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब आठ महीनों से अधिक था।

- राज्यों/मंत्रालय द्वारा **28 परियोजनाएं** बंद/समाप्त कर दी गई थी। इन परियोजनाओं के बंद होने के लिए आरोपित कारण अन्य केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत इन पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परियोजना का वापस लेना, कम स्वीकृत लागत के कारण परियोजना शुरू करने में कार्यकारी अभिकरण की अनिच्छा थे तथा कुछ मामलों में बंद करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

[3] कुल परियोजनाएं (959)- पूर्ण परियोजनाएं (435)=अपूर्ण परियोजनाएं 525 (496+ 28)

(ग) नमूना जाँच की गई परियोजनाओं की स्थितिः

लेखापरीक्षा ने 1399.89 करोड़ रू. की स्वीकृत लागत की 91 परियोजनाओं की समीक्षा की। नवम्बर 2009 तक 380.46 करोड़ रू. के व्यय की केवल 36 परियोजनाएं पूर्ण हुई थी। 36 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाएं 4 माह से 47 माह के समय से ऊपर के साथ पूर्ण हुई थी। अपूर्ण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा तथा परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारणों की तालिका 8 में चर्चा की गई है।

तालिका-8: पुनरीक्षित परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति

राज्य	पुनरीक्षित परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाएं	अपूर्ण परियोजनाएं	परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण
अरूणाचल प्रदेश	10	02	08	➢ राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने में विलम्ब का परिणाम मंत्रालय द्वारा निधियां जारी करने में विलम्ब में हुआ जिसमें से आगे परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। ➢ राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी करने मे विलम्ब। ➢ निविदा प्रक्रिया, सांविधिक अनुमति प्राप्त करने, कानूनी परेशानियों आदि में अधिक समय लिया गया।
असम	25	08	17 [एक मामले में समापन प्रमाण-पत्र (स.प्र.) प्रतीक्षित था]	➢ 2005-06 से 2007-08 के दौरान 10 प्रतिशत के देय भाग के प्रति राज्य के भाग का कम जारी करना। ➢ राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी करने में विलम्ब/ गैर-जारी करना। ➢ सामग्री की समय से तथा वन स्वीकृति की गैर-प्राप्ति ➢ राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या के कारण विलम्ब।
मणीपुर	10	04	06	➢ राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य के भाग का कम जारी करना तथा केन्द्रीय निधियो को जारी करने में विलम्ब। ➢ कानूनी व्यवस्था के कारण निधियों के समय से उपयोग में विलम्ब।
मेघालय	10	03	07	➢ राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण को निधि के अंतरण में विलम्ब।
मिज़ोरम	09	06	03	➢ निधियों का विचलन। ➢ स्थल को अंतिम रूप देने से सम्बंधित अनुपयुक्त नियोजन तथा अनुमानों का बार बार संशोधन। ➢ कार्यान्वयन अभिकरण/ठेकेदार द्वारा निष्पादन की धीमी प्रगति। ➢ विभाग द्वारा अनुपयुक्त योजना। ➢ राज्य के भाग का कम जारी करना।
नागालैण्ड	10	02	08 (एक परियोजना को छोड़ दिया गया, एक मामले में स.प्र. प्रतीक्षित था)	➢ राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण को निधियां अंतरित करने मे विलम्ब। ➢ राज्य के भाग का कम जारी करना।
सिक्किम	08	06	02	➢ ठेकेदार द्वारा विलम्ब। ➢ कार्य आदेश जारी करने में विलम्ब। ➢ उच्च निविदा दरों के कारण निधियों का अवरोधन।
त्रिपुरा	09	05	04	➢ राज्य के भाग का जारी न करना। ➢ राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण को निधियां अंतरित करने में विलम्ब।
कुल	91	36	55	

3.2.2 पुनःरीक्षित की गई परियोजनाओं के परियोजना कार्यान्वयन का क्षेत्रवार विश्लेषण

3.2.2.1 शिक्षा क्षेत्र

शिक्षा क्षेत्र में सं.गै.व्य.के.पू. के अन्तर्गत मुख्य परियोजना सर्वशिक्षा अभियान (स.शि.अ.) है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय योजना है। दसवीं योजना के दौरान स.शि.अ. के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति में केन्द्र द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य द्वारा 25 प्रतिशत वहन किया जाना था। चूंकि उत्तरपूर्वी राज्य विशेष श्रेणी राज्यों के अन्तर्गत आते हैं इसलिए उन्हें राज्य हिस्से का केवल 10 प्रतिशत वहन किया जाना अपेक्षित था तथा शेष 15 प्रतिशत उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाना था। मंत्रालय ने संस्वीकृति आदेशों को जारी करते समय यह स्पष्ट किया कि संबंधित अनुदान सं.शि.अ. हेतु विशेष प्रदान अर्थात राज्य के 15 प्रतिशत भाग को पूरा करने के लिए के रूप में दिया जा रहा था। 2005-06 और 2006-07 के दौरान, उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय ने सं.गै.व्य.के.पू. से 170.78 करोड़ रू. की राशि के 25 प्रतिशत के राज्य के भाग में से 15 प्रतिशत की संपूर्ति की। यह पाया गया कि दो राज्यों, अरूणाचल प्रदेश (14.29 करोड़ रू.) तथा असम (102.93 करोड़ रू.) में 2006-07 में 117.22 करोड़ रू. की राशि जारी की गई थी जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र जनवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आरम्भ की गई अन्य परियोजनाएं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में अवसंरचना के विकास/उन्नयन तथा सुविधाओं के लिए थी। इन परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्न स्थिति को प्रकट किया:

तालिका-9: शिक्षा परियोजनाओं का सारांश (स.शि.अ. के अलावा)

राज्य	पुनःरीक्षित की गई परियोजना का नाम	नवम्बर 2009 तक की स्थिति[4]	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
अरूणांचल प्रदेश	ज.ला.ने. महाविद्यालय, पासीघाट में 200 सीटों वाले महिला छात्रावास का निर्माण परियोजना वर्ष: 2005-06 स्वीकृत लागत- 5.15 करोड़ रू. कुल निर्गम[5] - 4.50 करोड़ रू. कार्य पूर्ण करने की तिथि - 31.10.07 कार्यान्वयन अभिकरण: लो.नि.वि., पासीघाट लो.नि.विभाग	अपूर्ण	i) 61.36 प्रतिशत भौतिक प्रगति[6] (नवम्बर 2009 तक) ii) देय तिथि से 25 माह तक कार्य समापन में विलम्ब (नवम्बर 2009 तक)।
असम	गुवाहाटी में असम वस्त्र संस्थान का अवसंरचनात्मक विकास परियोजना वर्ष-2005-06 स्वीकृत लागत-7.41 करोड़ रू. कुल निर्गम -2.34 करोड़ रू. कार्य पूर्ण करने की तिथि - 30.09.09	अपूर्ण	i) भौतिक प्रगति 0 प्रतिशत (नवम्बर 2009 तक) ii) सितम्बर 2006 में 2.34 करोड़ रू. जारी करने के बावजूद परियोजना को आरम्भ नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पास निधियां निष्क्रिय पड़ी रहीं।

[4] मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं को राज्य सरकारों से समापन प्रमाणपत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही पूर्ण माना गया है।

[5] सभी मामलों में कुल निर्गम, मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को दी गई राशि है।

[6] भौतिक प्रगति जैसे कि राज्यों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से नवम्बर 2009 तक सूचित की गई।

राज्य	पुनःरीक्षित की गई परियोजना का नाम	नवम्बर 2009 तक की स्थिति[1]	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
	कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि., (आर) असम		iii) कार्य को आरम्भ न करने का कारण अनुबंध को अंतिम रूप न दिया जाना है।
मणीपुर	मणीपुर विश्वविद्यालय फेस-II का अवसंरचनात्मक विकास परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 3.88 करोड़ रू. कुल निर्गमः 3.17 करोड़ रू. समापन की अंतिम तिथिः 31.10.06 कार्यान्वयन अभिकरणः मणीपुर विश्वविद्यालयः एम.यू.अभियांत्रिकी सेल	अपूर्ण	i) भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत (नवम्बर 2009 तक) ii) परियोजना समाप्ति पहले ही अंतिम तिथि से 37 माह तक विलम्बित (नवम्बर 2009 तक)।
मेघालय	थॉमस जोन्स साइनॉड महाविद्यालय जोबाई की भवन अवसंरचना की परिसर विकास परियोजना परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागत 3.37 करोड़ रू. कुल निर्गमः 2.06 करोड़ रू. समापन की अंतिम तिथिः 2.04.09 कार्यान्वयन अभिकरणः महाविद्यालय का शासी निकाय तथा उच्च शिक्षा निदेशक	अपूर्ण	i) भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत (नवम्बर 2009 तक) ii) परियोजना समाप्ति पहले ही अंतिम तिथि से 7 माह तक विलम्बित (नवम्बर 2009 तक)। iii) ठेकेदार से 4.60 लाख रू. की राशि में प्रतिभूति जमा की कटौती न करना।
	टिकरीकिला विद्यालय परिसर का निर्माण, पश्चिमी गारो हिल्स जिला परियोजना वर्षः 2006-07 स्वीकृत लागत 5.43 करोड़ रू. कुल निर्गमः 1.71 करोड़ रू. समापन की अंतिम तिथिः 31.12.09 कार्यान्वयन अभिकरणः शिक्षा विभाग	अपूर्ण	प्रत्यक्ष प्रगति की स्थिति राज्य से मंत्रालय द्वारा अभी प्राप्त की जानी है।
मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय का अवसंरचनात्मक विकास (अतिरिक्त) परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 23.26 करोड़ रू. कुल निर्गमः 21.39 करोड़ रू. समापन की अंतिम तिथिः30.06.07 कार्यान्वयन अभिकरणः के.लो.नि.वि.	अपूर्ण	i) भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत किन्तु राज्य/केन्द्रक विभाग से अभी तक (नवम्बर 2009 तक) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है। ii) परियोजना समाप्ति पहले ही अंतिम तिथि से कार्य पूर्ण करने में दो वर्ष से अधिक से विलम्बित जिसका परिणाम 2.68 करोड़ रू. तक की राशि तक लागत के बढ़ जाने में हुआ। iii) कार्य पूर्ण करने में विलम्ब का कारण राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण को निधियों का कम जारी करना था।
नागालैण्ड	पुंगलटा, कोहिमा स्थित सैनिक विद्यालय परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः14.07 करोड़ रू. कुल निर्गमः12.58 करोड़ रू. समापन की अंतिम तिथिः19.03.06	अपूर्ण	i) भौतिक प्रगति 67 प्रतिशत (नवम्बर 2009 तक) ii) कार्य पूर्ण करने में विलम्ब अंतिम तिथि से तीन वर्ष एवं आठ महिने तक (नवम्बर 2009 तक)।

राज्य	पुनःरीक्षित की गई परियोजना का नाम	नवम्बर 2009 तक की स्थिति[4]	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
	कार्यान्वयन अभिकरणः राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (भारत सरकार का उपक्रम)		
सिक्किम	विभिन्न विद्यालयों के लिए विद्यालय भवनों तथा वर्षा जल संरक्षण हेतु निर्माण परियोजना वर्षः 2006-07 स्वीकृत लागत11.47 करोड़ रू. कुल निर्गमः10.04 करोड़ रू. समापन की अंतिम तिथिः7.12.08 कार्यान्वयन अभिकरणः मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार	अपूर्ण	i) भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत (नवम्बर 2009 तक) ii) अंतिम तिथि से 11 महीने तक का कार्य पूर्ण करने में विलम्ब (नवम्बर 2009 तक) iii) ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

इनमें से अधिकांश परियोजनाएं विलम्बित थीं तथा कार्य निष्पादन में भौतिक प्रगति बहुत ही धीमी थी। राज्य सरकार द्वारा निष्पादन करने वाले अभिकरणों को निधियाँ जारी करने में अत्याधिक विलम्ब थे। उदाहणार्थ, निधियां जारी करना परियोजना 'मणीपुर विश्वविद्यालय का अवसंरचना विकास', मिजोरम में 347 दिनों का विलम्ब, परियोजना 'मणीपुर विश्वविद्यालय का अवसंरचना विकास' में 335 दिनों का विलम्ब तथा अरूणाचल प्रदेश में पासीघाट पर परियोजना '200 सीटों वाले महिला छात्रावास, सभाभवन आदि का निर्माण' में 278 दिनों का विलम्ब था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि राज्य स्तर पर कार्यान्वयन करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई अनियमितताओं को उठाया जा रहा था।

3.2.2.2 सड़कें एवं पुल

2002-03 से 2007-08 के दौरान, सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत उ.पू. क्षेत्र में 126 सड़क परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। 79 परियोजनाओं (1213.94 कि.मी.) को अक्तूबर 2008 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था। तथापि, 588.62 कि.मी. का आवृतन करती हुई केवल 34 परियोजनाओं को अक्तूबर 2008 तक पूरा किया गया था सूचित किया था।

2002-03 से 2007-08 की अवधि के दौरान सड़कों (126), पुलों(95), पोर्टर ट्रैक(3) आदि के निर्माण की कुल 224 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा ने 32 परियोजनाओं अर्थात 14 पुलों, 17 सड़कों (414.03 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण एवं सुधार) तथा पोर्टर ट्रेक (95 कि.मी. लम्बा) का अध्ययन किया। केवल 11 परियोजनाएं अर्थात चार पुलों, छः सड़क परियोजनाओं (68.77 कि.मी.) तथा एक पोर्टर ट्रेक (95 कि.मी.) का कार्य पूर्ण किया गया था। 21 परियोजनाएं अभी पूर्ण की जानी थी।

(i) समापन में विलम्ब

इनमें से अधिकांश मामलों में, निष्पादन की प्रगति बहुत धीमी थी तथा परियोजनाएँ एक से पाँच वर्षों अथवा अधिक के बीच की अवधि के लिए असाधारण रूप से विलम्बित हुई है। असाधारण विलम्ब के कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

- असम में बोडोलेण्ड प्रादेशिक परिषद (बो.प्रा.प.) में कोकराझार, भोवड़ागुड़ी काचूगाँव सड़क का सुधार' परियोजना 23.73 करोड़ रू. की लागत पर 2004-05 में स्वीकृत की गई थी तथा दिसम्बर 2007 तक पूरी की जानी थी। परियोजना 23 महीनों के विलम्ब के बाद तथा भारत सरकार द्वारा निधियों की पूर्ण निर्मुक्ति के बावजूद भी पूरी नहीं हुई थी। अब तक प्राप्त केवल 72 प्रतिशत की भौतिक प्रगति की गई सूचित की गई थी।

- असम में ' विद्यमान हार्डक्रस्ट के सुधार तथा एस.टी.पी. पूल का आर.सी.सी. पूल में बदलाव सहित गोसाईगाँव से सरायबेल सड़क की मैटेलिंग एवं बेक टेपिंग' परियोजना 19.39 करोड़ रू. की लागत पर 2004-05 में स्वीकृत की गई थी तथा मार्च 2007 तक पूरी की जानी थी। यद्यपि भारत सरकार ने राज्य सरकार को 19.39 करोड़ रू. की पूर्ण राशि जारी कर दी थी फिर भी परियोजना पूरी नहीं हुई थी। भौतिक प्रगति 83 प्रतिशत थी तथा 32 माह से अधिक का समय बीत चुका था।

- मेघालय में 'पुलों एवं पुलियों के पुनर्निर्माण सहित रिमबाई-लापमाला-सुचेन सड़क (1-17 कि.मी.)' को सुधारने, चौड़ा करने, सुदृढ़ करने की परियोजना 18.77 करोड़ रू. की लागत पर 2005-06 में स्वीकृत की गई थी तथा दिसम्बर 2007 तक पूरी की जानी थी। परियोजना का समापन दो वर्षों से अधिक तक विलम्बित है।

- मिजोरम में 'लाई ए.डी.सी. के भीतर वार्कटेक काई से लूंगटियान-मामेट सड़क' की परियोजना 26.65 करोड़ रू. की लागत पर 2003-04 में स्वीकृत की गई थी तथा अक्तूबर 2006 तक पूरी की जानी थी। परियोजना का समापन, मंत्रालय द्वारा 24.77 करोड़ रू. जारी करने के पश्चात भी तीन वर्षें से अधिक तक विलम्बित है। अनुमानों का बारबांर संशोधन तथा परियोजना के निष्पादन में पर्याप्त मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण की कमी थी।

(ii) कार्यकारी अभिकरणों को निधियाँ जारी करने में विलम्ब

परियोजनाओं के पूर्ण न होने के अधिकतर मामलों में, कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी करने में संबंधित प्राधिकरणों के पक्ष में विलम्ब को आरोपित किया गया था। असम राज्य में, राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को निधियाँ जारी करने में विलम्ब चिन्ताजनक था। उदाहरणार्थ, परियोजना 'आर.सी.सी. पुल सं. 20/1 पल्ला सड़क का निमार्ण' में 1461 दिनों

का विलम्ब, 'पोधर अली पर आर.सी.सी. पुल सं. 156/2, 159/1, 163/2, 165/3, 172/2, 177/1 एवं 182/2 का निर्माण' परियोजना में 1255 दिन का विलम्ब, ' हरिपुर संसार घाट सड़क पर आर.सी.सी. पुल सं.2/2 का निर्माण' में 1058 का विलम्ब, परियोजना 'भोवरागोरा काचूगाँव सड़क का सुधार' में 1020 दिनों का विलम्ब तथा परियोजना 'धामधामा इपाली सुबनखत्ता (धा.इ.सु.) सड़क का सुधार' में 1020 दिनों का विलम्ब था।

(iii) अन्य अनिमितताएँ

उ.पू. में सड़कों एवं पुलों के निष्पादन में इंगित की गई अन्य अनियमितताएँ निधियों का विपथन, लागत बढ़ना, ठेकेदार को अनुचित लाभ, सामान का बेकार होना, अप्रयुक्त योजना, विशिष्टताओं में बदलाव, निविदा को अंतिम रूप देने मे विलम्ब, ठेकेदार का निरूत्साह व्यवहार तथा विधि एवं नियम समस्याएं आदि थीं। ध्यान में आई विलम्ब एवं अनियमितताओं के परियोजना-वार ब्यौरे अनुबंध 2 में दिए गए हैं। परियोजनाओं के गैर-समापन के कारण आस-पास के क्षेत्र के निवासी परियोजना के अभिप्रेत लाभ से वंचित थे।

(iv) प्रकरण

समीक्षा की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों एवं अनियमितताओं को तीन प्रकरणों के माध्यम से अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

प्रकरण-1: नागालैण्ड में 'पुराना बाजार (रा.रा.39 बाइपास) से कोहिमा-कोकाजन तक सड़क निर्माण' की परियोजना

अपूर्ण पुल का फोटोग्राफ "पुराना बाजार (रा.रा.39 बाईपास) से कोहीमा-बोकाजन तक सड़क" (अक्तूबर 2008)।

लो.नि.वि. ने तीन स्थानीय ठेकेदारों को 18.22 करोड़ रू (कार्य हेतु 20.43 करोड़ रू की कुल प्राप्ति के प्रति) की लागत पर स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुसार 22 कि.मी. की सड़क के प्रति 0-20 कि.मी. का कार्य प्रदान किया। लो.नि.वि. प्रभाग ने ठेकेदारों को फरवरी 2007 तक चालू लेखा बिल में 16.06 करोड़ रू का भुगतान किया। संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने शेष 2 कि.मी. सड़क का निर्माण करने के बजाय, 2.56 करोड़ रू का तीनों अन्य सड़कों के निर्माण पर विचलन किया, जो इस परियोजना में शामिल नहीं थीं। यह पाया गया कि यदि 2 कि.मी. सड़क का निर्माण कर दिया जाता तब भी सड़क का प्रयोग पूरी तरह से नहीं किया जा सकता था क्योंकि नदी के ऊपर से जा रहे मार्ग तथा नदी के ऊपर पुल के निर्माण का कार्य जो अन्य परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ किया गया था, उसमें कुछ खास प्रगति नहीं हुई थी (अक्तूबर 2008) जैसा कि बराबर के दिए गए फोटोग्राफ से देखा जा सकता है। इस प्रकार, योजना एवं समन्वय के अभाव का परिणाम लगभग चार वर्षों की अवधि के लिए 16.06 करोड़ रू के निष्क्रिय करने में हुआ।

प्रकरण-2: नागालैण्ड में 'दीमापुर खोपनवाला जालूकी-पेरेन सड़क (52 कि.मी. लम्बी) का उन्नयन' की परियोजना

मंत्रालय द्वारा 'दीमापुर-खोपनवाला-जालूकी-पेरेन सड़क निर्माण की परियोजना' फरवरी 2006 में अनुमोदित की गई थी। परियोजना की स्वीकृत लागत 36.73 करोड़ रू तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि फरवरी 2008 थी।

तालिका-10: दो ठेकेदारों को 48 मि.मी. से 52 मि.मी. तक के कार्य प्रदान करने के ब्यौरे

ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	कार्य आदेश सं.	कार्य आदेश की अनुमानित लागत	किया गया अद्यतन भुगतान
			(करोड़ रूपयों में)	
मै. पानेश्वर एण्ड सन्स	34 कि.मी. से 52 कि.मी. तक (18 कि.मी.)	सी.ई./आर.एण्ड बी./सं.गै.व्य.के.पू./05-06 दिनांक 20.03.2006	15.00	14.29
श्री चार्ली सेखोज	48 कि.मी. से 58.200 कि.मी. (10.200 कि.मी.)	सी.ई./आर.एण्ड बी./सं.गै.व्य.के.पू./05-06 दिनांक 20.03.2006	6.21	4.59
जोड़			21.21	18.88

48 कि.मी. से 52 कि.मी. की सड़क को बढ़ाना दोनों ठेकेदारों को प्रदान किया गया था। ठेकेदारों ने कार्य का निष्पादन किया तथा कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सड़के एवं पुल), पेरेन प्रभाग द्वारा माप लिए गए थे। ठेकेदारों को चालू लेखा बिल के माध्यम से नवम्बर 2007 तथा मार्च 2008 के बीच 18.88 करोड़ रू. के भुगतान जारी किये गये थे। इस प्रकार, दो विभिन्न ठेकेदारों को एक सड़क को बढ़ाने के लिए कार्य प्रदान करने तथा भुगतान करने का परिणाम 3.17 करोड़ रू* के अधिक भुगतान में हुआ। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि (नवम्बर 2008) कि अब ठेकेदारों को दिए गए कार्य को सभी संबंधित अभिलेखों में 32 कि.मी. से 50 कि.मी. तथा 50 कि.मी. से 60 कि.मी. के रूप में सही कर दिया गया है। तथापि, तथ्य यही रहा कि 4 कि.मी. हेतु भुगतान दोनों ठेकेदारों को पहले ही किया जा चुका था।

*18 कि.मी. सड़क के निर्माण हेतु मै. पानेसर एण्ड सन्स को भुगतान किया गया (34 कि.मी.-52 कि.मी.) =142936495 रू (वा.सं. 1 दिनांक 20.3.2008)

4 कि.मी. सड़क (अतिव्याप्ति) के निर्माण हेतु राशि =142936495 रू. X 4 ÷ 18 कि.मी. =3,17,63,665 रू.

प्रकरण-3: असम, सिबसागर जिले में ढोदर अली मार्ग पर आठ आर.सी.सी. पुलों का निर्माण

सितम्बर 2004 में भारत सरकार द्वारा 3.53 करोड़ रू. की लागत पर परियोजना स्वीकृत की गई थी तथा राज्य सरकार द्वारा कार्य 3.51 करोड़ रू. हेतु प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (जुलाई 2005) की गई थी। मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. मार्ग ने संपूर्ण कार्य (पुल तथा पहुँचमार्ग) 3.94 करोड़ रू. की संविदा लागत पर एक ठेकेदार को प्रदान कर दिया (मार्च 2005) जो 24 माह में पूरा किया जाना था (मार्च 2007 तक)

यद्यपि पुल 25 महीनों के विलम्ब के पश्चात फरवरी 2008 में पूरा हो गया था फिर भी इसे उपयोग में नहीं किया जा सका क्योंकि पुल के उपमार्ग अपूर्ण रहे क्योंकि इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में आई अनियमितताएं सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाई जा रही थीं। यह मंत्रालय के निरूत्साहित व्यवहार को दर्शाता है जिसने योजनाओं का उचित रूप से मॉनीटर नहीं किया था तथा उपयुक्त कार्रवाई भी प्रारम्भ नहीं की थी जब सितम्बर 2009 में इसे मामला इंगित किया गया था।

3.2.2.3 जल आपूर्ति क्षेत्र

इस क्षेत्र के अंतर्गत सं.गै.व्य.के.पू. परियोजनाओं में ग्रामीण तथा शहरी दोनों जल आपूर्ति योजनाएं शामिल है। 2002-03 से 2007-08 के दौरान स्वीकृत 64 परियोजनाओं में से 47 परियोजनाएँ अक्तूबर 2008 अथवा पहले तक बकाया थीं। तथापि, केवल 20 परियोजनाएँ कथित तिथि तक पूरी की जा सकी। लेखापरीक्षा ने विस्तृत संवीक्षा हेतु 13 परियोजनाओं का चयन किया तथा पाया कि केवल चार परियोजनाएँ, वे भी एक वर्ष तथा अधिक के समय से पूरी की गई थी। शेष नौ परियोजनाएं अभी भी पूरी की जानी हैं।

(1) परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब तथा अन्य अनियमितताएँ

लगभग सभी परियोजनाओं के निष्पादन में अत्याधिक विलम्ब थे तथा निष्पादन की गति काफी धीमी थी। कुछ मुख्य परियोजनाओं में विलम्ब पर नीचे चर्चा की गई हैः

- मेघालय में ' जोवाई जल आपूर्ति परियोजना' 15.41 करोड़ रू. की लागत पर 2002-03 में स्वीकृत की गई थी तथा मार्च 2005 में पूरी की जानी थी, इस परियोजना ने पहले ही चार वर्षें से अधिक का समय का बढ़ना बहन किया है तथा अब तक परियोजना के निष्पादन में प्राप्त भौतिक प्रगति केवल 50 प्रतिशत है। भारत सरकार ने परियोजना के लिए पहले ही 12.30 करोड़ रू. जारी कर दिए है।

- मणीपुर में 'वेथाऊपर जल आपूर्ति योजना' की परियोजना 59.71 करोड़ रू. की लागत पर 2004-05 में स्वीकृत की गई थी तथा 38.54 करोड़ रू. की कुल राशि भारत सरकार द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकार को पहले ही जारी की जा चुकी है। परियोजना को मार्च 2008 तक पूरा किया जाना था परन्तु यह निर्धारित समय से पीछे चल रही है। परियोजना का समापन पहले ही एक वर्ष आठ महीनों से विलम्बित है। परियोजना की भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत होनी सूचित की गई है।

- सिक्किम में ' ग्रेटर गेंगंटोक हेतु जल आपूर्ति संवर्धन योजना' की परियोजना 24.34 करोड़ रू. की लागत पर 2004-05 में स्वीकृत की गई थी। परियोजना ठेकेदार द्वारा निष्पादन में विलम्ब के कारण तीन वर्ष एवं छः महीनों के विलम्ब के पश्चात अक्तूबर 2009 में पूरी की गई थी।

परियोजनाओं के निष्पादन मे अत्याधिक विलम्ब का परिणाम निश्चय ही जनसाधारण को सुरक्षित पेय जल पहुँचने से वंचित रखने के अतिरिक्त वास्तविक लागत बढ़ जाने में होगा।

लेखापरीक्षा ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को निधियाँ जारी करने अत्याधिक विलम्ब भी पाया। उदाहरणार्थ, त्रिपुरा में परियोजना 'धर्मनगर में जल आपूर्ति' में 480 दिनों का विलम्ब, परियोजना ' तैलियामूरा में जल आपूर्ति- में 510 दिनों का विलम्ब था। नागालैण्ड में, परियोजना 'मोन एवं छूई गाँव हेतु' जल आपूर्ति- में राज्य सरकार ने निधियाँ जारी करने में 246 दिनों तक का विलम्ब किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने अधिक व्यय, अग्राह्य घटकों पर व्यय, पूर्ण हुई किन्तु आरम्भ न की गई परियोजना, निधियों का अवरोधन, अग्रिमों के असमायोजन आदि को भी प्रकट किया। जल आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत समीक्षित परियोजनाओं के निष्पादन में पाए गए विलम्बों तथा अनियमितताओं का परियोजना-वार विश्लेषण **अनुबंध-3** में दिया गया है।

(ii) प्रकरण

मार्च 2005 में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग (लो.स्वा.वि.) ने योजना तथा अन्य जल आपूर्ति योजनाओं* के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न ब्यासों के डक्टाईल आईन (ड.आ.) पाईपों की 74,806 मीटर की आपूर्ति के लिए मेसर्स इलैक्ट्रों स्टील कास्टिंग लिमिटेड, कोलकाता को पांच आपूर्ति आदेश दिए।

आपूतिकर्ता ने पाईपों की पूर्ण मात्रा की आपूर्ति के लिए मार्च 2005 में 5.58 करोड़ रू. की राशि के पांच प्रोफार्मा इन्वॉयस प्रस्तुत किए। तथापि, विभाग ने आपूर्तिकर्ता को 5.88 करोड़ रू. (जुलाई 2005 में अग्रिम के रूप में 4.50 करोड़ रू. तथा अगस्त 2006 में अंतिम भुगतान के रूप में 1.38 करोड़ रू.) अदा किए जो 30 लाख रू. के अधिक भुगतान का कारण बना।

विभाग ने अधिक भुगतान को स्वीकार किया तथा बताया कि वह आपूर्तिकर्ता से अधिक भुगतान की वापसी हेतु उपाय करेगा।

*सेनापति जिला के साँईकूल, कंगपोक्पी, माराम, तदुबी

प्रकरण 2 : नागालैण्ड में 'मोन एवं छुई गाँवों हेतु जल आपूर्ति योजना'

परियोजना नवम्बर 2003 में मंत्रालय द्वारा मोन एवं छुई गाँवों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेय जल प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 3.92 करोड़ रू. की लागत पर स्वीकृत की गई थी। परियोजना के समापन की निर्धारित तिथि मार्च 2005 थी।

संवीक्षा ने प्रकट किया कि यद्यपि परियोजना 97 प्रतिशत पूरी हो चुकी थी फिर भी इसे जल स्त्रोत दाता तथा लाभभोगी ग्रामों के बीच विवाद के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका परन्तु विभाग ने विवाद को निपटाने तथा परियोजना को आरम्भ करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की थी।

दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि वन एवं पर्यावरण, भूमि अधिग्रहण आदि जैसे सभी नियामक एवं सांविधिक अनुमतियों को प्रस्ताव में दर्शाया जाना चाहिए। विभाग ने किए सर्वेक्षण एवं लाभभोगियों, भूमि स्वामियों आदि के साथ की बातचीत के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। परियोजना को परिप्रक्षेय योजना तैयार किए बिना सं.गै.व्य.के.पू. अंतर्गत चयन के लिए प्राथमिक सूची में सम्मिलित किया गया था। राज्य सरकार ने अवधारणा पेपर भी तैयार नहीं किया था जिसे परियोजना रिपोर्ट सहित अनिवार्य रूप से मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था। स्त्रोत पर उपलब्ध जल की गुणवत्ता की प्रयोगशाला नमूना जाँच भी कई स्तरों पर नहीं की गई थी। परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित सामाजिक प्रभाव अध्ययन भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, जल स्त्रोत दाता एवं लाभभोगी ग्रामों के बीच भूमि विवाद के गैर-निपटान का परिणाम योजना के उद्देश्यों के बिना प्राप्ति के रहने के अतिरिक्त 3.66 करोड़ रू. कीमत पर पूर्ण हुई परियोजना (अक्तूबर 2008) के आरम्भ न होने में हुआ।

प्रकरण-3: ग्रेट सिलचर जल आपूर्ति योजना, असम

परियोजना जो प्रारम्भिक रूप से राज्य योजना के अधीन थी, वह 12.30 करोड़ रू. की लागत पर 2003 में स्वीकृत की गई थी तथा जनवरी 2006 तक पूरी की जानी थी। भा.स. द्वारा 11.59 करोड़ रू. की राशि जारी की गई थी। निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद कार्य अधूरा था। 14 मी. प्रत्येक की ऊँचाई पर विभिन्न स्थानों पर कुल 2600 क्यू.मी. की क्षमता वाले 4 आर.सी.सी. एलिवेटिड, सर्विस रिर्जवायर (ई.एस.आर.) के निर्माण जिसमें प्रवेश मार्ग तथा निकास मार्ग पाईपलाइन, लाईटिंग अरेस्तर आदि शामिल थे, हेतु स्वीकृत 2.60 करोड़ रू. में डी.पी.आर. प्रदान की गई थी। निविदा केवल एक ई.एस.आर. हेतु जारी की गई थी तथा अगस्त 2002 में ठेकेदार को कार्य सौंपा गया था (सं.गै.व्य.के.पू. के अन्तर्गत परियोजना के शामिल किए जाने से पूर्व) जबकि प्रशासनिक अनुमोदन के छः वर्षो के बीत जाने के उपरान्त भी जुलाई 2008 तक अन्य तीन रिर्जवायर के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं। एक ठेकेदार को दिया गया एक ई.एस.आर. का कार्य मार्च 2005 में वापस ले लिया गया क्योंकि वह कोई कार्य नहीं कर सका था। जुलाई 2008 तक कार्य हेतु पुनः निविदा जारी नहीं की गई थी। चारों ई.एस.आर. में से एक का भी निर्माण नहीं किया गया था जिसका परिणाम परियोजना से पर्याप्त जल आपूर्ति के गैर-प्रावधान में हुआ। परियोजना नवम्बर 2009 तक अधूरी थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा था।

3.2.2.4 बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई क्षेत्र

2002-03 से 2007-08 के दौरान स्वीकृत 13 परियोजनाओं में से तीन की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थी तथा एक परियोजना अपूर्ण थी। इन परियोजनाओं का सारांश तालिका 11 में दिया गया है।

तालिका-11: बाढ़ तथा सिंचाई परियोजनाओं का सारांश

परियोजना	नवम्बर 2009 तक की स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
अरूणाचल प्रदेश		
क्ले नदी में अपरहन रोधी कार्य स्वीकृत लागतः 7.31 करोड़ रू निर्गम राशिः 6.93 करोड़ रू कार्य समापन की तिथि 31.3.2004 कार्यान्वयन अभिकरणः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग/ जल संसाधन विभाग	पूर्ण	• कार्य पूर्ण करने में 3 वर्ष तथा 11 महीने तक का विलम्ब • वाहन क्रय करने तथा स्लैब तैयार करने वाली मशीन पर 9 लाख रू का अग्राह्य व्यय।
असम		
अमेरेंग लघु सिंचाई योजना स्वीकृत लागतः12.00 करोड़ रू निर्गम राशिः12.00 करोड़ रू कार्य समापन की तिथि 31.3.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः सिंचाई विभाग	पूर्ण	• कार्य पूर्ण करने में एक वर्ष तथा दो महीने का विलम्ब • कार्यान्वयन अभिकरण को निधियां जारी करने में 866 दिनों का विलम्ब
चम्पामती सिंचाई परियोजना स्वीकृत लागतः43.85 करोड़ रू निर्गम राशिः43.85 करोड़ रू कार्य समापन की तिथि 31.12.2007 कार्यान्वयन अभिकरणः सिंचाई विभाग, असम सरकार	अपूर्ण	• 90 प्रतिशत भौतिक प्रगति (नवम्बर 2009 तक) • मंत्रालय का पूरा भाग जारी करने के बावजूद परियोजना पूरी करने में 22 महीनों का विलम्ब • राज्य सरकार के संसाधनों से अपेक्षित भूमि की गैर-प्राप्ति • कार्यान्वयन अभिकरण को बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बी.टी.सी.) द्वारा निधियां जारी करने में विलम्ब (374 दिन) • 20 मदों की बढ़ी हुई दरों के प्रति 29.02 लाख रू के भुगतान में मूल्य वृद्धि। • भा.स. से 39.47 करोड़ रू की प्राप्ति के प्रति राज्य सरकार के पास 22.80 करोड़ रू अप्रयुक्त पड़े रहे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में आई अनियमितताओं को संबंधित राज्य के साथ उठाया जा रहा था।

3.2.2.5 विद्युत क्षेत्र

सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाओं को वृहत रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- ट्रांसमिशन/सब-ट्रांसमिशन (33 के.वी./11.के.वी.) तथा वितरण प्रणाली का निर्माण/उन्नयन; तथा
- लघु विद्युत थर्मल संयंत्र की स्थापना।

2002-03 से 2007-08 के दौरान 80 स्वीकृत परियोजनाओं में से 13 के विश्लेषण ने प्रकट किया कि सभी 13 परियोजनाएं अक्तूबर 2008 से पहले पूर्ण की जानी थी। इनमें से, 10 परियोजनाएं नौ महीनों से तीन वर्षो की अधिक अवधि के साथ पूर्ण की गई, दो परियोजनाएं अभी पूरी की जानी प्रतीक्षित थी तथा एक परियोजना "दीमापुर थर्मल आधारित विद्युत संयंत्र 22.92 मै.वा. भारी ईंधन तेल (एच.एफ.ओ.)" को नागालैण्ड में छोड़ दिया गया था।

विद्युत परियोजनाओं की संवीक्षा ने अग्राह्य व्यय, लागत वृद्धि, निधियों का विचलन, मशीनरी तथा उपकरणों की निष्क्रियता, अग्रिमों का गैर-समायोजन तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ आदि को प्रकट किया। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत समीक्षा की गई परियोजनाओं के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएं का विश्लेषण **अनुबंध 4** में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को संबंधित राज्य के साथ उठाया जा रहा था।

प्रकरण

प्रकरण-1: नागालैण्ड में "दीमापुर स्थित थर्मल विद्युत संयंत्र"

विद्युत केन्द्रीय मंत्रालय ने सितम्बर 2003 में 105.57 करोड़ रू की लागत पर "दीमापुर में 22.92 मे.वा.एच.एफ.ओ. आधारित थर्मल विद्युत संयंत्र" को स्वीकृत किया था। प्रधान मंत्री ने राज्य में अपनी यात्रा (अक्तूबर 2003) के दौरान, राज्य हेतु विशेष आर्थिक पैकेज में परियोजना को शामिल करने की घोषणा की। उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय को इस परियोजना हेतु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया तथा निधियों की गैर उपलब्धता के मामले में इसके लिए वित्त मंत्रालय/योजना आयोग से आग्रह किया जाना था। परियोजना मई 2005 तक पूरी की जानी थी। संयंत्र का निर्माण टर्नकी आधार पर मै. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) भोपाल को प्रदान किया गया (मार्च 2004)। उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय ने 18.86 करोड़ रू (मार्च 2004) तथा 13.14 करोड़ रू (अगस्त 2004) जारी किए। तथापि, इसने शेष 73.57 करोड़ रू देने से इन्कार किया तथा राज्य सरकार से नई संस्वीकृति जारी करने के लिए परियोजना को सं.गै.व्य.के.पू. की प्राथमिकता सूची में पुनः शामिल करने का आग्रह किया।

राज्य सरकार ने इस आधार पर इन्कार कर दिया कि चूंकि परियोजना राज्य हेतु विशेष आर्थिक पैकेज का भाग थी इसलिए भारत सरकार को परियोजना के वित्तपोषण हेतु उत्तरदायी होना चाहिए। सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत वित्तपोषण किए जाने के लिए प्राथमिकता सूची में पुनः शामिल किया जाता है तो राज्य को कुछ नई परियोजनाओं जो अन्य प्रकार से राज्य के लिए स्वीकृत होंगी, के साथ समझौता करना होगा।

इलैक्ट्रीकल, ट्रांसमिशन डिवीजन, दीमापुर के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि भवन के निर्माण तथा मशीनरी एवं उपकरणों के प्रापण के लिए 32 करोड़ रू व्यय करने के उपरान्त परियोजना को मई 2005 में रोक दिया गया था। मै.बी.एच.ई.एल. ने जुलाई 2006 में जहां है जैसा है कि आधार पर परियोजना को राज्य सरकार को सौंप दिया। निर्मित भवन, अधिप्राप्त की गई मशीनरी तथा उपकरण निर्माण स्थल पर पिछले दो वर्षो से अप्रयुक्त पड़े थे जैसा कि नीचे दिए गए फोटोग्राफ से देखा जा सकता है।

छोड़ी गई परियोजना "22.92 एम.डब्ल्यू.एच.एफ.ओ. आधारित थर्मल विद्युत संयंत्र दीमापुर," की निष्क्रिय मशीनरी, उपकरण (दो आल्टरनेटर मशीनें) तथा भवन (टाइप-III तीन मंजिला आवासीय ब्लाक)

प्रकरण-2 : सिक्किम में "गैंगटाक शहर के ट्रांसमिशन एवं संवितरण नेटवर्क का पुनः प्रतिरूपण"

दिशानिर्देश लागत वृद्धि में जहाँ ये प्रारम्भिक स्तर पर विचार न किए गए निर्माण-कार्यों की सम्भावना में परिवर्तन से उद्भूत हो, को छोड़कर, वित्तपोषण को अनुमत नहीं करते हैं। वास्तव में स्वीकृति लागत की 20 प्रतिशत की सीमा तक ऐसी बढ़ी लागत के वित्तपोषण को उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच के बीच बराबर बाँटा जाना था।

परियोजना के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि परियोजना की वास्तव में स्वीकृति लागत 22.44 करोड़ थी तथा परियोजना की संशोधित लागत 29.88 करोड़ रू थी। यह दर्शाता है कि परियोजना की लागत 7.44 करोड़ रू तक वृद्धि हुई। परियोजना की लागत वृद्धि कार्य क्षेत्र में अनुवर्ती संशोधन के कारण थी। कार्य क्षेत्र में बदलाव बिराहु द्वार से कनवाँय मैदान तक एल.टी. ऊरी लाईन का भूमिगत केबल प्रणाली में बदलाव, डियोराली सरकारी मकानों के उप-स्टेशन पर 11 के.वी. ग्रेड केवलों के डालने तथा पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान परिसर, डियोराली पर स्तर लाईन के लिए 11 के.वी.6-पोल गैंग संचालित अवसंरचना आदि के कारण आवश्यक थे। इस प्रकार, अपनी समग्रता में कार्य क्षेत्र तथा कार्यक्षमता पर उचित रूप से विचार करके परियोजना अनुमानों को तैयार करने में कार्यान्वयन विभाग की विफलता लागत वृद्धि के प्रति राज्य के राजकोष पर 7.44 करोड़ रू के अप्रत्याशित अतिरिक्त भार का कारण बनी।

कार्य निष्पादन फाइलों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कार्य ऊर्जा एवं विद्युत विभाग (उ.वि.वि.) द्वारा निविदा की गई थी (जून 2004)। बोलियों की प्राप्ति पर (जून 2004), दरों को घटाने के लिए सबसे कम बोलीकर्ता के साथ पश्च निविदा बातचीत की गई थी (नवम्बर 2004) उसके पश्चात ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार चार मदों (अर्थात् (i) केवल ट्रेंच, (ii) 3X50 वर्ग मी. एक्स.एल.पी.ई. केवल हेतु उचित ताप शिंर्क लिट, (iii) 11 के.वी. क्रोस लिंक पोलिथीन (एक्स.एल.पी.ई.) केवल 3X50 वर्ग मी.) के लिए कम दरों पर सहमत हुआ (नवम्बर 2004) फिर भी ऊ.वि.वि. में ठेकेदार को भुगतान जारी करते समय वास्तविक दरों पर भुगतान किया था जो 21.60 लाख रू. के अनुचित लाभ का कारण बना जैसे तालिका-12 में परिकलित किया गया है।

तालिका 12

मद	कार्य का नाम	बताई गई एवं वास्तव में अदा की गई दर(रू.)	बातचीत के पश्चात सहमत दर(रू.)	प्रति ईकाई अधिक भुगतान(रू.)	मात्रा	अधिक भुगतान (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7=5x6)
केबल ट्रेंच	एम.पी.गोलाई से टेडोंग विद्यालय के नीचे तक 31 ए एन.एच.मार्ग सहित बदलाव कार्य	1950	954	996	700	697200
3x50 वर्ग मी.मी. एक्स.एल.पी.ई. केबल हेतु उचित ताप श्रिंक लिट	ऊरी श्यारी में एच.टी. एवं ओ.एच. का यू.जी. में बदलाव	33108	30719	2389	2	4778
11 के.वी. एक्स.एल.पी.ई. केबल 3x150 वर्ग मी.मी.	डबल सर्किट 11 के.वी. लाईन का पुनः संरेखण	3265	1484	1781	450	801450
11 के.वी. एक्स.एल.पी.ई. केबल 3x50 वर्ग मी.	डबल सर्किट 11 के.वी. लाईन का पुनः संरेखण	2148	689	1459	450	656550
					योग	2159978

प्रकरण 3: मणीपुर में ' माराम में 2X3.15 एम.बी.ए. 33/11 के.वी. उप स्टेशन का संस्थापन'

(i) **लाईन सामग्री की अधिक खरीद:** समझौते के अनुसार, स्ट्रिंगिंग लाईन का कार्य दो मदों अर्थात लाईन सामग्री की आपूर्ति तथा लाईनों के निर्माण से बना है। निर्माण की लागत लाईन सामग्री की लागत के 20 प्रतिशत की दर पर देय थी। कार्य 21.17 लाख रू की लागत पर पूरा किया गया था (जनवरी 2006)। तथापि, विभाग ने आवश्यकता से अधिक सामग्री खरीदी।

खरीदी गई अधिक मात्रा, बोल्ट एवं नटों के मामले को छोड़कर, आवश्यकता के 50 प्रतिशत से अधिक थी तथा 11.12 लाख रू की राशि बनती है। आवश्यकता से अधिक ऐसी अधिक सामग्री की खरीद आंतरिक चोरी को आमंत्रण देगी। अभिलेखों में कारण भी नहीं था कि क्यों आवश्यकता के आधिक्य में सामग्री खरीदी गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2008) कि आधिक्य में खरीदी गई सामग्री को सं.गै.व्य.के.पू. योजना के अंतर्गत लाईन स्ट्रंग के संचालन एवं अनुरक्षण में उपयोग किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सं.गै.व्य.के.पू. से निधियाँ अवसंरचना के सृजन के लिए है न कि उनके अनुरक्षण के लिए।

(ii) **उपकरण की खरीद:** कार्य तीन घटकों अर्थात (i) उप-स्टेशन का निर्माण, (ii) लाईनों का स्ट्रिंगिंग तथा (iii) निर्माण कार्यों से बना है। कार्य मैसर्स श्याम पावर (इंडिया), हरियाणा को सौंपा गया था (सितम्बर 2003) तथा इसकी 3.85 करोड़ रू की निविदा राशि टर्नकी आधार पर थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उप-स्टेशन के घटकों के निर्माण के संबंध में उपकरण की निम्नलिखित मदें फर्म द्वारा जो विभाग द्वारा फर्म को अदा की गई थी से कम कीमत पर विभिन्न विनिर्माता कम्पनी से अधिप्राप्त की गई थीं। ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका -13

(लाख रूपयों में)

क्र.सं.	उपकरण की विशिष्टताएं (विनिर्माता का नाम)	विनिर्माता का मूल्य*	विभाग द्वारा फर्म को अदा की गई राशि	परिहार्य व्यय
1	3.15 एम.बी.ए. विद्युत ट्रांसफार्मर (मैसर्स ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड, गाजियाबाद)	18.25	61.15	42.90
2	अर्थ ब्लैड सहित 36 के.वी. आइसोलेटेड (मैसर्स पोएर लाईन एक्सेसरिज लिमिटेड रायपुर)	2.20	7.84	5.64
3	अर्थ ब्लैड सहित 36 के.वी. आइसोलेटेड (मैसर्स पोएर लाईन एक्सेसरिज लिमिटेड रायपुर)	0.99	3.36	2.37
4	36 के.वी.एस.एफ. 6 सर्किट ब्रेकर्स (मैसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड नासिक)	14.41	39.20	24.79
5	30 के.वी. लाईटिंग अरेस्टर (मैसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड नासिक)	2.00	16.13	14.13
योग		37.85	127.68	89.83

* मूल्य में 16 प्रतिशत का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 2 प्रतिशत का शिक्षा उपकर, 4 प्रतिशत का केन्द्रीय बिक्री कर जमा वाहन शुल्क सम्मिलित है (क्र.सं. 2,3,4, एवं 5 के लिए आधारभूत लागत तथा क्र.सं. 1 हेतु वास्तव में अदा की राशि के 10 प्रतिशत के रूप में लिया गया)

यह स्थापित करने हेतु अभिलेख में कुछ नहीं था कि विभाग ने इन दरों की उपयुक्तता स्थापित करने के लिए उत्पादकों की दरों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए थे तथा इन उपकरणों की दरों को कम करने हेतु फर्म के साथ कोई बातचीत नहीं की गई थीं। इस प्रकार, अगर विभाग ने इन उपकरण के उत्पादक मूल्य को पता लगाने के पश्चात निविदा को अंतिम रूप दिया होता तो 80.85 लाख रू (89.83 लाख रू घटा ठेकेदार के लाभ के रूप में 10 प्रतिशत कमीशन) के अतिरिक्त व्यय से बचा सकता था।

3.2.2.6 स्वास्थ्य क्षेत्र

स.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत निष्पादित की जा रही स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजनाओं में आवश्यक रूप से अस्पतालों या ईकाइयों, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण/उन्नयन शामिल था। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से किसी विशेष राज्य में नहीं बल्कि समग्र क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान करने तथा गुणवत्ता में कार्य कुशलता में सुधार हेतु, क्षेत्र में समुदाय तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की रेफरेल आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में अधिक विशेषज्ञ सेवाओं को जोड़ने के लिए; नवपरिवर्तन समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थापना करना; वर्तमान तथा भविष्य में चिकित्सा कार्मिकों की तीव्र कमी का निदान करने में सहायता; चिकित्सा शिक्षा को पुनः शुरू करने में इच्छुक विद्यार्थियों लेकिन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उच्च तकनीकी शिक्षा के प्रावधान के अभाव में छोड़ने/अन्य राज्य को प्रवास के लिए मजबूर हो रहे विद्यार्थियों के निकलने में सुधार हेतु संस्वीकृत की गई थी। 2002-03 से 2007-08 के दौरान 31 संस्वीकृत परियोजनाओं में से नौ के विश्लेषण ने प्रकट किया कि केवल एक परियोजना पूरी हुई थी।

(i) परियोजना के समापन में विलम्ब

लगभग सभी परियोजनाओं के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब थे। कुछ मुख्य मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

- 'असम चिकित्सा महाविद्यालय (होप)' परियोजना 20.00 करोड़ रू. की लागत पर 2002-03 में स्वीकृत की गई थी तथा दिसम्बर 2005 तक पूरी की जानी थी। परियोजना का समापन चार वर्षों तक विलम्बित है जो क्षेत्र की लक्ष्यित जनसंख्या को चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से वंचित करती है।

- नागालैंड में 'राज्य रेफरल अस्पताल का सशक्तिकरण' परियोजना 35.62 लाख रू. की लागत पर 2003-04 में स्वीकृत की गई थी। उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को पहले ही 31.69 करोड़ रू. जारी कर दिए हैं। परियोजना मार्च 2005 तक पूरी की जानी थी। तथापि, परियोजना निर्धारित अवधि से काफी पीछे रह गई है तथा इसका समापन पहले ही चार वर्ष एवं आठ महीनों से विलम्बित है।

- त्रिपुरा में 'अगरतला में राज्य स्तरीय पैरा चिकित्सा संस्थान' परियोजना 14.07 करोड़ रू. की लागत पर 2004-05 में स्वीकृत की गई थी तथा मार्च 2008 तक पूर्ण की जानी थी। परियोजना का समापन मंत्रालय द्वारा 12.85 करोड़ रू. जारी करने के बावजूद भी पहले ही एक वर्ष एवं आठ महीनों तक विलम्बित है। समापन में विलम्ब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, त्रिपुरा आवास बोर्ड को स्थान की सूपुर्दगी में विलम्ब को आरोपित है।

वृहत रूप से, कार्य समापन में विलम्ब के कारण मुक्त निर्माण स्थल की गैर-उपलब्धता तथा बारंबार होने वाले बंध (असम), स्वास्थ्य निदेशालय (त्रिपुरा) द्वारा निर्माण-स्थल प्रदान करने में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरण (मिजोरम) द्वारा निष्पादन की धीमी पगति, कार्यान्वयन अभिकरण

(मणीपुर) आदि को निधियों के अंतरण में विलम्ब थे। स्वास्थ्य परियोजनाओं के गैर-समापन ने उ.पू.क्षेत्र की लोगों को कार्यकुशल एवं अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त करने से वंचित रखा।

(ii) निधियों को जारी करने में विलम्ब

अधिकतर राज्यों में राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को निधियाँ जारी करने में अत्याधिक विलम्ब पाया गया था। उदाहरणार्थ, नागालैण्ड में परियोजना 'जिला अस्पताल का उन्नयन' हेतु निधियाँ जारी करने में 549 दिनों का विलम्ब था; मिजोरम में निधियों को जारी करने में परियोजना 'सिविल अस्पताल, ऐजावल में छः बिस्तर वाली ग.दे.ई.' में 737 दिनों तक तथा परियोजना 'सिविल अस्पताल, ऐजावल में बा.रो.वि. भवन का निर्माण' में 510 दिनों तक का विलम्ब था; मणीपुर में दो परियोजनाओं नामतः 'तमनलौंग तथा सेनापत्ति जिलों में 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण एवं सज्जा' के लिए निधियों को जारी करने में 424 दिनों का विलम्ब पाया गया था; तथा असम में परियोजना 'असम चिकित्सा महाविद्यालय, डिब्रूगढ़' में निधियों को जारी करने में 402 दिनों का विलम्ब पाया गया था।

(iii) अन्य अनियमितताएँ

स्वास्थ्य परियोजनाओं की संवीक्षा ने अनुचित लाभ, निधियों का विचलन, कार्यप्रभारित स्थापना पर अग्राह्य व्यय, विभागीय प्रभार, बिक्री कर तथा अभिकरण प्रभार तथा ब्याज की हानि आदि को भी प्रकट किया। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत समीक्षा की गई परियोजनाओं के कार्यानवयन में पाई गई अनियमितताओं का विश्लेषण **अनुबंध 5** में दिया गया है।

(iv) प्रकरणः स्वास्थ्य परियोजना का कार्यान्वयन

मणीपुरः टेमेनलोंग तथा सेनापति जिले में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण व सुसज्जित करना

सं.गै.व्य.के.पू. समिति ने सेनापति, चांदेल, उखरूल तथा टेमेनलोंग के पहाड़ी जिले में 55.76 करोड़ रू. की कुल स्वीकृत लागत पर प्रत्येक में एक 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण को स्वीकृत किया (नवम्बर 2006)। यद्यपि भा.स. ने नवम्बर 2006 में 17.56 करोड़ रू. की राशि जारी की, फिर भी राज्य सरकार ने लगभग डेढ़ वर्ष के विलम्ब के उपरान्त मार्च 2008 में ही कार्यान्वयन अभिकरण को राशि जारी की। नवम्बर 2008 तक ये निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके। यह विलम्ब 5.26 लाख की जनता* के स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने में रूकावट का कारण बनेगा, जो बेहतर चिकित्सा देखभाल हेतु पहाड़ी रास्तों में 61 कि.मी. (सेनापति जिला) से 158 कि.मी. (टेमेनलोंग जिला) के बीच यात्रा करने को मजबूर होंगे। परियोजना क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के साथ अपूर्ण (नवम्बर 2009) थी।

*** 2001की जनगणना के अनुसार सेनापतिः 1.56 लाख, चांदेल 1.18 लाख, उखरूलः 1.41 लाख तथा टेमेनलोंग 1.14 लाख**

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि परियोजना के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

3.2.2.7 खेल क्षेत्र

मणीपुर राज्य में खेलकूद अकादमी के विकास करने का उद्देश्य खेलकूद को अन्तर्राष्ट्रीय मानक के प्रति प्रोन्नत करना था। मंत्रालय ने खुमन लम्पाक, मणीपुर में राष्ट्रीय खेलकूद अकादमी भवन के निर्माण हेतु नवम्बर 2006 में 5.81 करोड़ रू. जारी किए। राशि मार्च 2007 में आहरित की गई तथा "8449-अन्य जमा" में जमा की गई। राशि को जून 2007 में निकाला गया तथा 4.68 करोड़ रू. को राज्य लोक निर्माण विभाग के पास (68.22 लाख रू. विभागीय प्रभारों के रूप में, 11.61 लाख रू. आयकर के रूप में तथा 32.51 लाख रू. स्थानीय बिक्रीकर के रूप में कटौती करने के उपरान्त) जमा कराया गया। चूंकि लो.नि.वि. द्वारा कार्य मार्च 2008 तक आरम्भ नहीं किया था इसलिए राज्य सरकार ने लो.नि.वि. से उनके पास जमा राशि लौटाने को कहा (अप्रैल 2008) तथा मणीपुर विकास समिति को निर्माण कार्य सौंपने का निर्णय लिया (मई 2008)। इस प्रकार, निधियों के जारी करने के बावजूद भी, राज्य सरकार अन्तःविभागीय समन्वय के अभाव के कारण कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कार्य को समय से निष्पादन को सुनिश्चित नहीं कर सकी। परियोजना नवम्बर 2009 तक केवल 50 प्रतिशत की भौतिक प्रगति को दर्ज करने के साथ अभी भी अपूर्ण थी। अकादमी का कार्य पूरा करने में विलम्ब जैसा कि ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (ब्यौ.प.रि.) में विचार किया गया था, छः विधाओं[7] में खिलाड़ियों को शिक्षण सुविधाओं से वंचित किये जाने का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि परियोजना के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को मणीपुर राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है। मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि यह सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन की प्रगति की मॉनीटरिंग नहीं कर रहा है।

3.2.3 परियोजना के बारे में अप्रर्याप्त पारदर्शिता तथा प्रचार की सूचना

उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय द्वारा परियोजना स्वीकृत करने के उपरान्त, राज्य सरकार का परियोजना स्थल पर परियोजना स्वीकृति की तिथि, कार्य समापन की अवधि तथा अंतिम तिथि, अनुमानित लागत, निधि स्रोत, ठेकेदार का नाम तथा प्राप्त करने के लिए भौतिक लक्ष्यों को इंगित करते हुए डिसप्ले बोर्ड स्थापित करना अपेक्षित था। स्थानीय मीडिया में केन्द्रीय पूल से सहायता की जा रही सभी योजनाओं/परियोजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना था। परियोजना की समाप्ति के उपरान्त भी, राज्य सरकारों द्वारा निर्माण स्थलों पर एक स्थाई डिस्प्ले लगाना अपेक्षित थे। राज्यों द्वारा निम्न परियोजनाओं में उक्त दिशानिर्देशों की अनुपालना नहीं की गई थी।

[7] तीरंदाजी, बोक्सिंग, जूड़ो, ताइक्वान्डों, भारोत्तोलन तथा कुश्ती

तालिका-14: पारदर्शिता तथा सूचना के प्रचार में कमी

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई परियोजनाओं की सं.	परियोजना स्वीकृति के उपरान्त परियोजना स्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए गए (परियोजनाओं की सं)	स्थानीय मिडिया में प्रचार हेतु नहीं दी गई (परियोजनाओं की सं.)	परियोजना के समापन के उपरान्त निर्माण स्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए गए (परियोजनाओं की सं.)
अरूणांचल प्रदेश	10	2	4	4 पूर्ण परियोजनाओं में से 2
असम	25	9	17	9 पूर्ण परियोजनाओं में से 5
मणीपुर	10	7	9	4 पूर्ण परियोजनाओं में से 1
नागालैंण्ड	10	7	0	3 पूर्ण परियोजनाओं में से 3
सिक्किम	15	8	15	2 पूर्ण परियोजनाओं में से 1
योग	70	33 (47.1प्रतिशत)	45 (64.3 प्रतिशत)	12 (54.5प्रतिशत)

यह इंगित करता है कि कार्यान्वयन तथा केन्द्रक विभाग ने सामान्य जनता में सूचना का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित नहीं किया था तथा दिशानिर्देशों में विचार की गई पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में भी विफल रहा था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि राज्यों के लिए परियोजना स्थल पर डिसप्ले बोर्ड को स्थापित किया जाना तथा स्थानीय मीडिया में वृहत रूप से प्रचार किया जाना आवश्यक होता है। उन मामलों के सम्बंध में जहां उनकी अनुपालना नहीं की गई थी, मामला राज्यों के साथ आवश्यक प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा था।

अध्याय IV: वित्तीय प्रबन्धन

4.1 वित्तीय निष्पादन

पिछले पाँच वर्षों के दौरान सं.गै.व्य.के.पू. निधि से सम्भूतियों तथा निर्मुक्ति की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-15: सं.गै.व्य.के.पू. निधि से सम्भूतियां तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	सम्भूतियां की राशि	वर्ष के दौरान निर्गम
1	2003-04	657.24	550.00
2	2004-05	663.35	650.00
3	2005-06	1960.12	679.17
4	2006-07	1311.08	689.83
5	2007-08	1933.33 *	636.00
योग		6525.12	3205.00

* आँकड़े अनन्तिम हैं तथा वित्त विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अभी सत्यापित किए जाने हैं।

चार्ट 1- सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत सम्भूतियां तथा निर्मुक्ति

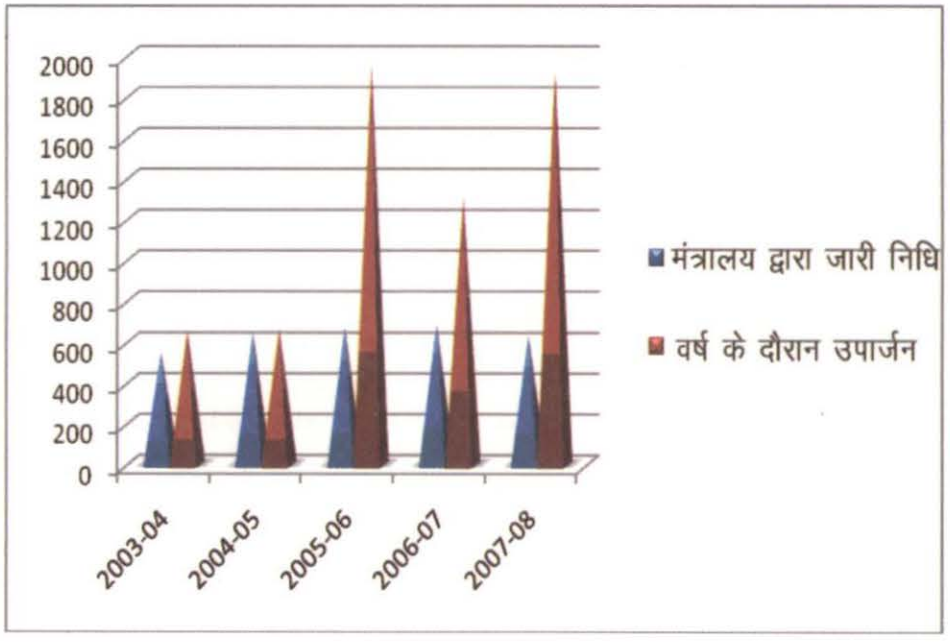

प्रारम्भ से ही, निधि के अन्तर्गत संचयन निरन्तर बढ़ रहा है तथा 31 मार्च 2008 को 6963.79 करोड़ रू था। 2003-04 से 2007-08 के दौरान सं.गै.व्य.के.पू. में 6525.12 करोड़ रू के सम्भूतियों के विरूद्ध उ.पू. राज्यों को कुल जारी की गई राशि केवल 3205 करोड़ रू थी जो सम्भूतियों का 49.12 प्रतिशत थी। अपेक्षाकृत लघु राशि जारी करना निधि के उपलब्ध होने के बावजूद कार्यक्रम के कमजोर कार्यान्वयन को इंगित करता है।

4.2 निधियों के जारी करने तथा उपयोगिता में विलम्ब

सं.गै.व्य.के.पू. दिशार्निदेशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी निधियों को राज्य सरकारों द्वारा 30 दिनों के भीतर कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किया जाना होता है। नमूना जांच की गई परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि समीक्षा किए गए 91 मामलों में से 51 में कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी करने में विलम्ब, राज्य सरकार की ओर से था जैसा कि तालिका 16 में दिया गया है।

तालिका 16: कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के अंतरण में विलम्ब

विलम्ब की अवधि (महीनों में)	परियोजनाओं की संख्या							
	अरूणाचल प्रदेश	असम	मणीपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैण्ड	त्रिपुरा	कुल परियोजनाएं
1-6	1	1	1	4	-	1	4	12
6-12	2	1	3	3	1	1	1	12
12-18	-	6	5	-	1	1	2	15
18-24	-	2	-	-	-		-	2
24-30	-	4	-	-	1		-	5
30 से ऊपर	-	5	-	-			-	5
योग	3	19	9	7	3	3	7	51

विलम्ब एक माह से तीस माह से अधिक के बीच थे। कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी निधियों का परियोजनावार ब्यौरा **अनुबन्ध-6** में दिया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को निधियों की विलम्बित निर्मुक्ति ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी निधियों को छः महीनों (6 जुलाई 2004 तक पूर्व संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार) अथवा नौ महीनों (जुलाई 2004 में दिशानिर्देशों के संशोधन के पश्चात) के भीतर उपयोग किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों द्वारा 43 परियोजनाओं में निधियों की उपयोगिता में अनुमत छः/नौ महीनों से अधिक दो महीनों से 49 महीनों के बीच के विलम्ब थे **(अनुबंध 7)**। कुछ मुख्य परियोजनाओं अर्थात् राज्य रैफरल अस्पताल का सक्रियात्मकता, नागालैण्ड, नागालैण्ड में जिला अस्पताल का उन्नयन, मेघालय में जोवाई जल आपूर्ति योजना, असम में ग्रेटर सिल्चर शहर जल आपूर्ति योजना का नवीकरण तथा कोकराझार, असम में भेबरागुड़ी काचूगाँव सड़क के सुधार में 25 महीनों से अधिक का विलम्ब पाया गया था। 31 मार्च 2009 तक बकाया उ.प्र. का विवरण नीचे तालिका 17 में दिए गए हैः

तालिका 17: लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 तक जारी राशि	व्यय की गई राशि	लंबित उ.प्र. की राशि
1	अरूणाचल प्रदेश	702.94	512.00	190.94
2	असम	1644.51	1256.52	387.99
3	मणीपुर	617.83	445.20	172.63
4	मेघालय	383.82	275.64	108.18
5	मिजोरम	529.35	495.77	33.58
6	नागालैण्ड	696.61	578.07	118.54
7	सिक्किम	495.22	431.10	64.12
8	त्रिपुरा	812.30	724.49	87.81
	योग	5882.58	4718.79	1163.79

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि जब भी राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी अभिकरण को निधियाँ अंतरित करने में विलम्ब पाया गया था तभी राज्य सरकार को समय से निधियाँ अंतरित करने की सलाह दी गई थी। प्रावधानों को कड़ा करने हेतु अगस्त 2008 में दिशानिर्देशों में संशोधन किये गये थे तथा राज्यों को कार्यकारी अभिकरणों को 15 दिनों के भीतर निधियों का अंतरण करना था। सभी आठ उ.पू. राज्यों हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके दौरों के दौरान तथ्य को सत्यापित करने हेतु नियुक्त किया जा चुका था। निधियों के उपयोगिता के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि उपयोगिता में विलम्ब विभिन्न कारणों के कारण था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घ वर्षा मौसम के कारण सीमित कार्य काल तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक विशेषज्ञता की सीमाएं शामिल हैं। निधियों की उपयोगिता के लिए निर्धारित अवधि नौ महीने थी जिसे अगस्त 2009 में 12 महीनों तक फिर से संशोधित किया था।

परियोजना के सामयिक निष्पादन के लिए मंत्रालय को राज्यों/कार्यान्वयन अभिकरणों की अवशोषी क्षमता तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए तथा निधि प्रवाह प्रबंधनों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, जिससे कि कम से कम अव्ययित/आधिक्य राशि कार्यान्वयन अभिकरणों के पास रहे।

4.3 सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत राज्यों का अंश

सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध वित्तीय सहायता, 2004-05 तक अनुदान के रूप में परियोजना की लागत की 90 प्रतिशत तथा ऋण के रूप में 10 प्रतिशत थी। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा केवल 90 प्रतिशत अनुदान ही जारी किया गया था तथा शेष 10 प्रतिशत का राज्यों द्वारा अंशदान किया जाना था। 2005-08 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 113.93 करोड़ रू का कुल राज्य अंश संबंधित राज्यों द्वारा अंशदान नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 18 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 18: राज्य अंश की गैर-निर्मुक्ति (2005-08)

(करोड़ रू. में)

राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय अंश (90%)	राज्य द्वारा जारी किए जाने वाला राज्य अंश (10%)	जारी राज्य अंश	राज्य अंश को कम जारी करना/देय (कालम 3-4)	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
असम	696.21	77.34	5.02	72.32	2005-08 के दौरान वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के संबंध में
नागालैण्ड	256.33	28.48	16.24	12.24	2005-08 के दौरान वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के संबंध में
त्रिपुरा	198.24	22.03	2.46	19.57	9 पुनःरीक्षित की गई परियोजनाओं में से 6 के संबंध में
मिजोरम	35.16	3.66	1.79	1.87	9 पुनःरीक्षित की गई परियोजनाओं में से 3 के संबंध में
मणीपुर	40.74	4.53	0.005	4.52	10 पुनःरीक्षित की गई परियोजनाओं में से 9 के संबंध में
मेघालय	25.88	2.87	Nil	2.87	10 पुनःरीक्षित की गई परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं के संबंध में
अरूणाचल प्रदेश	8.02	0.89	0.35	0.54	10 पुनःरीक्षित की गई परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं के संबंध में
योग	1260.58	139.8	25.87	113.93	

यह पाया गया था कि राज्य अंश कुछ मुख्य परियोजनाओं, जैसे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अगरतला (त्रिपुरा), मिजोरम विश्वविद्यालय का अवसंरचना विकास, अरूणाचल प्रदेश में माँचल प्रशासनिक सर्कल को जोड़ने के लिए लोहित नदी के ऊपर से वाहन योग्य झूला पुल का निर्माण तथा लोहू नालाह से मुक्टू सर्कल अरूणाचल तक सम्पर्क सड़क का निर्माण, में जारी नहीं किया गया था। इसने परियोजनाओं के निष्पादन को प्रभावित किया तथा उनमें से अधिकांशतः अभी भी अपूर्ण हैं।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि जहाँ राज्यों को अपना अंश अभी भी देना था, मामले सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाए जा रहे थे।

4.4 ऋण की गैर-वसूली

2004-05 तक पूर्व-संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सं.गै.व्य.के.पू. से राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत तथा ऋण के रूप में 10 प्रतिशत थी। ऋण को सहायता को जारी करने के आगामी वर्ष से प्रारम्भ करके बकाया शेषों पर ब्याज सहित एक साथ 20 वार्षिक बराबर किश्तों में वापिस किया जाना था। मूल तथा/अथवा ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के मामले में, सभी ऐसी विलंबित किश्तों पर लागू दरों पर दण्डनीय ब्याज वसूली योग्य था। 1998-99 से 2004-05 की अवधि के दौरान, मंत्रालय ने उ.पू. राज्यों को अनुदान सहित 168.20 करोड़ रू. राशि के ऋण जारी किए। प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय के अनुसार, 31.70 करोड़ रू. राशि के के ऋण (मूल, ब्याज तथा पुनर्भुगतान चूकों पर दण्डनीय ब्याज) 31 मार्च 2009 तक उ.पू. राज्यों से बकाया थे। तालिका 19 में ब्यौरे दिए गए हैः

तालिका-19: राज्यों से वसूल न किये गये ऋण

(लाख रू. में)

राज्य	जारी ऋण राशि	देय मूल	देय ब्याज	वसूली योग्य दण्डनीय ब्याज	वसूलनीय कुल राशि
(1)`	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)+(4)+(5)
अरूणाचल प्रदेश	1492.79	0	0.47	0.01	0.48
असम	4451.29	458.18	1983.58	53.87	2495.63
मणीपुर	1519.64	7.50	40.05	3.32	50.87
मेघालय	954.53	0	1.42	0.04	1.46
मिजोरम	2208.50	29.30	130.46	3.47	163.23
नागालैण्ड	2265.83	87.32	353.31	10.49	451.12
सिक्किम	1571.75	0.94	1.62	0	2.56
त्रिपुरा	2356.01	0	4.93	0.08	5.01
योग	16820.34	583.24	2515.84	71.28	3170.36

4.5 सं.गै.व्य.के.पू. निधियों का विपथन

सं.गै.व्य.के.पू. दिशानिर्देशों के अनुसार, पूल के अंतर्गत उपलब्ध निधियाँ या तो राज्य सरकारों या फिर केन्द्रीय मंत्रालयों/विभाग/अभिकरणों के सामान्य योजना कार्यक्रमों को अनुपूरक करने के लिए नहीं हैं। तथापि, उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय ने अन्य योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सं.गै.व्य.के.पू. में से 1796.58 करोड़ रू. की राशि विपथन किया, जिसका परिणाम गलत उपयोग एवं सं.गै.व्य.के.पू. पूल के संकुचन में हुआ। ऐसे कुछ मामलों की नीचे चर्चा की गई हैः

4.5.1 सं.गै.व्य.के.पू. को 1605.38 करोड़ रू. का उ.पू.प. व्यय को डेबिट करना

उत्तर पूर्वी परिषद (उ.पू.प.), उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय के अधीन एक अलग संस्था है जो योजनाओं एवं परियोजनाओं को स्वीकृत एवं कार्यान्वित करती है, जिससे दो या अधिक राज्यों को लाभ होता हो, तथा उसके पास ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अलग बजट हो। मंत्रालय

ने 1998-99 से 2001-02 के दौरान उ.पू.प. द्वारा सं.गै.व्य.के.पू. में से व्यय की गई 1605.38 करोड़ रू. की राशि की कटौती करने का निर्णय लिया (अगस्त 2002)। मंत्रालय का यह निर्णय दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदण्डों के प्रतिकूल था। मंत्रालय ने अगस्त 2008 में बताया कि सं.गै.व्य.के.पू. संचयों में से कथित व्यय काटा गया था क्योंकि यह सब उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु था। मंत्रालय का तर्क विश्वसनीय नहीं था क्योंकि उ.पू.प. तथा सं.गै.व्य.के.पू. अलग बजट प्रावधानों सहित अलग संस्था है। इसके अतिरिक्त, सं.गै.व्य.के.पू. से की गई कटौती का परिणाम लगभग 1700 करोड़ रू. प्रति वर्ष के स्तर से लगभग 1100 करोड़ रू. तक सं.गै.व्य.के.पू. निधियों को वार्षिक संचयों की कटौती में भी हुआ। फरवरी 2007 में सचिवों की समिति ने निर्णय लिया था कि अगले तीन वर्षों के लिए उ.पू.प. के वार्षिक व्ययों/परिव्ययों को सं.गै.व्य.के.पू. लेखों को डेबिट नहीं किया जाएगा तथा इसके बाद निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि उसने पूल से ऐसी कटौतियों का समर्थन नहीं किया। तथापि, मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वह कैसे सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत निधियों के उपयोग की दर में सुधार करने जा रहा था जहाँ वार्षिक निर्मुक्ति की राशि निधि के वार्षिक सम्भूतियों की तुलना में काफी कम थी जिसका परिणाम सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत शेषों के संचयन में हुआ।

4.5.2 सं.गै.व्य.के.पू. को अन्य परियोजनाओं की देयता को विचलन

दिशानिर्देशों के अनुसार, सं.गै.व्य.के.पू. निधियाँ चालू कार्यक्रमों के लिए एक परिवर्धनता होगी। इनका प्रयोग राज्य/केन्द्र सरकार की किसी बजट की गई चालू परियोजना अथवा योजना को अनुकल्प करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ परियोजनाएं, जो कि प्रारम्भ में राज्यों द्वारा ली गई थीं परंतु मुख्यतः निधियों की बाध्यताओं के कारण बाद में रोक दी गई/छोड़ दी गई थी तथा सं.गै.व्य.के.पू. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ये राज्यों द्वारा त्रुटिपूर्ण विनियोजन को दर्शाते हुए सं.गै.व्य.के.पू. के माध्यम से वित्तपोषित था। वहाँ ऐसी 11 परियोजनाएँ (मार्च 2008 तक 191.20 करोड़ रू. के सं.गै.व्य.के.पू. वित्तपोषण के साथ) जिनका विवरण तालिका 20 में दिया गया है:

तालिका 20: परियोजना का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष जिसमें परियोजना स्वीकृत की गई थी	परियोजना की स्वीकृत लागत	पहले से किया गया व्यय	सं.गै.व्य.के.पू. से वित्तपोषण	सं.गै.व्य.के.पू. के अधीन इस परियोजना को लेने के कारण
				(करोड़ रू. में)			
1.	असम	अमरैंग लघु सिंचाई योजना	1998-99	61.54	उ.न.[θ]	12.00	उ.न.
2.	असम	डुबड़ी जल आपूर्ति योजना	1985	12.06	1.50	10.07	निधियों की बाध्यताओं के कारण
3.	असम	ग्रेटर सिल्चर शहर जल आपूर्ति	2001-02	13.89	1.50	12.30	उ.न.

[θ] अभिलेखों में उपलब्ध नहीं

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष जिसमें परियोजना स्वीकृत की गई थी	परियोजना की स्वीकृत लागत	पहले से किया गया व्यय	सं.गै.व्य.के.पू. से वित्तपोषण	सं.गै.व्य.के.पू. के अधीन इस परियोजना को लेने के कारण
				(करोड़ रू. में)			
4.	असम	चंपामती सिंचाई परियोजना	1980-81	147.24	भौतिक प्रगति 70% सहित 67.42	43.85(शेष 79.82 करोड़ रू को बी.एन.वाई♣ के अंतर्गत ए.आई.बी. पी.* से पूरा किया जाना	उ.न.
5.	मेघालय	उप-ट्रांसमिशन एवं संवितरण योजना-मेघालय में विद्युत मास्टर प्लान संवितरण	1989-90	74.16	33.24	24.00	निधियों की बाध्यताओं के कारण
6	मेघालय	माउप्लांग पर 10 पुलों एवं पहुँच मार्ग का पुर्ननिर्माण-बालत सड़क पुल सं.9/1	2002-03	0.80	0.15	1.05	निधियों की बाध्यताओं के कारण
7	मणीपुर	सिंगजमाई पर इम्फाल नदी के उपर पुल का निर्माण	1998-99	1.54	0.23	3.69	उ.न.
8	सिक्किम	चकमके डब्ल्यू.एस.एस.	2003-04	3.66	0.15	4.62	राज्य निधियों की कमी के कारण
9	सिक्किम	रबडेंटशे जल एकत्रण	2003-04	7.35	0.31	12.41	राज्य निधियों की कमी के कारण
10	सिक्किम	मैली-रंगीत पर 132 के वी ट्रांसमिशन लाईन	1998-99	13.73	1.50	27.42	राज्य निधियों की कमी के कारण
11	सिक्किम	नामची से सम्द्रुप्तशे तक रोपवे का निर्माण	2003-04	26.27	4.60	39.79	राज्य निधियों की कमी के कारण
योग				362.24	110.60	191.20	

राज्य योजनागत योजनाओं को वित्तपोषण करने के लिए सं.गै.व्य.के.पू. निधियों का उपयोग करना, सं.गै.व्य.के.पू. दिशानिर्देशों के विपरीत था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि पूल से निधियाँ या तो राज्य अथवा केन्द्रीय मंत्रालयों के सामान्य योजना कार्यक्रमों को अनुपूरक करने के लिए नहीं थी। मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा दावे को प्रमाणित करता है। यह योजना दिशानिर्देश को लागू करने में कमजोर मॉनीटरिंग एवं विफलता को भी इंगित करता है।

♣ भारत निर्माण योजना

* त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

4.6 मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के अग्राह्य घटकों पर निधियों का निर्गम

दिशानिर्देशों के अनुसार, सं.गै.व्य.के.पू. किसी भी स्टाफ घटक, चाहे वह कार्य प्रभारित हों या फिर नियमित, को परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा निधियों से सृजित नहीं किया जाना था। उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय के अनुवर्ती नीति निर्णय के अनुसार, अभिकरण प्रभारों, राज्य सरकार के करों एवं गुणवत्ता नियंत्रण, विभागीय प्रभारों आदि जैसे घटक सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए ग्राह्य नहीं थे। मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों में अभिलेखों की संवीक्षा ने 27 परियोजनाओं में अग्राह्य घटकों के लिए राज्यों/कार्यान्वयन अभिकरणों को 12.23 करोड़ रू. के निर्गम को प्रकट किया जैसा कि तालिका 21 में ब्यौरा दिया गया है। अग्राह्य घटकों पर जारी राशि को मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा संबंधित प्राधिकारियों से वसूले जाने अथवा समायोजन किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका-21: अग्राह्य घटकों हेतु किए गए निर्गमों के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नीति निर्णय/दिशानिर्देशों के अनुसार अग्राह्य घटक	जारी की गई राशि (लाख रू. में)
त्रिपुरा			
1	राज्य स्तरीय पैरा चिकित्सा संस्थान	अभिकरण प्रभार	59.92
2	रोखिया में 1 x 21 मे.वा.गैस थर्मल परियोजना (इकाई सं. VIII)	स्थापना प्रभार	368.25
नागालैण्ड			
3	जिला अस्पतालों का उन्नयन	बिक्री कर, कार्य प्रभारित स्थापना प्रभार तथा विभागीय प्रभार	148.41
4	दीमापुर से गणेश नगर सड़क	गुणवत्ता नियंत्रण	10.62
5	दीमापुर-कोपानाला-जालूकी-पेरेन सड़क का उन्नयन	विभागीय प्रभार	13.00
6	लोंगमुख से होकर मंगलेमोंग-अलीबा सड़क का उन्नयन	विभागीय प्रभार	4.00
7	पुराना फैक से होकर खुजा से सतारवा सड़क का उन्नयन	विभागीय प्रभार	8.00
8	रूसुमो से किजूमेटूमा तक सड़क का उन्नयन	विभागीय प्रभार	88.00
9	फैक् से चोजूबा तक सड़क का निर्माण	विभागीय प्रभार	70.00
10	टोहोक-चैनलाइसो-वांगति एवं टेंग जंक्शन-चैनमोहो सड़क का निर्माण	विभागीय प्रभार	6.00
11	किफरी-पुंगरो सड़क का निर्माण	विभागीय प्रभार	5.00
12	किफरी-अम्हातीर-लुखामी सड़क का निर्माण	विभागीय प्रभार	13.00
13	नागालैण्ड में धनसिरी नदी के ऊपर दो लेन आर.सी.सी. पुल का निर्माण	विभागीय प्रभार	26.00
असम			
14	डिब्रूगढ़ जिले में मोरन नाहरकोटिया सड़क पर आर.सी.सी. पुल सं. 35/2 एवं 53/2	गुणवत्ता नियंत्रण	0.38
मिजोरम			
15	भौंगक्वन से द्रुतलैण्ड सड़क का सुधार एवं चौड़ा करना	कार्यप्रभारित स्थापना	6.64

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नीति निर्णय/दिशानिर्देशों के अनुसार अग्राह्य घटक	जारी की गई राशि (लाख रू. में)
मणीपुर			
16	तमैगलौंग में 50 बिस्तर वाला जिला अस्पताल	बिक्री कर, अभिकरण प्रभार	43.44
17	सेनापति जिले में 50 बिस्तर वाला अस्पताल	-वही-	43.13
18	उखरूल में 50 बिस्तर वाला अस्पताल	-वही-	42.24
19	चण्डैल में 50 बिस्तर वाला अस्पताल	-वही-	39.79
20	जिरीबम में 50 बिस्तर वाला अस्पताल	-वही-	47.30
21	रिमंस में धर्मशाला भवन	बिक्री कर	4.83
22	घाटी क्षेत्रों में 10 प्रा.स्वा.के. तथा बैरक प्रकार के मकान	बिक्री कर, अभिकरण प्रभार	8.86
23	घाटी क्षेत्रों में 18 प्रा.स्वा.के.	-वही-	16.31
24	पहाड़ी क्षेत्रों में 32 पी.एच.एस.सी.	-वही-	23.79
25	480 बिस्तर वाला जे.एन. अस्पताल	-वही-	21.66
26	खुमन लम्पाक में राष्ट्रीय खेल अकादमी	-वही-	100.73
27	एम.यू. (फेस-II) का अवसंरचना विकास	बिक्री कर	3.48
	योग		1222.78

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि अभिकरण प्रभार/विभागीय प्रभार सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत ग्राह्य है तथा जहाँ कहीं भी परियोजनाएँ राज्य विभागों के अलावा अभिकरणों द्वारा निष्पादित की जा रही है तो के.लो.नि.वि. के प्रतिमानों के अनुसार इन्हें संस्वीकृति दी गई है। इसने आगे बताया कि पहले की परियोजनाओं में सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण तथा बिक्री कर की संस्वीकृति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, अगस्त 2004 के नीति निर्णय के अनुसार, इन घटकों पर संस्वीकृति रोक दी गई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि कथित नीति निर्णय के पश्चात् भी मंत्रालय द्वारा अभिकरण प्रभारों, बिक्री कर तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निधियाँ जारी की गई थीं। विभागीय प्रभारों को जारी करने के मामले में, उपरोक्त मामलों में राज्य विभागों को भी निधियाँ जारी की गई थी।

4.7 राज्यों द्वारा किया गया अग्राह्य व्यय

दिशानिर्देशों के अनुसार, सं.गै.व्य.के.पू. निधियों को भूमि अधिग्रहण लागत एवं स्टाफ घटक के लिए उपयोग नहीं किया जाना है, जिसे विभाग में अधिशेष श्रमशक्ति के पुनर्परिनियोजन से पूरा किया जाना था।

तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि 53 परियोजनाओं में वेतन एवं भत्ते/मजदूरी के लिए भुगतान, भूमि अधिग्रहण, कार्य पर जो परियोजना से संबंधित न हो के लिए तथा उ.पू. राज्यों में परियोजना प्रस्तावों में आवृत नहीं किये गये घटकों पर 28.65 करोड़ रू. का अग्राह्य व्यय किया गया था जैसा कि तालिका 22 में दर्शाया गया है।

तालिका-22: राज्यों द्वारा किया गया अग्राह्य व्यय

(लाख रू. में)

राज्य	किया गया अग्राह्य व्यय				
	भूमि अधिग्रहण		भूमि अधिग्रहण		भूमि अधिग्रहण
अरूणाचल प्रदेश	-	152.00	758.00	93.00	1003
असम	27.39	3.00	-	38.58	68.97
मणीपुर	-	-	103.71	-	103.71
मिजोरम	32.00	23.00	153.00	54.39	262.39
मेघालय	-	2.53	95.54	37.34	135.41
नागालैण्ड	48.94	302.00	400.04	54.90	805.88
सिक्किम	238.29	-	-	124.36	362.65
त्रिपुरा	30.00	29.58	29.92	33.76	123.26
योग	376.62	512.11	1540.21	436.33	2865.27

अग्राह्य व्यय का परियोजनावार ब्यौरे अनुबंध 8 में दिये गये है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए अग्राह्य व्यय के मामले को राज्यों के साथ उठाया जा रहा था।

अध्याय V: मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

5.1 मॉनीटरिंग

मंत्रालय स्तर

सं.गै.व्य.के.पू. दिशानिर्देश, सं.गै.व्य.के.पू. योजना के अंतर्गत संस्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जाने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये हैं:

➢ मंत्रालय को राज्य की तिमाही बैठकों की समीक्षा में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि का नामांकन करना चाहिए;

➢ मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षणों के माध्यम के साथ-साथ प्रभाव अध्ययन, सामाजिक लेखापरीक्षाओं तथा सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकनों के माध्यम से अथवा मंत्रालय द्वारा अनुरोध पर स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से मानीटरिंग एवं मूल्यांकन करना।

तथापि, राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने नागालैंड में सात बैठकों में से दो में, मेघालय में 14 बैठकों में से एक में, सिक्किम में आयोजित सात बैठकों में से किसी में भी नहीं तथा मणीपुर में 17 बैठकों में से तीन में भाग लिया। त्रिपुरा के मामले में अपेक्षित सात बैठकों के कार्यवृत उपलब्ध नहीं कराए गए थे, मिजोरम में कोई बैठक नहीं हुई थी तथा असम के मामले में, उस राज्य में आयोजित 19 बैठकों में मंत्रालय के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई सबूत नहीं पाया गया था।

मंत्रालय में यात्रा टिप्पणियों के अध्ययन ने उद्घाटित किया कि नमूना अध्ययन हेतु चयनित 91 परियोजनाओं में से, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा केवल 28 परियोजनाओं की जाँच की गई थी। ग्यारह परियोजनाओं के दौरे एक बार से अधिक किए गए थे तथा राज्य सरकारों को परियोजनाएं समय पर समाप्त करने की सलाह दी गई थी। चार परियोजना स्थलों के दौरे परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले किए गए थे। अगस्त 2008 में मंत्रालय ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण इसके पास अधिकारियों द्वारा जाँच की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या के लिए कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सभी उ.पू. राज्यों के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा तिमाही निरीक्षण की एक क्रियाविधि को जुलाई 2008 से संस्थापित कर दिया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि परियोजनाएँ तिमाही प्रगति रिपोर्टों, उपयोगिता प्रमाणपत्रों, नोडल अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्टों, फोटोग्राफ तथा फील्ड दौरों के माध्यम से भी मॉनीटर की जा रही है। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा की गई मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन न तो पर्याप्त था और न ही प्रभावी था जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई सं.गै.व्य.के.पू. परियोजनाओं के त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन तथा कमजोर समापन दर से स्पष्ट था।

राज्य स्तर

सं.गै.व्य.के.पू. दिशानिर्देश, सं.गै.व्य.के.पू. योजना के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित करते हैं:

- परियोजनावार कार्यान्वयन की प्रगति को मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट (ति.प्र.रि.) में सूचित की जानी थी, जो कि रिपोर्ट के अंतर्गत तिमाही की समाप्ति के तीन सप्ताह के भीतर पहुँचनी चाहिए।

- राज्य के मुख्य सचिव को सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तिमाही बैठक करनी चाहिए तथा ऐसी बैठकों का सारांश अभिलेख मंत्रालय को उपलब्ध करना चाहिए।

- राज्य सरकारों को परियोजनाओं का आवधिक निरीक्षण भी कराना चाहिए।

लेखापरीक्षा निरीक्षण ने प्रकट किया कि इन मापदण्डों का राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया जा रहा था:

- 68 परियोजनाओं की ति.प्र.रि. की नमूना जाँच ने ति.प्र.रि. को भेजने में आठ दिनों से 497 दिनों के बीच का विलम्ब प्रकट किया। असम की सात परियोजनाओं के मामले में, ति.प्र.रि. प्रस्तुत नहीं की गई थीं। नागालैण्ड के मामले में, राज्य सरकार ने कार्यकारी अभिकरणों से प्रतिपुष्टि एकत्रित किए बिना, जारी निधियों के आधार पर उ.प्र. तथा प्रगति रिपोर्ट तैयार की।

- राज्यों के मुख्य सचिव द्वारा सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तिमाही बैठकें नियमित रूप से नहीं की गई थीं। रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान मेघालय तथा मिजोरम में तिमाही समीक्षा बैठकें नहीं की गई थीं।

- 282 नमूना जाँच की गई परियोजनाओं के प्रति, केवल आठ की जाँच की गई थी (केवल असम राज्य), 110 परियोजनाओं के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे (सिक्किम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा असम) तथा 164 परियोजनाओं के निरीक्षण नहीं किये गये थे। अरूणाचल प्रदेश, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम के राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं का बिल्कुल भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यह सुस्पष्ट है कि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों दोनों में, मॉनीटरिंग कमजोर तथा अप्रभावी थी। यह पक्ष सं.गै.व्य.के.पू. के माध्यम से वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की धीमी गति तथा गम्भीर विलम्बों अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि वह स्टाफ/अधिकारियों की कमी के कारण राज्य मुख्य सचिवों द्वारा की गई सभी तिमाही पुनरीक्षण बैठकों में प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त नहीं कर सका था।

मंत्रालय ने अब सभी उ.पू. राज्यों के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की प्रणाली संस्थापित कर दी थी जो कि पुनरीक्षण बैठकों तथा किए गए क्षेत्र निरीक्षणों की संख्या में मंत्रालय की भागीदारी को सुधारेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं की मॉनीटरिंग को सुदृढ़ करने के लिए, तृतीय दल मॉनीटरों की नियुक्ति मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन थी तथा यह सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत संस्वीकृत मुख्य परियोजनाओं की समवर्ती लेखापरीक्षा कराने के बारे में भी विचार कर रहा था।

मंत्रालय का उत्तर पूर्व में उपयुक्त मॉनीटरिंग करने में विफलता को स्वीकार करता है।

5.2 मूल्यांकन

5.2.1 पश्च कार्यान्वयन सर्वेक्षण

योजना में भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना दोनों के सुधार के लिए परिसम्पत्तियों के सृजन पर विचार किया गया था जो कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार, ऐसी अवसंरचना के संचालन की दक्षता एवं प्रभावकारिता का निर्धारण करने तथा लक्षित जनसंख्या/लाभभोगियों पर इसका प्रभाव आंकने के लिए पश्च कार्यान्वयन अध्ययन संचालित करना वांछनीय था। तथापि, राज्यों द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

5.2.2 प्रभाव का सुनिश्चित न किया जाना

मंत्रालय ने 55 परियोजनाओं के लिए, 2004 में चार राज्यों नामतः असम, मणीपुर, मिजोरम तथा नागालैण्ड में भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के माध्यम से सं.गै.व्य.के.पू. परियोजनाओं के प्रभाव निर्धारण अध्ययन किया था, जिसमें से 48 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था क्योंकि सात अपूर्ण पाई गई थीं। मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, 33 परियोजनाएँ (69%) सफल थीं तथा 15 परियोजनाएँ वांछित परिणामों को प्राप्त करने में विफल रही। संस्थान ने सिफारिश की थी कि परियोजनाएँ जो कि आंशिक रूप से सफल थी लोगों पर उनका प्रभाव सुधारने के लिए ध्यान से देखा जाना चाहिए तथा परियोजना निष्पादन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक लोक माध्यम के जरिये परियोजनाओं एवं इसके अभिप्रेत लाभ को परियोजना के लाभभोगियों को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। बाह्य अभिकरण जो परियोजना के समाप्त होने के पश्चात परियोजना निष्पादन निर्धारण भी करे द्वारा एक उपभोक्ता लाभ परिप्रेक्ष्य से परियोजना प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परियोजना पूर्ण अवसरों को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य वित्तपोषण वचनबद्धताओं को मंत्रालय का वित्तपोषण प्रारम्भ होने से पहले खर्च किया जाना चाहिए। यदि मंत्रालय के पूरे किये जा रहे वित्तपोषण पर राज्य का वित्तपोषण प्रासंगिक है, तब यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य का वित्तपोषण समय पर उपलब्ध किया गया कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मंत्रालय, राज्य योजना विभागों तथा परियोजना कार्यान्वयन विभाग के बीच दूरसंचार प्रणाली को सुप्रवाही बनाने एवं मानकीकृत करने की ठोस आवश्यकता थी। विफलता के रूप में वर्गीकृत

परियोजनाओं को मॉनीटर किया जाना चाहिए तथा इन परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उपयुक्त पहल की जानी चाहिए।

योजना आयोग ने भी सं.गै.व्य.के.पू. के प्रभाव का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया था। लेखापरीक्षा के प्रत्युत्तर में, नवम्बर 2008 में योजना आयोग ने बताया कि सं.गै.व्य.के.पू. एवं उ.पू.क्षे. के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं, उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय एवं उ.पू.प. द्वारा मॉनीटर की जा रही थीं। यद्यपि विभिन्न कार्यक्रमों के समग्र कार्यान्वयन की संबंधित राज्यों के वार्षिक योजना विचार-विमर्शों के दौरान समीक्षा की जा रही थीं, फिर भी विभिन्न विन्डोज के माध्यम से उ.पू.क्षे. में योजनाओं/परियोजनाओं के विकास उद्देश्यों की नियमित मॉनीटरिंग करने के लिए कोई समन्वित क्रियाविधि नहीं थी। जहाँ तक आधारभूत न्यूनतम सेवाएं (बी.एम.एस.) तथा अवसंरचना में चिन्हित अन्तरालों के प्रति विकास उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में, योजना आयोग ने बताया (नवम्बर 2008) कि ऐसा मूल्यांकन अभी भी किया जाना था। आयोग ने बागे बताया कि उ.पू.क्षे. में निवेश के उपयोग एवं प्रभाव पर मूल्यांकन अध्ययन किया जाना सक्रिय विचाराधीन था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि आई.आई.एम. लखनऊ द्वारा किए गए प्रभाव अध्ययन को उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय के सं.गै.व्य.के.पू. प्रभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि अध्ययन के परिणाम ज्ञात तथ्यों से विपरीत थे। तथापि, सं.गै.व्य.के.पू. परियोजनाओं की उपयोगिता एवं प्रभाव पर एक मूल्यांकन अध्ययन करना सक्रिय विचाराधीन था।

अध्याय VI: निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

6.1 निष्कर्ष

सं.गै.व्य.के.पू. के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं की सफलता परियोजना गतिविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन, नियमित मॉनीटरिंग तथा प्रभावकारी वित्तीय प्रबंधन पर आवश्यक रूप से निर्भर होती है। यहाँ इन सभी तीनों मुख्य पहलुओं में अपर्याप्तताएँ थीं, जैसा कि इस प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है।

सं.गै.व्य.के.पू. को 1998-99 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना दोनों के तीव्र विकास के लिए सृजित किया गया था। 10वीं योजना अवधि (2002-03 - 2006-07) तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 11वीं योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) में, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कुल व्यय/निवेश 90241.54 करोड़ रू. था। इसमें राज्य योजना, केन्द्रीय मंत्रालयों, उ.पू.प. तथा सं.गै.व्य.के.पू. से वित्तपोषण सम्मिलित था। उसी अवधि अर्थात् 2002-03 - 2007-08 के दौरान, सं.गै.व्य.के.पू. वित्तपोषण 3755 करोड़ रू. था जो कि उत्तर पूर्व में कुल व्यय/निवेश का अनुमानतः 4.15% था। इस प्रकार, सं.गै.व्य.के.पू. उत्तर-पूर्व में अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तपोषण का कोई महत्वपूर्ण स्त्रोत नहीं है। इसके अतिरिक्त, जैसे पहले उल्लेख किया गया है, कि सं.गै.व्य.के.पू. के कारण लोक लेखे में कोई अनुरक्षित निधि सृजित नहीं की गई है जैसा कि वास्तव में विचार किया गया था।

सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत परियोजनाओं का निष्पादन भी संतोषजनक नहीं था क्योंकि निश्चित था कि संस्वीकृत 959 परियोजनाओं (सितम्बर 2008 तक) में से केवल 435 ही वास्तव में अक्तूबर 2008 तक पूरी की गई थी तथा अधिकतर परियोजनाएं गम्भीर रूप से विलम्बित थीं। जबकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परियोजना निष्पादन में कतिपय अन्तर्निहित कठिनाईयाँ सम्मिलित हैं, फिर भी प्रगति की वर्तमान दर प्रश्नों को उठाती है कि क्या सं.गै.व्य.के.पू. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना के तीव्र विकास के अपने बताए उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ हुआ है। इस प्रकार, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सं.गै.व्य.के.पू. को इसको वर्तमान रूप में चालू रखने की आवश्यकता है, स्थिति की समीक्षा करना उपयुक्त होगा। जबकि उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान विकेन्द्रित करके एक सार्थक समर्थक भूमिका अदा करता है फिर भी इसकी प्रचालनों में दक्षता की दृष्टिकोण से तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में समग्र निवेश हेतु अपने अंशदान के दीर्घ प्रसंग में सं.गै.व्य.के.पू. के कार्य करने की विशिष्ट रूप से निर्धारण करने की आवश्यकता होगी।

6.2 अनुशंसाएँ

- मंत्रालय को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सं.गै.व्य.के.पू. वित्त पोषण, उ.पू. क्षेत्र में कुल व्यय का लगभग केवल चार प्रतिशत बनता है और योजना उ.पू. राज्यों में अवसंरचना के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हुई, सं.गै.व्य.के.पू. को आगे जारी रखने की समीक्षा रकनी हो। निधियां उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या तो राज्य योजनाओं अथवा केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम में अभी भी उपलब्ध की जा सकती है।

- निर्णय को विलम्बित करते हुए, मंत्रालय को राज्य सरकार के साथ समन्वय करके विलम्बित तथा अपूर्ण कार्य के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अड़चनों को हटाया जा सके और समय से तथा प्रभावी कार्य निष्पादन किया जा सके।

- सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत वार्षिक उपार्जन वार्षिक निर्मुक्ति की अपेक्षा काफी अधिक है जिसका परिणाम सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत अधिक बड़े आधिक्य शेष में हुआ। राज्य सरकार की सलाह से मंत्रालय को निधियों के उपयोग में सुधार तथा उ.पू. क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने हेतु रणनीति तैयार करनी चाहिए।

- मंत्रालय को राज्यों को आधारभूत न्यूनतम सेवाएं (बी.एम.एस.) तथा अवसंरचनात्मक विकास के अंतर विश्लेषण संचालित करना चाहिए तथा उसे उनके प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए ताकि ऐसी परियोंजनाओं के वित्तपोषण में प्राथमिकता दी जा सके।

- मंत्रालय द्वारा कड़ी मॉनीटरिंग तथा अनुपालना द्वारा वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकारों तथा/या कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सं.गै.व्य.के.पू. निधियों का कोई विपथन या अनियमित उपयोग नहीं था।

- मंत्रालय/राज्य सरकारों को परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा कार्य निष्पादन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग तंत्र के साथ-साथ नियंत्रणों का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए।

- राज्य सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के बारे में पारदर्शिता तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए सं.गै.व्य.के.पू. के अंतर्गत निष्पादित परियोजनाओं का बृहत प्रचार किया जाना चाहिए।
- विशेष तौर पर परिणामों की उपलब्धियों के संदर्भ में प्रभाव अध्ययन/सर्वेक्षण किए जा सकें।

ए.के. पटनायक

(ए.के. पटनायक)
महानिदेशक लेखापरीक्षा

नई दिल्ली
दिनांक 22 अप्रैल 2010

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 23 अप्रैल 2010

अनुबन्ध

अनुबंध-1

(पैराग्राफ 2.3 के संदर्भ में)

चयनित परियोजनाओ की सूची (91)

क्र.सं	परियोजना का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृति लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति*
	अरुणाचल प्रदेश			
शिक्षा क्षेत्र				
1	जे.एन. महाविद्यालय, पासीघाट स्थित 200 सीटों वाले महिला छात्रावास का निर्माण	18/10/2005	5.15	अपूर्ण
2	सर्व शिक्षा अभियान 2006-07	26/09/2006	14.29	अपूर्ण
सड़कें एवं पुल क्षेत्र				
3	मनचल प्रशासनिक सर्कल(स्पेन156.55 मी) को जोड़ने के लिए लोहित नदी के ऊपर मोटर चलित सस्पेंशन पुल का निर्माण	27/12/2005	13.10	अपूर्ण
4	त्वांग जिले में लोह नल्लाह से मुक्टो सर्कल मुख्यालय तक लिंक रोड का निर्माण	27/12/2005	18.03	अपूर्ण
5	जांग से सुलुंगति (95 कि. मी.) तक पोर्टर ट्रेक का सुधार एवं पुनसंयोजन	28/10/2002	2.55	पूर्ण
जल आपूर्ति क्षेत्र				
6	नाहारलगुन जल आपूर्ति योजना	18/02/2003	11.73	अपूर्ण
7	सिले,रानी,सिकाबामिन,सिका टोडे, साइल स्थित ओयान के गांवो के लिए पेयजल आपूर्ति योजना	06/12/2006	17.42	अपूर्ण
बाढ नियंत्रण एवं सिंचाई क्षेत्र				
8	निम्न सबनसिरि जिले के अतंर्गत क्ले नदी पर अपरदन के कार्य	26/09/2002	7.31	पूर्ण
विद्युत क्षेत्र				
9	हवाई से कीबिथू तक 11 के वी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	21/12/2004	2.34	अपूर्ण
10	अलोंग से पासीघाट तक 132 के वी एस/सी की ट्रांसमिशन लाइन	03/08/2005	29.02	अपूर्ण
	असम			
शिक्षा क्षेत्र				
11	असम हेतु सर्व शिक्षा अभियान (2006-07)	29/06/2006	102.93	अपूर्ण
12	गुवाहाटी स्थित असम वस्त्र संस्थान का अवसंरचनात्मक विकास	12/09/2006	7.41	अपूर्ण
बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई क्षेत्र				
13	एमरेंग लघु सिंचाई परियोजना, के ए डी सी	27/02/2002	12.00	पूर्ण
14	चम्पामति सिंचाई परियोजना	31-10-05	43.85	अपूर्ण
स्वास्थ्य क्षेत्र				
15	बी. टी. सी. क्षेत्र में कोकराझार स्थित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	27/01/2005	38.52	अपूर्ण
16	असम मेडिकल कालेज (होप)	21/03/2003	20.00	अपूर्ण

* एस. एस. ए. के संबंध में जनवरी 2010 तक की स्थिति

क्र. सं	परियोजना का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृति लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति*
सड़कें एवं पुल क्षेत्र				
17	कोकराझार में भोवरांगुरी कचुगांव सड़क का सुधार	31/12/2004	23.73	अपूर्ण
18	नलबारी जिले में आर सी सी पुल सं. 20/1 - नलबारी पाल्ला सड़क का निर्माण	20/02/2004	1.44	अपूर्ण
19	मालीगांव, गुवाहाटी (असम) स्थित ए.टी. सड़क पर अतिरिक्त दो लेन रेल ओवर ब्रिज(आर ओ बी) का निर्माण	27/12/2005	13.56	पूर्ण
20	मौजूदा सख्त परत के सुधार सहित गौसाईगांव से साराइबिल सड़क की मैटेलिंग तथा बैक-टोपिंग तथा एस टी पी पुल से आर सी सी पुलों तक का रूपांतर	07/02/2005	19.39	अपूर्ण
21	बेटोला चारियाली से सास्सजाई(बिशनु राभा पथ), गुवाहाटी (असम) की सड़क का निर्माण	27/12/2005	7.77	पूर्ण
22	काशीकोतरा बामुनगांव बेन्गतोल की सड़क का निर्माण	27/12/2005	11.69	अपूर्ण
23	पहुंच मार्ग के साथ तिनसुकिया जिले मे मोरन नाहरीकातिया सड़क पर आर.सी.सी. पुल सं. 35/2, 53/2 का निर्माण	29/07/2004	1.14	अपूर्ण
24	पहुंच मार्ग के साथ सिवासागर जिले (असम) मे सिपोन सफ़री सड्क पर पुल सं. 6/1, 7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 11/1 तथा 11/2 का निर्माण	27/12/2005	4.11	अपूर्ण
25	चरौली-नागरीजुली सड़क	18/02/2003	5.38	अपूर्ण
26	उदालगुड़ी-तामुलपुर मार्ग, दारंग	18/02/2003	36.32	अपूर्ण
27	सिल्वर-हेलाखंडी जिले में हेलाखंडी सड़क पर पहुँच मार्ग तथा पैदल पार पथ सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 38/1, 43/1, 43/3 एवं 44/2 का निर्माण	16/05/2006	3.53	अपूर्ण
28	नलबाड़ी जिले में हरिपुर संसारघाट सड़क - आर.सी.सी. पुल संख्या 2/2 का निर्माण	20/02/2004	2.26	अपूर्ण
29	शिवसागर जिले में धोदर अली मार्ग पर आर.सी.सी. पुल संख्या 156/2, 159/1, 163/2, 165/3, 172/2, 174/2, 177/1 एवं 182/2 का निर्माण	30/09/2004	3.53	पूर्ण
30	धमधमा तुपलिया सुबंखता रोड (ध.तु.सु.) रोड़ का सुधार (धात्विक सतह के सुधार सहित शेष लम्बाई की धात्विकरण एवं ब्लैक टोपिंग)	31/12/2004	13.72	पूर्ण
31	तांगला-दीमाकुची रोड		2.51	पूर्ण
जल आपूर्ति क्षेत्र				
32	धुबरी शहर जल आपूर्ति योजना	12/09/2006	10.27	अपूर्ण
33	ग्रेटर सिल्वर शहर जल आपूर्ति योजना	30-01-03	12.30	अपूर्ण
विद्युत क्षेत्र				
34	एस.टी. एवं डी - मोर्नोई स्थित 2X2.5 एम.वी.ए. एस/एस की निर्माण सहित 26 कि.मी. 33 के.वी. अगिया से मोर्नोई लाईन का निर्माण	18/02/2003	1.63	पूर्ण
35	एस.टी. एवं डी - 2X2.5 एम.वी.ए. से 2X5 एम.वी.ए. तक हेलखंडी 33 के.वी. एस/एस की वृद्धि	18/02/2003	1.20	पूर्ण
	मणीपुर			
शिक्षा क्षेत्र				

क्र. सं	परियोजना का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृति लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति*
36	मणीपुर विश्वविद्यालय फेस-II का अवसंरचनात्मक विकास	29/10/2004	3.88	अपूर्ण
37	सर्व शिक्षा अभियान (2006-07)	29/06/2006	3.78	पूर्ण
स्वास्थ्य क्षेत्र				
38	तमेंगलोंग जिला स्थित 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण एवं सुसज्जीकरण	30/11/2006	14.37	अपूर्ण
39	सेनापति जिला स्थित 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण एवं सुसज्जीकरण	30/11/2006	14.26	अपूर्ण
सड़कें एवं पुल				
40	कुयामगेई मैंग मापा स्थित इम्फाल नदी पर पुल का निर्माण	30/11/2006	4.71	अपूर्ण
41	सिंगजमेई पुल का निर्माण	29/10/2004	3.69	पूर्ण
जल आपूर्ति क्षेत्र				
42	माओ स्थित जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	28/10/2004	5.65	पूर्ण
43	वैथाऊपठ जल आपूर्ति योजना	23/03/2005	59.71	अपूर्ण
विद्युत क्षेत्र				
44	माराम (सेनापति जिला) स्थित 33/11, 2X5 एम.वी.ए. सब स्टेशन का निर्माण	17/03/2003	2.81	पूर्ण
खेल कूद क्षेत्र				
45	खुमन लम्पाक खेल परिसर, इम्फाल में राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना	30/11/2006	18.43	अपूर्ण
	मेघालय			
शिक्षा क्षेत्र				
46	थॉमस जोन्स साइनाड महाविद्यालय, जोवाई के अवसंरचना भवन की परिसर विकास योजना	02/11/2005	3.37	अपूर्ण
47	सर्व शिक्षा अभियान 2006-07	26/09/2006	8.59	पूर्ण
48	टिकरीकिला महाविद्यालय परिसर, पश्चिमी गारो पहाड़ी जिला का निर्माण	06/12/2006	5.43	अपूर्ण
विद्युत क्षेत्र				
49	सब ट्रांसमिशन एवं संवितरण योजना- मेघालय में विद्युत के संवितरण की मुख्य योजना	30/01/2003	23.19	पूर्ण
50	सारूसजाई से बर्नीहाट तक 132 के.वी. डी/सी लाईन का निर्माण	10/03/2004	9.78	पूर्ण
सड़कें एवं पुल क्षेत्र				
51	माफलैंग-बलात सड़क पर पुलों एवं पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	18/10/2005	9.01	अपूर्ण
52	रीम्बई अय्यपमाला-सुचेन सड़क (1-17 कि.मी.) के पुलों एवं पुलियों के पुनर्निर्माण सहित सुधार चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	28/12/2005	18.77	अपूर्ण
53	दोहरी लेन का उन्नयन तथा दखिया-सुतंगा-साईपंग-मौलसेई-हाफलोंग सड़क का सुदृढ़ीकरण (9 से 16 किलोमीटर)	18/10/2005	4.46	अपूर्ण
जल आपूर्ति क्षेत्र				
54	नॉगपोह शहरी जल आपूर्ति योजना	26/03/2007	17.47	अपूर्ण

क्र. सं	परियोजना का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृति लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति*
55	जोवाई जल आपूर्ति योजना	21/03/2003	15.41	अपूर्ण
	मिजोरम			
शिक्षा क्षेत्र				
56	मिजोरम विश्वविद्यालय का अवसंरचनात्मक विकास (अतिरिक्त)	20/02/2004	23.26	अपूर्ण
57	सर्व शिक्षा अभियान	28/03/2006	5.11	पूर्ण
स्वास्थ्य क्षेत्र				
58	बहिरंग रोगी विभाग ब्लाक का निर्माण, सिविल अस्पताल ऐजोल	21/03/2003	3.71	अपूर्ण
59	सिविल अस्पताल ऐजोल में छः बिस्तरों वाला आई.सी.यू.	21/03/2003	1.42	पूर्ण
विद्युत क्षेत्र				
60	थर्मत विद्युत संयंत्र, बैराबी से विद्युत रिक्तिकरण	27/02/2003	4.56	पूर्ण
61	सब ट्रांसमिशन एवं संवितरण लाइनें लंगलई शहर	21/10/2002	8.30	पूर्ण
सड़कें एवं पुल क्षेत्र				
62	लाय ए.डी.सी. में लंगटेन-मामटे रोड़ वाया वर्टेक काय	21/10/2003	26.65	अपूर्ण
63	बान्गकान से डर्टलैंड मार्ग का सुधार एवं चौड़ीकरण	21/03/2003	6.81	पूर्ण
जल आपूर्ति क्षेत्र				
64	ग्रेटर मामीट जल आपूर्ति योजना	13/10/2003	5.77	पूर्ण
	नागालैंड			
सड़कें एवं पुल क्षेत्र				
65	दीमापुर से गणेश नगर सड़क	30/01/2003	12.12	अपूर्ण (उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतिक्षित)
66	दीमापुर खोपनाला जालुकी पेरेन सड़क का उन्नयन	10/02/2006	36.73	अपूर्ण
67	पुराना बाजार (रा.रा.-39 बाईपास) से कोहिमा - बोकाजन सड़क का निर्माण	20/09/2004	21.18	पूर्ण
शिक्षा क्षेत्र				
68	पुंगलवा, कोहिमा स्थित सैनिक स्कूल	19/03/2004	14.07	अपूर्ण
69	सर्व शिक्षा अभियान (2005-06 एवं 2006-07)	29/03/2006	9.28	पूर्ण
स्वास्थ्य क्षेत्र				
70	राज्य रेफरल अस्पताल का सक्रियाकरण	19/02/2004	35.62	अपूर्ण
71	जिला अस्पतालों का उन्नयन	26/02/2004	14.40	अपूर्ण
जल आपूर्ति क्षेत्र				
72	मोन तथा चुई गाँवों हेतु जलापूर्ति योजना	08/11/2003	3.92	अपूर्ण
विद्युत क्षेत्र				
73	दीमापुर स्थित 22.92 एम.डब्ल्यू. एच.एफ.ओ. आधारित थर्मल विद्युत संयंत्र	17/03/2004	32.00	अपसर्जित
विविध क्षेत्र				
74	कोहिमा स्थित राज्य अभिलेखागार की स्थापना	29/06/2006	4.31	अपूर्ण
	सिक्किम			
शिक्षा क्षेत्र				
75	सर्व शिक्षा अभियान	28/03/2006	2.00	पूर्ण

क्र. सं	परियोजना का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृति लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति*
76	विद्यालय भवन का निर्माण तथा विभिन्न विद्यालयों हेतु वर्षा जल एकत्रीकरण	08/12/2006	11.47	अपूर्ण
विद्युत क्षेत्र				
77	मेली स्थित 132/66 के.वी.के. उपस्टेशन के साथ रंगित से मेली तक 132 के.वी. एस/सी की ट्रांसमिशन लाइन	16/01/2002	28.17	पूर्ण
78	गेंगटोक शहर के ट्रांसमिशन तथा संवितरण नेट्वर्क का पुन प्रतिरूप तैयार करना	18/05/2004	22.44	पूर्ण
सड़कें एवं पुल क्षेत्र				
79	ग्रामीण सस्पेंशन फ़ुट पुल का निर्माण (सं. 35)	28/02/2002	8.90	पूर्ण
80	सिंताम स्थित तीस्ता के ऊपर गोशकन दारा पुल का निर्माण	15/02/2006	13.38	अपूर्ण
जल आपूर्ति क्षेत्र				
81	गेंगटोक मल निकासी परियोजना का विस्तार (फ़ेज -II), सिक्किम	21/03/2003	7.00	पूर्ण
82	सिक्किम में ग्रेटर गेंगटोक फ़ेज -II हेतु जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	30/07/2004	24.34	पूर्ण
	त्रिपुरा			
शिक्षा क्षेत्र				
83	सर्व शिक्षा अभियान	28/03/2006	14.14	पूर्ण
84	सर्व शिक्षा अभियान (2006-07)	29/06/2006	10.66	पूर्ण
स्वास्थ्य क्षेत्र				
85	राज्य स्तरीय पैरा मेडिकल संस्थान अगरतला	17/03/2005	14.07	अपूर्ण
86	राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अगरतला	10/10/2005	104.51	अपूर्ण
सड़कें एवं पुल क्षेत्र				
87	बनीक्या चौमुहानी से सलबागान सड़क (9 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	20/03/2006	4.77	पूर्ण
88	आर.सी.सी. पुल द्वारा त्रिपुरा में कमालपुर मरचेरा अम्बासा सड़क पर दो मौजूदा अर्द्ध स्थायी लकड़ी के पुलों (एस.पी.टी.) का प्रतिस्थापन-	20/03/2006	4.28	अपूर्ण
जल आपूर्ति क्षेत्र				
89	तेलियामुरा हेतु पेयजल आपूर्ति योजना	17/03/2003	6.21	अपूर्ण
90	धर्मनगर हेतु पेयजल आपूर्ति योजना	27/02/2003	5.49	पूर्ण
विद्युत क्षेत्र				
91	रोखिया में (ईकाई VIII) 1x21 मे.वा. गैस थर्मल परियोजना	21/05/2004	80.94	पूर्ण
	योग		1399.89	

अनुबंध 2

(पैरा 3.2.2.2 के संदर्भ में)

सड़कें एवं पुल परियोजना

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
अरूणाचल प्रदेश		
1. लोहित नदी के ऊपर मंचल प्रशासनिक सर्कल (स्पैन 156.55 मी.) को जोड़ने के लिए मोटर चलित सस्पेंशन पुल का निर्माण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 13.10 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 8.25 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति[#] 27.40 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 11 माह का विलम्ब[*]। • परियोजना का डी.पी.आर. अग्रेषित करने से पहले लो.नि.वि. द्वारा कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यह रॉक स्टार्टा के मौजूद होने के कारण इस्पात सस्पेंशन से इस्पात आर्क पुल की विशिष्टताओं में बदलाव का कारण बना जिसका परिणाम लागत के 26.29 लाख रू तक अधिक बढ़ जाने में हुआ। विशिष्टताओं में बदलाव हेतु मंत्रालय की स्वीकृति नहीं थीं।
2. तवांग जिले में ल्हौ नल्ला से मुक्तो सर्कल मुख्यालय तक लिंग रोड़ का निर्माण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 18.03 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 15.75 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि.	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 11 माह का विलम्ब।
3. झांग से सुलुंगथी (95 किमी) पोर्टर ट्रैक का सुधार एवं पुर्नसंयोजन परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 2.55 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 2.55 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 29.10.2004 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि.	पूर्ण	परियोजना 31 माह के विलम्ब के उपरान्त दिनांक 1.06.2007 को समाप्त हुई थी
असम		
4. कोकराझार में भौरागुड़ी काचुगाँव सड़क का सुधार परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 23.73 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 23.73 करोड़ रू	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 72 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 23 माह का विलम्ब। • राज्य सरकार से निधियों के प्राप्त करने के ऊपरांत बोडोलेण्ड क्षेत्रीय समिति (बो क्षे स) द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण को निधियां जारी करने

[#] नवम्बर 2009 तक प्रत्येक मामले में परियोजना की भौतिक प्रगति है।

[*] प्रत्येक परियोजना में कार्यसमापन में विलम्ब नवम्बर 2009 की अंतिम तिथि से परिकलित किया गया है।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2007 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़क) कोकराझार प्रभाग		में विलम्ब 30 से 92 दिनों के बीच था। • विलम्ब के कारण लगातार बन्ध, मजदूर हड़ताल तथा भारी वर्षा भी थे।
5. आर.सी.सी. पुल संख्या 20/1 का निर्माण - नलबाड़ी जिले में नलबाड़ी पल्ला सड़क परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 1.44 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 1.44 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 30.06.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सडक) नलबाडी प्रभाग	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 53 माह का विलम्ब।
6. ए.टी. रोड़ मालीगाँव, गुवाहाटी (असम) पर अतिरिक्त दो लेन रेल ओवर ब्रिज का निर्माण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 13.56 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः12.02 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 30.11.2007 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़क) गुवाहाटी शहर प्रभाग	पूर्ण	• परियोजना समय से अक्तूबर 2007 में पूरी हुई थी। • मार्च 2008 (372 दिन) तक ठेकेदार के पास 12.00 लाख रू. के वसूल न किए गये/असमायोजित सुरक्षित अग्रिम थे।
7. मौजूदा हार्ड क्रस्ट का सुधार तथा एस.टी.पी. पुल से आर.सी.सी. पुल के निर्माण सहित गोसाईंगाँव से सरायबिल सड़क का धात्वीकरण तथा बैक टोपिंग परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 19.39 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 19.39 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2007 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 83 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 32 माह का विलम्ब था। • बो क्षे स द्वारा राज्य सरकार से मई-जून 2007 में प्राप्त की गई 458.26 लाख रू. की निधियां कार्यान्वयन अभिकरण को 31.03.2008 को दी गई।
8. काशीकोत्रा बामुंगाँव बेगलोल सड़क का निर्माण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 11.69 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 11.69 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 27.12.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें) बोगाईगांव प्रभाग	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 81 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 11 माह का विलम्ब। • बो क्षे स द्वारा राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करने के उपरांत कार्यान्वयन अभिकरण को निधियां जारी करने में 100 से 303 दिनों का समय लिया।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
9. तिनसुकिया जिले में मोरन नहरकटिया सड़क पर पहुँच मार्ग के साथ आर.सी.सी. पुल संख्या 35/2, 53/2 का निर्माण परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 1.14 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 1.04 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें) डिब्रूगढ़ प्रभाग	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 68 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 47 माह का विलम्ब। • ठेकेदार के कार्य पूरा करने के प्रति ढ़ीले रवैये के कारण परियोजना विलम्बित हुई थी। • मार्च 2008 तक ठेकेदार से 9.00 लाख रू के सुरक्षित अग्रिम की गैर वसूली। (844 दिन)
10. शिवसागर जिले (असम) में पहुँच मार्ग के साथ सेपोन सफरी सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 6/1, 7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 11/1 तथा 11/2 का निर्माण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः4.11 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः1.30 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.05.2007 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें), सोनारी प्रभाग	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 0 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 30 माह का विलम्ब। • यद्यपि परियोजना दिसम्बर 2005 में स्वीकृत हो गई थी परन्तु निविदा मई 2008 में ढ़ाई वर्ष के बीत जाने के बाद स्वीकार की गई।
11. चरौली-नगरीजुली सड़क परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः5.38 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः4.92 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.07.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः सीमा सड़क संगठन (सी.स.सं.)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 43 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 52 माह का विलम्ब।
12. उदालगुड़ी-तामुलपुर सड़क, दारांग परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 36.32 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 33.46 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः सी.स.सं.	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 57 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 20 माह का विलम्ब।
13. हैलाकण्डी जिले में सिल्चर-हैलाकण्डी रोड़ पर पहुँच मार्ग तथा पैदल पार पथ सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 38/1, 43/1, 43/3 तथा 44/2 का निर्माण परियोजना वर्षः 2006-07 स्वीकृत लागतः 3.53 करोड़ रू	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 0 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 24 माह का विलम्ब।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 1.11 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 30.11.2007 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें) , हेलखण्डी प्रभाग		
14. नलबाड़ी जिले में हरीपुर संसारघाट सड़क-आर.सी.सी. पुल संख्या 2/2 का निर्माण परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 2.26 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 1.83 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 30.06.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें) नलबाड़ी प्रभाग	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 83 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 53 माह का विलम्ब।
15. शिबसागर जिले में दोधर अली रोड़ पर आर.सी.सी. पुल संख्या 156/2, 159/1, 163/2, 165/3, 172/2, 174/2, 177/1 एवं 182/2 का निर्माण परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 3.53 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 3.21 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें), सोनारी प्रभाग	पूर्ण	• परियोजना 25 माह के विलम्ब के उपरान्त 18.2.2008 को पूर्ण हुई थी। • 31.3.2008 (256 दिन) तक ठेकेदार से 7 लाख रू के अग्रिम का गैर-समायोजन। • यद्यपि पुल का पूरा होना दर्ज किया गया था तथापि पुल के पहुँच मार्ग प्रशासनिक स्वीकृति के अननुमोदन के कारण अपूर्ण रहे। इस प्रकार पुल को प्रयोग में नहीं लाया जा सका।
16. धमधमा तुपालिया सुबनखता (डी.टी.एस.) सड़क का सुधार (मौजूदा धात्विक सतह सुधार सहित शेष दूरी का धात्वीकरण एवं ब्लैक टोपिंग) परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 13.72 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 13.72 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2007 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल), एन. के. सड़क प्रभाग	पूर्ण	• परियोजना 21 माह के विलम्ब के उपरान्त 9.1.2009 को पूरी की गई थी। • राज्य सरकार से निधियों की प्राप्ति के उपरान्त बोडोलैण्ड क्षेत्रीय समिति ने कार्यान्वयन अभिकरण को निधियाँ जारी करने में 121 दिन लिए। • परियोजना कानून एवं व्यवस्था की समस्या तथा बाढ़ वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक बाध्यताओं के कारण विलम्बित हुई।
मणीपुर		
17. कुयामगेई मांग मापा स्थित इम्फाल नदी पर उपरी सेतु का निर्माण परियोजना वर्षः 2006-07 स्वीकृत लागतः 4.71 करोड़ रू	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 12 माह का विलम्ब।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 4.12 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 28.11.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि., पुल प्रभाग		
18. सिंगजामेइ पुल का निर्माण परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 3.69 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 3.35 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.10.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि., पुल प्रभाग	पूर्ण	• परियोजना 36 माह के विलम्ब के उपरान्त 16.11.2009 को पूरी की गई थी। • स्टेजिंग/फोर्मवर्क हेतु आवश्यक सामग्री के लिए किराया प्रभार के रूप में अतिरिक्त भुगतान से ठेकेदार को 11.91 लाख रू का अनुचित लाभ क्योंकि उसे ठेकेदार द्वारा दी गई दरों में शामिल किया गया था।
मेघालय		
19. मावफ्लांग-बलात सड़क पर पुलों तथा पहुँच मार्गों का पुनर्निर्माण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 9.01 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 7.87 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 18.11.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 86 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 12 माह का विलम्ब। • ठेकेदार से स्त्रोत पर एम.वी.ए.टी. अधिनियम (मेघालय वैल्यू एडेड टैक्स) के अंतर्गत 6.34 लाख रू की राशि के कर की गैर-कटौती।
20. रीम्बई अय्यपमाला-सुचेन सड़क (1-17 कि.मी.) के पुलों एवं पुलियों के पुनर्निर्माण सहित सुधार चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 18.77 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 16.40 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2007 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 89 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 23 माह का विलम्ब। • सामग्री की विलम्बित सुपुर्दगी हेतु दण्ड की गैर-उगाही जिसका परिणाम ठेकेदार को 9.81 लाख रू के अनुचित लाभ में हुआ।
21. दोहरी लेन का उन्नयन तथा दखिया-सुतंगा-साईपंग-मौलसेई-हाफलोंग सड़क का सुदृढ़ीकरण (9 से 16 किलोमीटर) परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 4.46 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 3.89 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 18.11.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत थी लेकिन समापन प्रमाणपत्र प्रतिक्षित था। • परियोजना को पूरा करने में 12 माह का विलम्ब। • मंत्रालय द्वारा पहले से स्वीकृत लागत अनुमानों के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा सामग्री की ढुलाई पर उच्च दरों के भुगतान के कारण 16.64 लाख रू का अधिक व्यय।
मिजोरम		

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
22. लाय ए.डी.सी. में लंगटेन-मामटे रोड़ वाया वर्टेक काय परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 26.65 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 24.77 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.10.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 37 माह का विलम्ब। • परियोजना लो.नि.वि., सड़कें एवं पुल विभाग द्वारा अनुपयुक्त योजना अर्थात अनुमानों के बार-बार संशोधन, मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के अभाव के कारण विलम्बित हुई थी। • विभाग को 135.00 लाख रू. के कार्य का पुनःनिष्पादन करना पड़ा था क्योंकि पूर्व ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य निम्न स्तर का पाया गया था। • सितम्बर 2005 में प्रापण किए गए 146 लाख रू. की कीमत के 11 बेली पुल उपकरण स्थल पर 2 वर्ष तथा 11 महीनों (जुलाई 2008) तक अप्रयुक्त पड़े रहे। • 68 प्रतिशत (अगस्त 2008 तक) की वास्तविक उपलब्धियों के विरूद्ध अभियांत्रिक लो.नि.वि. ने 97 प्रतिशत भौतिक समापन तथा 100 प्रतिशत की उपयोगिता अभिलिखित (नवम्बर 2007) की यद्यपि लो.नि. जमा के अंतर्गत 718 लाख रू. अप्रयुक्त पड़े रहे।
23. बान्गकान से डर्टलैंड मार्ग का सुधार एवं चौड़ीकरण परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 6.81 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 6.81 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 29.05.2004 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल)	पूर्ण	• परियोजना मई 2004 में समय से पूरी की गई थी। • कार्यान्वयन विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति तथा के.लो.नि.वि. की नियम पुस्तिका की धारा 16.1 की शर्तों के उल्लंघन में बिना निविदाएं आमंत्रित किए 22 विभिन्न ठेकेदारों को सात आर.सी.सी. स्लैब पुलियों (0.52 करोड़ रू.), पन्द्रह रिटेनिंग दीवारें (1.50 करोड़ रू.) तथा नींव कार्य (0.60 करोड़ रू.) के निर्माण से संबंधित 2.62 करोड़ रू. के 23 कार्य आदेशों को जारी (मई 2003 तथा फरवरी 2004) किया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि जल्दी के कारण कार्य आदेश बिना निविदा आमंत्रित किए जारी किए गए थे।
नागालैण्ड		
24. दीमापुर से गणेश नगर सड़क परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 12.12 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 11.11 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2004	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत थी लेकिन समापन प्रमाणपत्र प्रतिक्षित था। • परियोजना को पूरा करने में 68 माह का विलम्ब।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि., (सड़कें एवं पुल) दीमापुर प्रभाग		
25. दीमापुर खोपनाला जालुकी पेरेन सड़क का उन्नयन परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 36.73 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 33.06 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 29.02.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल) दीमापुर प्रभाग	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 21 माह का विलम्ब।
26. पुराना बाजार (रा.रा.-39 बाईपास) से कोहिमा सड़क का निर्माण - बोकाजन सड़क परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 21.18 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 19.25 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें एवं पुल) दीमापुर प्रभाग	पूर्ण	• परियोजना 29.9.2006 में छः माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी।
सिक्किम		
27. ग्रामीण सस्पेंशन पथ पुल का निर्माण (संख्या 35) परियोजना वर्षः 2001-02 स्वीकृत लागतः 8.90 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 8.83 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः ग्रामीण विभाग	पूर्ण	• परियोजना 2.05.2006 में 13 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • नए कार्य को अंतिम रूप देने ने परियोजना के समापन को विलम्बित किया।
28. सिंगताम में तिस्ता के ऊपर गोक्षण दारा पुल का निर्माण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 13.38 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 8.40 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 15.02.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि.	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 45 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 21 माह का विलम्ब। • परियोजना विलम्बित हुई क्योंकि कार्यादेश पहली किश्त की प्राप्ति के उपरान्त जनवरी 2007 में देरी से जारी किया गया था।
त्रिपुरा		
29. बनीक्या चौमुहानी से सलबागान सड़क	पूर्ण	• परियोजना 4.08.2009 में 16 माह के विलम्ब

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
(9 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 4.77 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 4.19 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें)		के उपरान्त पूर्ण की गई थी।
30. त्रिपुरा में कमालपुर-आर.सी.सी. पुल द्वारा मराचेरा अम्बासा सड़क पर दो मौजूदा लकडी के अर्धस्थायी पूलों (अ पू) का प्रतिस्थापन परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 4.28 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 3.74 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि. (सड़कें)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 38 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 20 माह का विलम्ब। • परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब उपयुक्त प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव भेजने में 28 माह के अत्याधिक विलम्ब के कारण था (जनवरी 2008)। मामला अभी निपटाया नहीं (जुलाई 2008) गया है तथा निविदा प्रक्रिया भी विलम्बित थी।

अनुबंध 3
(पैरा 3.2.2.3 के सदर्भ में)

जल आपूर्ति परियोजनाएं

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
अरूणाचल प्रदेश		
1. नाहरलगून जल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 11.73 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः11.04 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 28.02.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (लो. स्वा. अ. वि.)	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत थी लेकिन समापन प्रमाणपत्र प्रतिक्षित था। • परियोजना को पूरा करने में 57 माह का विलम्ब। • राज्य सरकार द्वारा 3.86 करोड़ रू. की बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराई गई।
2. साइल में सिली, रानी, शिकाबामीन, सिका टोड, ओयन गाँवों हेतु पेयजल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2006-07 स्वीकृत लागतः 17.42 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः10.49 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2009 कार्यान्वयन अभिकरणः लो. स्वा. अ. वि.	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत थी। • परियोजना की प्रगति की गति बहुत धीमी है।
असम		
3. ढुबरी टाऊन जल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2007-08 स्वीकृत लागतः 10. 27 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः6.28 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 30.9.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः असम शहरी जल आपूर्ति तथा जल निकासी बोर्ड	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 21 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 14 माह का विलम्ब।
4. ग्रेटर सिल्चर शहर जल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 12.30 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः11.59 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.3.2005	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 93 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 56 माह का विलम्ब।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
कार्यान्वयन अभिकरणः असम शहरी जल आपूर्ति तथा जल निकासी बोर्ड		
नागालैण्ड		
5. मोन तथा चुई गावों हेतु जल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 3.92 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः3.66 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.3.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः लो. स्वा. अ. वि.,कोहिमा	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 97 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 56 माह का विलम्ब। • विलम्ब मुख्य रूप से जल संसाधन प्रदाता लाभर्थी गाँवों के बीच विवाद के कारण था।
मिजोरम		
6. ग्रेटर मामीट जल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 5.77 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः5.29 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.10.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः लो. स्वा. अ. वि.,एजोल	पूर्ण	• परियोजना 28.09.2007 में 11 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • परियोजना विभाग के उपयुक्त स्थल को अंतिम रूप दिए जाने तथा गैर स्वीकृत मदों पर परियोजना निधियों के व्यय करने में अनुपयुक्त विनियोजना के कारण विलम्बित थी।
मणीपुर		
7. माओ स्थित जल आपूर्ति योजना की वृद्धि परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 5.65 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 5.15 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.10.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.स्वा.अ.वि., मणीपुर	पूर्ण	• परियोजना 26.11.2009 में 36 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • आपूर्तिकर्ता को डक्टाईल इस्पात पाईपों की आपूर्ति करने के लिए 30 लाख रू का अधिक भुगतान किया गया। विभाग ने अधिक भुगतान को स्वीकार (नवम्बर 2008) किया।
8. विथाउ पट जल आपूर्ति योजना परियोजना वर्ष 2004-05 स्वीकृत लागत 59.71 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गम 38. 54 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथि 31.3.2008 कार्यान्वयन अभिकरण लो.स्वा.अ.वि.,	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 97 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 20 माह का विलम्ब। • योजना विथाउ पट के चारों ओर तट बंध पर निगरानी तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5.58 कि.मी. की लम्बाई हेतु 3 मीटर चौड़े ब्लैक टोप सड़क का निर्माण करने हेतु प्रदान की गई थी। विभाग ने अगस्त 2008 तक पूर्ण करने के लिए 72.54 लाख रू की लागत पर सड़क के निर्माण हेतु छः कार्य प्रदान (जून-जुलाई 2007)

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
मणीपुर		किए। तथापि, चूंकि विथाउ पट के चारों ओर तट बंध का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था इसलिए कार्य जून 2008 तक चालू नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, तटबंध को पूरा करने से पहले सड़क कार्य को प्रदान करना, विनियोजन में दूरदर्शिता के अभाव का सूचक था। • कार्यकारी अभियंता, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन प्रभाग, जो विथाउ पट पर योजना का कार्यान्वयन कर रहा था, ने डी.डी.ओ. बैंक खाते (सं. 1038412833-भा.स्टे.बैं., पावना बाजार, इम्फाल) में केन्द्रीय कोषालय नियमावली के विरूद्ध सं.गै.व्य.के.पु. की भारी निधियों को रखा। 2006-2008 के दौरान अवरोधन 0.31 करोड़ रू से 5.62 करोड़ रू के बीच था। यह वित्तीय नियंत्रण के अभाव का सूचक है।
त्रिपुरा		
9. तेलियामुड़ा पेयजल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 6.21 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 5.72 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.3.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः **लो.स्वा.अ.वि.**	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत थी लेकिन समापन प्रमाणपत्र प्रतिक्षित था। • परियोजना को पूरा करने में 44 माह का विलम्ब। • परियोजना में विलम्ब भूमि की गैर उपलब्धता, निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब, कार्य आदेशों को जारी करने तथा नई ड्राइंग एवं डिजाइनों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण था। • 7.00 लाख रू के ब्याज की हानि ठेकेदार को ब्याज रहित लामबंद अग्रिम के अप्राधिकृत भुगतान के कारण थी।
10. धरमनगर पेयजल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 5.49 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 5.05 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.3.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.स्वा.अ.वि.	पूर्ण	• परियोजना 5.01.2008 में 21 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी।
मेघालय		
11. नांगपोह शहरी जल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2006-07 स्वीकृत लागतः 17.47 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 15.26 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.3.2010 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.स्वा.अ.वि.	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 78.88 प्रतिशत थी।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
12. जोवाई जल आपूर्ति योजना परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 15.41 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 12.30 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.3.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.स्वा.अ.वि.	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 56 माह का विलम्ब। • 21.85 लाख रू के लामबंदी अग्रिम का गैर समायोजन। • ठेकेदार से स्त्रोत पर एम.वी.ए.टी. अधिनियम (मेघालय वैल्यू एडेड टैक्स) के अंतर्गत 13.78 लाख रू की राशि के कर की गैर कटौती। • 1.52 लाख रू के टी.डी.एस. की गैर-कटौती। • ठेकेदार से 0.74 लाख रू के प्रतिभूति जमा की गैर-कटौती। अनुमानित प्रावधानों से अधिक भूमि कार्य के कार्यान्वयन के प्रति 38.16 लाख रू का अधिक व्यय। • धात्वीकरण तथा ब्लैक टोपिंग पर 19.09 लाख रू का अधिक व्यय जो अनुमानित लागत से 40 प्रतिशत उपर था।
सिक्किम		
13. सिक्किम में ग्रेटर गैंगटोक फेस-II हेतु जल आपूर्ति योजना का संवर्धन परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 24.34 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 22.64 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.3.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.स्वा.अ.वि., गैंगटोक	पूर्ण	• परियोजना 13.10.2009 में 42 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • परियोजना को पूरा करने में विलम्ब का कारण ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन में विलम्ब था।

अनुबंध 4
(पैरा 3.2.2.5 के सदर्भ में)
विद्युत परियोजनाएं

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
अरूणाचल प्रदेश		
1. हवाई से किबिथु तक 11 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 2.34 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 2.15 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः विद्युत विभाग,अरूणाचल प्रदेश सरकार	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 35 माह का विलम्ब।
2. अलोंग से पासीघाट तक 132 के.वी. एस./सी. ट्रांसमिशन लाइन परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 29.02 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः19.65 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः अगस्त 2008 कार्यान्वयन अभिकरणः विद्युत विभाग,अरूणाचल प्रदेश सरकार	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 57 प्रतिशत थी। • परियोजना को पूरा करने में 15 माह का विलम्ब। • फरवरी-मार्च 2007 में दो स्थानीय प्रतिष्ठानों से 165.75 लाख रू. के 59.2 कि.मी. एल्यूमिनियम कण्डक्टर-स्टील रीइन्फोर्स्ड (ए.सी.एस.आर.) कण्डक्टरों का प्रापण मई 2008 तक अप्रयुक्त पड़ा रहा। • राज्य योजना विभाग द्वारा डी.पी.आर. के संशोधन में विलम्ब (20 माह) का परिणाम 2.02 करोड़ रू. (27.00 करोड़ रू. से 29.02 करोड़ रू.) तक परियोजना की लागत में वृद्धि में हुआ।.
असम		
3. एस.टी एवं डी.- मोर्नोई में 2X2.5 एम.वी.ए. एस/एस के निर्माण सहित अगिया से 26 कि.मी. 33 के.वी. मोर्नोई लाईन तक निर्माण परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 1.63 करोड़ रू. भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः1.63 करोड़ रू. कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.07.2005 कार्यान्वयन अभिकरणःअसम राज्य विद्युत बोर्ड	पूर्ण	• परियोजना 29.02.2008 में 31 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • परियोजना सामग्री के समय से प्राप्त न होने, वन स्वीकृति की गैर-प्राप्ति तथा स्थानीय लोगों से रूकावट जैसाकि असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सूचित किया गया था, के कारण विलम्बित हुई थी। • प्रभाग में कार्य निष्पादन की मात्रा को अनुरक्षित नहीं किया गया था। अभिलेखों के अनुसार किया गया व्यय 71.00 लाख रू. था जबकि भारत सरकार को 163 लाख रू. का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था। कार्य निष्पादन के साक्ष्य के अभाव में 163 लाख रू. हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रस्तुति

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		अनियमित प्रतीत होती थी।
4. एस.टी. एवं डी- हेलखण्डी 33 के.वी. एस./एस. की 2X5 एम.वी.ए. से 2X2.5 एम.वी.ए. की वृद्धि परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 1.20 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः0.80 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2005 कार्यान्वयन अभिकरणःअसम राज्य विद्युत बोर्ड	पूर्ण	• परियोजना 26.08.2005 में 4 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी।
नागालैण्ड		
5. दीमापुर में 22.92 एम.डब्ल्यू. एच.एफ.ओ. आधारित थर्मल विद्युत संयंत्र परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 32.00 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 32.00 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः मई 2005 कार्यान्वयन अभिकरणः बी एच ई एल, भा स का लोक क्षेत्र उपक्रम	छोड़ दी गई	• विभाग ने मई 2005 में भवन के निर्माण तथा मशीनरी एवं उपकरणों के प्रापण के प्रति 32 करोड़ रू का व्यय करने के उपरान्त परियोजना को बन्द कर दिया। मैसर्स बी.ए.ई.एल. ने जुलाई 2006 में विभाग को परियोजना "जहाँ है जैसी है के आधार पर" सौंप दिया। इसका परिणाम परियोजना के उद्देश्यों के अप्राप्त रहने के अलावा 32 करोड़ रू के निष्फल व्यय में हुआ। इसके अतिरिक्त, मशीनरी तथा उपकरणों की स्थिति भी धूप एवं वर्षा में लम्बे समय तक अनावरण पड़े रहने के कारण बिगड़ रही थी।
मिजोरम		
6. थर्मल विद्युत संयंत्र बैराबी से विद्युत निष्क्रयण परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 4.56 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 4.56 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 30.9.2004 कार्यान्वयन अभिकरणः ऊर्जा एवं विद्युत विभाग	पूर्ण	• परियोजना दिसम्बर 2007 में 39 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • ठेकेदार द्वारा परियोजना के निष्पादन तथा निधियों के विपथन के कारण विलम्ब।
7. लंगलेई शहर- सब ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइनें परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 8.30 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 8.30 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 14.5.2004 कार्यान्वयन अभिकरणः ऊर्जा एवं विद्युत विभाग	पूर्ण	• परियोजना समय से मई 2004 में पूर्ण हो गई थी। • 0.77 लाख रू की सामग्री निर्माण स्थल पर अप्रयुक्त पडी रही थीं। विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया।
मणीपुर		
8. मारम (सेनापति जिला) स्थित 33/11, 2x5 एम.वी.ए. सब स्टेशन का निर्माण परियोजना वर्षः 2002-03	पूर्ण	• परियोजना 14.09.2006 में 17 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • लाइन सामग्री के अधिक क्रय (जनवरी 2006 से नवम्बर 2008तक) के कारण

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
स्वीकृत लागतः 2.81 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 2.81 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.3.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः विद्युत विभाग, मणीपुर सरकार		11.11 लाख रू की सामग्री बेकार रही। • विभिन्न उपकरणों के लिये निर्माता के मूल्य को निर्धारित किए बिना निविदा को अंतिम रूप देने के कारण 80.85 लाख रू का परिहार्य व्यय।
त्रिपुरा		
9. रोखिया (इकाई VIII) स्थित 1x21 एम.डब्ल्यू गैस थर्मल परियोजना परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 80.94 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 78.06 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः विद्युत विभाग, त्रिपुरा सरकार	पूर्ण	• परियोजना समय से नवम्बर 2007 में पूर्ण हो गई थी। • अग्रिम की तिथि (मई 2008)से 31 माह के बीत जाने के उपरांत भी 9.00 लाख रू के कार्य अग्रिम का गैर समायोजन।
मेघालय		
10. सब ट्रांसमिशन एवं संवितरण योजना - मेघालय में विद्युत संवितरण हेतु मुख्य योजना परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 23.19 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 22.84 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 30.06.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड	पूर्ण	• परियोजना 8.05.2007 में 22 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी।
11. सारूसजाई से बर्नीहाट तक 132 के.वी./सी का निमाण परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 9.78 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 9.78 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 30.6.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः असम राज्य विद्युत बोर्ड	पूर्ण	• परियोजना 8.05.2007 में 22 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी।
सिक्किम		
12. मेली में 132/66 के.वी. के सब स्टेशन सहित रंगित से मेली तक 132 के.वी. एस./सी. ट्रांसमिशन लाईन परियोजना वर्षः 2001-02 स्वीकृत लागतः 28.17 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 28.17 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.08.2004 कार्यान्वयन अभिकरणः विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार	पूर्ण	• परियोजना 30.06.2005 में 10 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • विलम्ब के कारण कार्य अनुमानों के संशोधन तथा निधियों का अभाव थे।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
13. गैगटोक शहर के ट्रांशमिशन एवं संवितरण नेटवर्क की रिमाडलिंग परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 22.44 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 21.09 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 28.2.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार	पूर्ण	• परियोजना 31.03.2009 में 37 माह के विलम्ब के उपरान्त पूर्ण की गई थी। • विलम्ब के कारण उच्च निविदा दरों जिन्होंने परियोजना लागत में वृद्धि की, के कारण निधियों का अभाव, व्यस्त गैंगटोक शहर में कार्य निष्पादन तथा वर्ष के अधिकतर भाग के दौरान उच्च वर्षा थे। • ठेकेदार द्वारा सहमत की गई दरों के बजाय मूल दरों को अनुमत करने के कारण ठेकेदार को 21.60 लाख रू का अनुचित लाभ। • कार्य क्षेत्र के निरंतर संशोधन के कारण 7.44 करोड रू तक कीमत का अधिक बढ़ जाना।

अनुबन्ध 5
(पैरा 3.2.2.6 के संदर्भ में)

स्वास्थ्य परियोजनाएं

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
असम		
1. बी.टी.सी. क्षेत्र में कोकराझार स्थित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 38.52 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 38.52 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.01.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः एन.बी.सी.सी.	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत थी लेकिन उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतिक्षित था। • परियोजना के पूर्ण होने में 22 माह का विलम्ब था। • परियोजना जनवरी 2006 तक मुक्त निमार्ण स्थल की गैर-उपलब्धता तथा लगभग 123 दिनों के लिए लगातार हुए बंध के कारण विलम्बित हुई थी।
2. असम चिकित्सा महाविद्यालय (होप) परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 20.00 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 18.40 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः राज्य स्तरीय अधिकारिता प्राप्त समिति तथा संस्थान परियोजना प्रबंधन समिति	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 99 प्रतिशत थी। • परियोजना के पूर्ण होने में 47 माह का विलम्ब था। • करारनामे में ब्याज की वसूली की धारा के गैर प्रावधान के कारण ठेकेदार को 9.00 लाख रू की राशि का अनुचित लाभ। • सर्जिकल परिसर, शवगृह भवन तथा लाँड्री भवन का 10.36 करोड़ रू की लागत से निम्न स्तर के निर्माण के परिणामस्वरूप अपेक्षित सुविधाओं की गैर-उपलब्धता का कारण बना।
नागालैंड		
3. राज्य रेफरल अस्पताल का सक्रियकरण परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 35.62 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 31.69 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः चिकित्सा सेवा निदेशालय	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 85.88 प्रतिशत थी। • परियोजना के पूर्ण होने में 56 माह का विलम्ब था। • पुरानी देयताओं को चुकाने के प्रति 300.00 लाख रू की राशि व्यय की गई थी।
4. जिला अस्पताल का उन्नयन परियोजना वर्षः 2003-04 स्वीकृत लागतः 14.40 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 12.35 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.12.2005 कार्यान्वयन अभिकरणः चिकित्सा सेवा निदेशालय, नागालैण्ड सरकार	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 85.91 प्रतिशत थी। • परियोजना के पूर्ण होने में 47 माह का विलम्ब था। • 10 जिला अस्पतालों मे से 2 का उन्नयन पूर्ण किया जाना बाकी था (अक्तूबर 2008 तक)।

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
मिजोरम		
5. बहिरंग रोगी विभाग ब्लाक, सिविल अस्पताल, ऐजोल का निर्माण परियोजना वर्षः 2002-03 स्वीकृत लागतः 3.71 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 3.45 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2006 कार्यान्वयन अभिकरणः लो.नि.वि., ऐजोल	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत थी। • परियोजना के पूर्ण होने में 44 माह का विलम्ब था। • ब.रो.वि. ब्लाक के 1629.99 वर्ग मीटर तक फ्लोर एरिया को कम करने में डी.पी.आर. से विपथन था। इसका परिणाम कुछ विभागों अर्थात रेडियो थेरेपी, साइकाइट्री, पेन क्लीनिक, सर्जरी, नेत्र आदि के गैर-सर्जन में हुआ, जिसके कारण बहिरंग सेवाओं तथा सहायक सुविधाओं से लाभभोगी वंचित रहे।
मणीपुर		
6. तमेंगलोंग जिले में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण एवं सुसज्जीकरण परियोजना वर्षः 2006-07 स्वीकृत लागतः 14.37 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 4.53 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 28.11.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, मणीपुर सरकार	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 7 प्रतिशत थी। • परियोजना के पूर्ण होने में 12 माह का विलम्ब था।
7. सेनापति जिले स्थित 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण एवं सुसज्जीकरण परियोजना वर्षः 2006-07 स्वीकृत लागतः 14.26 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 8.98 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 28.11.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, मणीपुर सरकार	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 30 प्रतिशत थी। • परियोजना के पूर्ण होने में 12 माह का विलम्ब था।
त्रिपुरा		
8. अगरतला स्थित राज्य स्तरीय पैरा चिकित्सीय संस्थान परियोजना वर्षः 2004-05 स्वीकृत लागतः 14.07 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 12.85 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः 31.03.2008 कार्यान्वयन अभिकरणः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 89.54 प्रतिशत थी। • परियोजना के पूर्ण होने में 20 माह का विलम्ब था। • विलम्ब, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा त्रिपुरा हाउसिंग बोर्ड को स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के उपरान्त 3/2006 में जाकर ही स्थल सौंपने के कारण हुआ था।
9. अगरतला स्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	अपूर्ण	• परियोजना की भौतिक प्रगति 93.85 प्रतिशत थी। • ठेकेदार को ब्याज रहित लामबंद अग्रिम

परियोजना विवरण	स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
परियोजना वर्षः 2005-06 स्वीकृत लागतः 104.51 करोड़ रू भा.स. द्वारा राज्य को कुल निर्गमः 94.06 करोड़ रू कार्य समापन की अंतिम तिथिः नवम्बर 2009 कार्यान्वयन अभिकरणः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, त्रिपुरा सरकार		के अप्राधिकृत भुगतान करने का परिणाम 158.00 लाख रू की ब्याज की हानि में हुआ।

अनुबंध 6
(पैरा 4.2 के संदर्भ में)

कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी करने में विलम्ब

राज्य	परियोजना का नाम	निधियां जारी करने की तिथि	भा.स. द्वारा राज्यों को जारी निधियाँ (करोड़ रू. में)	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण की तिथि	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण में विलम्ब
नागालैंड	पुराना बाजार (रा.रा. 39 बाईपास) से कोहिमा तक सडक का निर्माण -बोकाजन सड़क	20.9.2004	7.41	16.2.2005	119 दिन
		30.6.2005	8.10	19.9.2005	51 दिन
		26.9.2006	3.74	10.1.2007	76 दिन
	नागालैंड मे जिला अस्पताल का उन्नयन	26.4.2004	5.12	25.11.2005	549 दिन
		6.12.2006	7.23	29.3.2007	113 दिन
	मोन तथा चुई गाँवों हेतु जल आपूर्ति योजना	8.11.2003	1.50	23.3.2004	137 दिन
		3.11.2004	1.50	6.7.2006	246 दिन
		8.3.2006	0.66	25.7.2006	140 दिन
मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय का अवसंरचनात्मक विकास	20.2.2004	4.59	2.3.2005	347 दिन
		30.6.2005	9.16	14.3.2006	254 दिन
		16.10.2006	7.64	3.4.2007	167 दिन
	सिविल अस्पताल, ऐजोल में छः बिस्तरों वाला आई.सी.यू.	21.3.2003	0.61	4.11.2003	223 दिन
		31.12.2003	0.81	8.1.2005	737 दिन
	ऐजोल में सिविल अस्पताल में बा.रो.वि. भवन का निर्माण	21.3.2003	0.22	13.8.2003	142 दिन
		28.10.2004	1.70	23.2.2006	510 दिन
मेघालय	माफलैंग बलात सड़क पर पुलों एवं पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण (10 पुल)	7.11.2005	राज्य की रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं	13.5.2006	180 दिन
	दकियाह-सुतना-साईपंग-मोलसेई-हाफलांग सड़क (9-16 कि.मी.) की दोहरी लेन का उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण	7.11.2005	-वही-	24.7.2006	180 दिन
	रीम्बई-लप्माला सुचेन सड़क (1-17 कि.मी.) के पुलों एवं पुलियों का पुनर्निर्माण सहित सुधार, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	28.12.2005	-वही-	24.5.2006	150 दिन

राज्य	परियोजना का नाम	निधियां जारी करने की तिथि	भा.स. द्वारा राज्यों को जारी निधियाँ (करोड़ रू. में)	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण की तिथि	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण में विलम्ब
	थॉमस जोन्स सायनाड महाविद्यालय के भवन अवसंरचना की परिसर विकास परियोजना	31.1.2006	-वही-	14.7.2006	180 दिन
	सर्व शिक्षा अभियान	26.9.2006	-वही-	16.2.2007	180 दिन
		28.2.2007	-वही-	4.12.2007	270 दिन
	मेघालय में सब-ट्रांसमिशन तथा संवितरण योजना-मेघालय में विद्युत के संवितरण हेतु मुख्य योजना	3.12.2003	-वही-	31.3.2004	120 दिन
		30.6.2005	-वही-	31.1.2006	210 दिन
	मेघालय में सारूसजाई से बर्नीहाट तक 132 के.वी. डी.सी. ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	10.3.2004	-वही-	31.3.2005	365 दिन
		20.9.2004	-वही-	2.9.2005	365 दिन
त्रिपुरा	राज्य स्तरीय पैरा चिकित्सा महाविद्यालय	17.3.2005	-वही-	14.12.2005	242 दिन
		29.6.2007	-वही-	17.10.2007	80 दिन
	आर.सी.सी. पुल द्वारा कमालपुर-माराचेरा अम्बासा सड़क पर मौजूदा दो एस.पी.टी. पुलों का प्रतिस्थापन	14.6.2006	-वही-	15.10.2007	90 दिन
	धरमनगर में जल आपूर्ति	27.2.2003	-वही-	9/03 एवं 9/04 के बीच	150 to 510 दिन
		8.12.2004	-वही-	24.2.2005	45 दिन
	तेलियामुरा में जल आपूर्ति	17.3.2003	-वही-	2/04 एवं 9/04 के बीच	270 to 480 दिन
	बनिक्या चौमुहानी से सलबागन तक सुधार (9.12 कि.मी.)	5.6.2006	-वही-	8.1.2007	180 दिन
	2005-06 हेतु सर्व शिक्षा अभियान	28.3.2006	-वही-	11.7.2006	74 दिन
		28.2.2007	-वही-	4.5.2007	35 दिन
मणीपुर	मारम में सब-स्टेशन की स्थापना	7.3.2003	0.84	1.12.2003	239 दिन
		12.1.2004	1.00	1.9.2004(0.71)	413 दिन
				13.12.2004(0.04)	
				31.3.2005(0.25)	

राज्य	परियोजना का नाम	निधियां जारी करने की तिथि	भा.स. द्वारा राज्यों को जारी निधियाँ (करोड़ रू. में)	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण की तिथि	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण में विलम्ब
		10.2.2005	0.97	2.7.2005(0.57)	215 दिन
				14.7.2005(0.13)	
				13.10.2005(0.26)	
	माओ में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	28.10.2004	2.32	4.7.2005	219 दिन
		21.10.2005	1.35	27.10.2005	128 दिन
				17.10.2005	
				28.3.2006	
		12.9.2006	1.48	7.6.2006	534 दिन
				11.8.2006	
				27.12.2006	
				27.3.2006	
				30.3.2008	
	सिंजामेई में इम्फाल नदी पर पुल का निर्माण	29.10.2004	1.17	15.3.2005 (0.90)	284 दिन
				8.9.2005 (0.40)	
		18.10.2005	1.72	27.10.2005(0.03)	397 दिन
				21.1.2006(0.90)	
				13.10.2006(0.25)	
				19.12.2006(0.25)	
		5.7.2007	0.34	6.8.2007 (0.12)	115 दिन
				29.11.2007 (0.34)	
	मणीपुर विश्वविद्यालय, फेस-II का अवसंरचनात्मक विकास	29.10.2004	1.10	29.10.2005	335 दिन
		27.12.2005	1.69	2.9.2006(1.66)	219 दिन
		26.9.2007	0.37	11.6.2008(0.37)	228 दिन
	बिथाऊपट जल आपूर्ति योजना	24.3.2005	4.59	24.10.2005	339 दिन
				28.3.2006	
		21.6.2006	7.26	5.9.2006	197 दिन

राज्य	परियोजना का नाम	निधियां जारी करने की तिथि	भा.स. द्वारा राज्यों को जारी निधियाँ (करोड़ रू. में)	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण की तिथि	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण में विलम्ब
				31.8.2006	
				27.3.2007	
				3.2.2007	
		28.6.2007	11.69	29.11.2007 (4.43)	245 दिन
				30.3.2008 (5.77)	
	कियामगेई मंग मापा में इम्फाल नदी पर पुल का निर्माण	30.11.2006	1.48	20.11.2007	295 दिन
	तमेंगलोंग में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण तथा सुसज्जीकरण	30.11.2006	4.53	28.3.2008	424 दिन
	सेनापति में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण एवं सुसज्जीकरण	30.11.2006	4.49	28.3.2008	424 दिन
	खुमन लम्पाक खेल परिसर में राष्ट्रीय खेलकूद अकादमी की स्थापना	30.11.2006	5.81	23.6.2007	145 दिन
अरूणाचल प्रदेश	अलोंग से पासीघाट तक 132 के.वी. एस./सी ट्रांसमीशन लाइन का निर्माण	18.11.2005	2.70	29.3.2006	102 दिन
	निचले सबनसिरी जिले के अंतर्गत क्ले नदी का अपर्दन विरोधी कार्य	26.9.2002	1.00	14.7.2003	249 दिन
		15.7.2004	2.85	5.12.2004	112 दिन
		29.3.2006	3.08	28.6.2006	61 दिन
	जे.एन. महाविद्यालय पासीघाट में 200 सीटों वाले महिला छात्रावास, सभाभवन, लैब आदि का निर्माण	7.11.2005	1.76	14.9.2006	278 दिन
		17.12.2007	1.44	27.3.2008	70 दिन
असम (बी.टी.सी. परियोजनाओं के अलावा)	असम चिकित्सा महाविद्यालय (होप), डिब्रूगढ़	21.5.2003	0.22	20.5.2004	335 दिन
		17.3.2004	3.79	20.5.2004	34 दिन
		13.6.2005	9.00	4.10.2005 (3.00) 31.12.2005 (6.00)	83 दिन 171 दिन
		17.7.2006	3.70	18.12.2006	124 दिन
		19.7.2006	1.69	24.9.2007	402 दिन

राज्य	परियोजना का नाम	निधियां जारी करने की तिथि	भा.स. द्वारा राज्यों को जारी निधियाँ (करोड़ रू. में)	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण की तिथि	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण में विलम्ब
	अमरेंग सिंचाई परियोजना, दीफू	28.2.2001	6.00	29.8.2002 (4.00) 12.9.2003 (2.00)	517 दिन 866 दिन
		4.8.2003	3.00	12.9.2003 (1.00) 2.3.2005 (2.00)	09 दिन 546 दिन
		31.12.2004	3.00	2.3.2005(1.00) 6.3.2006 (2.00)	31 दिन 400 दिन
	नलबाड़ी पल्ला सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 20/1 का निर्माण	24.2.2004	0.74	4.6.2007 (0.11) 10.8.2007 (0.17) 25.3.2008 (0.41)	1166 दिन 1233 दिन 1461 दिन
	मालीगाँव में ए.टी. रोड़ पर अतिरिक्त दो लेन वाले रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण	27.12.2005	4.21	17.7.2006 (3.18) 19.10.2006 (1.03)	173 दिन 267 दिन
		20.12.2006	7.81	16.2.2007 (4.05) 23.3.2007 (0.23) 4.6.2004 (1.50) 17.8.2007 (1.76) 28.3.2008 (1.25)	29 दिन 64 दिन 137 दिन 231 दिन 435 दिन
	बेलटोला चारियाली से सारूसज्जई (विष्णु राभा पथ), गुवाहाटी तक सड़क का निर्माण	27.12.2005	2.45	20.7.2006	176 दिन
		29.12.2006	4.48	22.3.2007	54 दिन
	हरिपुर संसारघाट सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 2/2 का निर्माण	20.2.2004	1.83	22.7.2005 (0.10) 30.11.2005 (1.16) 12.2.2007 (0.06)	488 दिन 619 दिन 1058 दिन
	मोरन नहरकटिया सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 35/2 तथा 53/2 का निर्माण	29.7.2004	1.04	30.11.2005 25.10.2006	459 दिन 788 दिन

राज्य	परियोजना का नाम	निधियां जारी करने की तिथि	भा.स. द्वारा राज्यों को जारी निधियाँ (करोड़ रू. में)	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण की तिथि	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण में विलम्ब
	धोदर अली पर आर.सी.सी. पुल संख्या 156/2, 159/1, 163/2, 165/3, 172/2, 174/2, 177/1 तथा 182/2 का निर्माण	20.9.2004	3.21	30.11.2005 (1.23) 18.12.2006 (0.33) 6.3.2007 (1.19) 12.7.2007 (0.46) 28.3.2008 (0.22)	407 दिन 790 दिन 868 दिन 996 दिन 1255 दिन
	सिपोन सफरी सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 6/1, 7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 11/1 तथा 11/2 का निर्माण	27.12.2005	1.30	31.3.2008 को जारी नहीं की गई	796 दिन
	सिल्वर हेलखंडी सड़क पर पहुंच मार्ग आदि सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 38/1, 43/1, 43/3 तथा 44/2 का निर्माण	16.5.2006	1.11	31.3.2008 को जारी नहीं की गई	656 दिन
	ढुबरी शहर जल आपूर्ति योजना	14.9.2006	3.23	24.3.2008	534 दिन
	ग्रेटर सिल्वर शहर जल आपूर्ति योजना	30.1.2003	3.59	15.7.2003	137 दिन
		21.5.2004	5.81	18.3.2005(1.00) 16.12.2005(3.00) 21.3.2006(1.81)	271 दिन 543 दिन 638 दिन
		6.8.2007	2.19	27.2.2008	175 दिन
	गुवाहाटी स्थित असम वस्त्र संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास का संवर्धन	14.9.2006	2.34	31.3.2008 को जारी नहीं की गई	535 दिन
	सर्व शिक्षा अभियान 2005-06, 2006-07	28.3.2006	27.70	27.2.2007	306 दिन
		29.6.2006	72.84	27.2.2007	214 दिन
असम बी.टी.सी परियोजना	चम्पामती सिंचाई परियोजना	31.10.2005	19.73	16.2.2007	443 दिन (बी.टी.सी. को जारी करने में विलम्ब)
	धमधमा तुपाली सुबन कता (डी.टी.एस.) सड़क का सुधार	31.12.2004	2.95	17.11.2007	1020 दिन (बी.टी.सी. को जारी करने में विलम्ब)
		14.3.2007	2.65	17.11.2007	218 दिन (बी.टी.सी. को जारी करने में विलम्ब)

राज्य	परियोजना का नाम	निधियां जारी करने की तिथि	भा.स. द्वारा राज्यों को जारी निधियाँ (करोड़ रू में)	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण की तिथि	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग को प्रेषण में विलम्ब
	भौरागुड़ी कचुगाँव सड़क का सुधार	31.12.2004	11.96	17.11.2007	1020 दिन (बी.टी.सी. को जारी करने में विलम्ब)
		26.3.2007	10.60	17.11.2007	206 दिन (बी.टी.सी. को जारी करने में विलम्ब)
	गोसाईंगाँव सरियाली सड़क की एम.बी.टी.	7.2.2005	10.41	7.5.2007	790 दिन (बी.टी.सी. को जारी करने में विलम्ब)
	काशी कोत्रा बामुंगेन बेंगटोल सड़क का निर्माण	27.12.2005	5.26	7.5.2007	527 दिन (बी.टी.सी. को जारी करने में विलम्ब)

अनुबंध 7
(पैरा 4.2 के संदर्भ में)

राज्य सरकार द्वारा निधियों की उपयोगिता मे विलम्ब (नवम्बर 2008 तक)

(*लाख रु.में*)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृत लागत	नवम्बर 2008 तक जारी	किश्त की राशि	किश्त की सं.एवं तिथि	उ. प्र. प्राप्त करने की तिथि	निधियों की उपयोगिता मे विलम्ब(उपयोगिता अवधि से अधिक विलम्ब)
1.	अरूणाचल में अलोंग से पासीघाट तक 132 के.वी. एस./सी. ट्रासंमिशन लाईन	अरूणाचल प्रदेश	2901.96	1080.00	270	पहली 11/2005	3/2007	8 माह
					810.00	दूसरी 12/2007	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	2 माह
2.	निचले सबनसिरी जिले के अंतर्गत क्ले नदी का अपर्दन विरोधी कार्य	अरूणाचल प्रदेश	731.00	692.82	100.00	पहली 9/2002	2/2004	12 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
3	नाहरलगुन निरजुली जलापूर्ति योजना	अरूणाचल प्रदेश	1173.00	1104.04	586.00	पहली 2/2003	10/2004	15 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
4	साइल में सिले,रानी,सिक्मबामिन,सिका टोडे, ओयान के गांवो के लिए पेयजल आपूर्ति योजना	अरूणाचल प्रदेश	1742.42	548.66	पहली 548.66	22.12.2006	1.4.2008 89.71 लाख रू का अप्रयुक्त' शेष दर्शाता है	6 माह
5	जे एन महाविद्यालय पासीधाट हेतु 200 सीटों वाले महिला छात्रावास,लैब, सुरक्षा दीवार,,आदि का निर्माण	अरूणाचल प्रदेश	515.11	319.84	पहली 175.84	7.11.2005	5/2007	10 माह

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृत लागत	नवम्बर 2008 तक जारी	किश्त की राशि	किश्त की सं.एवं तिथि	उ. प्र. प्राप्त करने की तिथि	निधियों की उपयोगिता मे विलम्ब(उपयोगिता अवधि से अधिक विलम्ब)
6	मनचल प्रशासनिक सर्कल(स्पेन156.55 मी) को जोड़ने के लिए लोहित नदी के उपर मोटर चलित सस्पेंशन पुल का निर्माण	अरूणाचल प्रदेश	1309.79	412.59	पहली 412.59	28.12.2005	3/2008 323.61 लाख रू का उ.प्र.	18 माह
7	मिरबा, गोमकेलिंग तथा त्वांग में सरजोंग से लोह नल्लाह से होकर मुक्टो सर्कल मुख्यालय तक लिंक रोड का निर्माण	अरूणाचल प्रदेश	1802.97	567.91	पहली 567.91	28.12.2005	3/2007	6 माह
8	नलबारी जिले में आर सी सी पुल सं. 20/1 - नलबारी पाल्ला सड़क का निर्माण	असम	144.36	113.74	74.36	पहली 2/2004	8/2008	49 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
9	नलबाड़ी जिला हरिपुर संसारघाट सड़क - आर.सी.सी. पुल संख्या 2/2 का निर्माण	असम	226.37	182.99	126.37	पहली 2/2004	8/2006	25 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
					56.62	दूसरी 9/2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	18 माह
10	असम वस्त्र संस्थान का अवसंरचनात्मक विकास	असम	741.49	233.57	233.57	पहली 9/2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	18 माह
11	धुबरी शहर जल आपूर्ति योजना	असम	1026.53	323.20	323.20	पहली 9/2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	18 माह
12	ग्रेटर सिल्चर शहर जल आपूर्ति योजना	असम	1230.00	1159.00	581.00	दूसरी 21.5.2004	12/2007	37 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
					218.82	तीसरी 6.8.2007	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	7 माह
13	सिल्चर-हेलाखंडी जिले में सिल्चर हेलाखंडी सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 38/1, 43/1, 43/3 एवं 44/2 का निर्माण	असम	353.15	111.24	111.24	पहली 6/2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	21 माह

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृत लागत	नवम्बर 2008 तक जारी	किश्त की राशि	किश्त की सं.एवं तिथि	उ. प्र. प्राप्त करने की तिथि	निधियों की उपयोगिता मे विलम्ब(उपयोगिता अवधि से अधिक विलम्ब)
14	पहुंच मार्ग के साथ डिब्रूगढ़ जिले में मोरन नाहरीकातिया सड़क पर आर सी सी पुल सं. 35/2, 53/2 का निर्माण	असम	114.16	104.20	40.28	पहली 7/2004	1/2006	10 माह
					63.92	दूसरी 7/2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	20 माह
15	सिवासागर जिले में सिपोन सफ़री सड़क पर पुल सं. 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1 तथा 11/2 का निर्माण	असम	411.17	129.52	129.52	पहली 12/2005	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	27 माह
16	चम्पामति सिंचाई परियोजना(बी.टी.सी. परियोजना)	असम	4385.00	3946.50	1973.25	पहली 10/2005	10/2007	16 माह
					1973.25	दूसरी 12/2007	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	3 माह
17	मौजूदा सख्त परत के सुधार सहित गौसाईगांव से साराइबिल सडक की मैटेलिंग तथा बैक-टोपिंग तथा एस टी पी पुल से आर.सी.सी. पुलों में परिवर्तन	असम	1939.00	1849.00	1041.19	पहली 2/2005	8/2007	22 माह
18	कोकराझार में भोवरांगुरी कचुगांव सड़क का सुधार	असम	2373.45	2255.66	1195.50	पहली 12/2004	3/2008	31 माह
19	काशीकोत्रा बामुनगाँव बेंगतोल सड़क	असम	1169.00	1052.10	526.45	पहली 12/2005	3/2008	19 माह
20	सब-ट्रांसमिशन एवं संवितरण योजना- मेघालय में विद्युत के संवितरण की मुख्य योजना	मेघालय	2319.00	2283.42	1538.80	दूसरी 12/2003	5/2005	12 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
21	रीम्बई अय्यपमाला-सुचेन सड़क के पुलों एवं पुलियों का सुधार, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	मेघालय	1877.49	1640.53	591.41	पहली 12/2005	12/2006	4 माह
22	नॉगपोह (शहरी) जल आपूर्ति योजना	मेघालय	1746.72	550.21	550.21	पहली 3/2007	6/2008	7 माह
23	माफलैंग-बलात सड़क पर पुलों एवं पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	मेघालय	900.53	283.50	283.50	पहली 11/2005	6/2007	11 माह

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृत लागत	नवम्बर 2008 तक जारी	किश्त की राशि	किश्त की सं.एवं तिथि	उ. प्र. प्राप्त करने की तिथि	निधियों की उपयोगिता मे विलम्ब(उपयोगिता अवधि से अधिक विलम्ब)
24	जोवाई जल आपूर्ति का नवीकरण	मेघालय	1541.00	1229.60	400.00	दूसरी 9/2003	9/2006	31 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
25	आर.सी.सी. पुल द्वारा कमालपुर-मरचेरा-अम्बासा सड़क पर दो मौजूदा अर्द्ध स्थायी लकड़ी के पुलों (एस.पी.टी.) का प्रतिस्थापन-	त्रिपुरा	428.00	134.75	134.75	पहली 6/2006	3/2008	13 माह
26	राज्य स्तरीय पैरा मेडिकल संस्थान अगरतला	त्रिपुरा	1407.24	1284.75	492.00	पहली 3/2005	6/2007	19 माह
27	तेलियामुरा हेतु पेयजल आपूर्ति योजना	त्रिपुरा	621.00	571.70	310.00	पहली 3/2003	2/2005	18 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
					242.18	दूसरी 3/2005	4/2007	17 माह
28	मिजोरम विश्वविद्यालय का अवसंरचनात्मक विकास	मिजोरम	2500.00	2313.3	764.10	चौथी 10/2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	17 माह
29	सिविल अस्पताल ऐजोल स्थित बहिरंग रोगी विभाग भवन	मिजोरम	371	245.32	22.46	पहली 21.3.2003	3/2004	6 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
					153.32	दूसरी 30.6.2004	7/2005	7 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
					169.54	अंतिम 28.10.2005	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	28 माह
30	वर्टेक काय से होकर लंगटेन-मामटे रोड़ का निर्माण	मिजोरम	2664.53	2477	744	चौथी 17.3.2005	12/2006	12 माह

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृत लागत	नवम्बर 2008 तक जारी	किश्त की राशि	किश्त की सं.एवं तिथि	उ. प्र. प्राप्त करने की तिथि	निधियों की उपयोगिता मे विलम्ब(उपयोगिता अवधि से अधिक विलम्ब)
					533.45	अंतिम 6.3.2007	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	12 माह
31	तमेंगलोंग जिला में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण एवं सुसज्जीकरण	मणीपुर	1436.72	452.57	452.57	पहली 30.11.2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	15 माह
32	सेनापति जिला में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण एवं सुसज्जीकरण	मणीपुर	1426.10	449.22	449.22	पहली 30.11.2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	15 माह
33	मणीपुर विश्वविद्यालय फेस-II का अवसंरचनात्मक विकास	मणीपुर	388.96	316.51	169.10	दूसरी 27.12.2005	2/2007	4 माह
					37.41	तीसरी (अंतिम) 9/2007	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	6 माह
34	खुमन लम्पाक खेल परिसर, इम्फाल स्थित राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना	मणीपुर	1843.17	580.60	580.60	पहली 30.11.2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	15 माह
35	कुयामगेई मैंग मापा में इम्फाल नदी पर पुल का निर्माण	मणीपुर	471.22	148	148	पहली 30.11.2006	12/2007	4 माह
36	माराम (सेनापति जिला) में 2X5 म.वी.ए. 33 के.वी. सब-स्टेशन की स्थापना	मणीपुर	281.33	281.33	100	दूसरी 12.1.2004	3/2005	9 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
37	कोहिमा स्थित राज्य अभिलेखागार	नागालैण्ड	430.95	135.75	135.75	पहली 30.8.2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	18 माह
38	दीमापुर-खोपनाला जालुकी पेरेन सड़क का उन्नयन	नागालैण्ड	3673.29	3305.95	1052.57	चौथी (अंतिम) 13.9.2007	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	6 माह
39	नागालैण्ड के मोन तथा चुई गाँवों हेतु जलापूर्ति योजना	नागालैण्ड	392	366.22	66.22	तीसरी (अंतिम) 8.3.2006	मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु उ.प्र. 7.50 लाख रू. का	4 माह

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृत लागत	नवम्बर 2008 तक जारी	किश्त की राशि	किश्त की सं.एवं तिथि	उ. प्र. प्राप्त करने की तिथि	निधियों की उपयोगिता मे विलम्ब(उपयोगिता अवधि से अधिक विलम्ब)
							अव्ययित शेष दर्शाता है	
40	पुंगलवा में सैनिक स्कूल	नागालैण्ड	मुख्य 1407.42	1258.95	281.48	पहली 19.3.2004	9/2005	12 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
					312.73	तीसरी 7.9.2006	उ.प्र. प्राप्त नहीं हुआ है	18 माह
			गलत सीमा 58.58	51.87	51.87	पहली तथा अंतिम 27.9.2007	सितम्बर 2008 तक प्राप्त नहीं हुआ	5 माह
41	जिला अस्पताल का उन्नयन	नागालैण्ड	1440	1234.69	511.90	पहली 26.2.2004	9/2006	25 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
42	राज्य रेफरल अस्पताल का सक्रियकरण	नागालैण्ड	3561.56	3170.00	1724.85	पहली 2/2004	2/2007	31 माह (निर्धारित छः माह के प्रति)
43	सिंग्ताम में तीस्ता के ऊपर गोशकन दारा पुल का निर्माण	सिक्किम	1337.57	839.70	421.20	पहली 21.2.2006	3/2008	16 माह

अनुबंध-8
(पैरा 6.6 के संदर्भ में)

अग्राह्य व्यय

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	विपथन/अग्राह्य व्यय	शामिल राशि
1.	अरूणाचल प्रदेश	अलोंग से पासीघाट तक 132 के.वी. एस.सी. ट्रासंमिशन लाईन	लिरोम्बा से ताय तक 33 के.वी. लाईन के नवीकरण हेतु। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	8.00
			वाहन तथा कम्प्यूटर उपसाधनों का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	11.00
2	अरूणाचल प्रदेश	निचले सबनसिरी जिले के अंतर्गत क्ले नदी का अपर्दन विरोधी कार्य	लघु सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्य। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	10.00
			वाहन तथा स्लैब तैयार करने वाली मशीन का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	9.00
3	अरूणाचल प्रदेश	साइल में सिले, रानी, सिक्मबामिन, सिका टोडे, ओयान के गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत जल आपूर्ति योजना। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	50.00
			कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	4.00
4	अरूणाचल प्रदेश	लोह नल्लाह से मुक्टो सर्कल तक लिंक रोड का निर्माण	राज्य नियोजन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	15.00
			कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	10.00
5	अरूणाचल प्रदेश	मनचल प्रशासनिक सर्कल को जोड़ने के लिए लोहित नदी के उपर मोटर चलित सस्पेंशन पुल का निर्माण	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	14.00
6	अरूणाचल प्रदेश	जे.एन. महाविद्यालय पासीधाट हेतु 200 सीटों वाले महिला छात्रावास, लैब, सुरक्षा दीवार,, आदि का निर्माण	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	43.00
7	अरूणाचल प्रदेश	जंग से सुलंगथी तक पोर्टर ट्रैक का सुधार एवं पुर्नसंयोजन	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	1.00
8	अरूणाचल प्रदेश	रा.रा.52 (ए) निर्जुली से सगली तक सड़क। एस.एचः दोईमुख शहर सड़क का सुधार	डोईमुख शहर सड़क की पुनःस्थापना। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	135.00
9	अरूणाचल प्रदेश	सांगली से सेकिंग (50 कि.मी.) तक सड़क का सुधार/निर्माण	विभिन्न सड़कों का सुधार तथा प्रभागीय भवन का अवसंरचनात्मक विकास एवं परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	459.00
			वाहनों तथा खुदाई करने वाले यंत्रों, कम्प्यूटर स्पेयर पार्टस एवं अन्य विविध मदों का क्रय । (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	70.00

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	विपथन/अग्राह्य व्यय	शामिल राशि
10	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिमी कामेंग जिले में पलीजी से त्रिनीजीनो (17 कि.मी.) तक रोपड़ का सुधार	दिरांग-तवेंग सड़क का सुधार तथा मुख्य अभियंता कार्यालय। (डब्ल्यू.जेड.) कक्ष की मरम्मत नवीकरण (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	62.00
			कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	32.00
11	अरूणाचल प्रदेश	त्वांग जिले में विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय किटपी	त्वांग मोनेस्ट्री में पुराने भवन का निर्माण तथा संग्रहालय पुस्तकालय का निर्माण। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	9.00
			कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	2.00
12	अरूणाचल प्रदेश	खासो (दिरांग) स्थित बालिकाओं हेतु रामकृष्ण सारदा मिशन का आरम्भ	रोड्स स्टेडियम से जिमिथान का निर्माण तथा दिरांग से त्वांग तक सड़क सतह का पुनर्नवीकरण। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	10.00
			ईंधन का क्रय तथा वाहनों की मरम्मत। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	3.00
13	अरूणाचल प्रदेश	नोआ देहिंग नदी पर नामसई तथा लाखेंग सर्कल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपर्दन विरूद्ध कार्य	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	35.00
14	अरूणाचल प्रदेश	लुमिया शहरसिप स्थित जल आपूर्ति	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	4.00
15	अरूणाचल प्रदेश	जनरल अस्पताल नाहरलगुन स्थित सहायक सुविधाओं की अवसंरचना तथा सुदृढ़ीकरण	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	6.00
16	अरूणाचल प्रदेश	त्वांग मानेस्टरी से एनी गोंफा तक रोप वे का निर्माण	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	1.00
17	असम	ग्रेटर सिल्चर जल आपूर्ति योजना	भूमि अधिग्रहण। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	27.39
18	असम	असम मेडिकल कालेज (होप)	कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	3.00
			डी.पी.आर. में प्रावधान नहीं किए गए चिकित्सीय उपकरणों की अधिप्राप्ति। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	38.58
19	मणीपुर	विथाउ पट जल आपूर्ति योजना	इरीलबंग जल शोधन संयंत्र। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	40.00
20	मणीपुर	पाँच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु चिकित्सा उपकरणों का प्रापण	जवाहर लाल नेहरु अस्पताल, पोरोम्पत स्थित ट्रोमा केन्द्र। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	63.71
21	मिजोरम	ब.रो.वि. ब्लाक सिविल अस्पताल, ऐजोल	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	2.91
22	मिजोरम	सब ट्रांसमिशन तथा वितरण लाइनें लंगलेई शहर का निर्माण	साइया में तुईपेंग लघु हाईडल परियोजना की बकाया देयताओं का भुगतान। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	20.00

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	विपथन/अग्राह्य व्यय	शामिल राशि
			खाइवा में 132 के.वी. सब-स्टेशन का संवर्धन। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	133.00
			डी.पी.आर. के अंतर्गत शामिल नहीं की गई सामग्री की अधिप्राप्ति। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	16.75
			कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	20.09
23	मिजोरम	थर्मल विद्युत परियोजना से विद्युत निकासी-बैराबी	थर्मल हाइड्रो परियोजना हेतु भूमि क्षतिपूर्ति।(दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	32.00
24	मिजोरम	ग्रेटर मामीट जल आपूर्ति योजना	परियोजना प्रस्ताव में मदों का प्रावधान नहीं किया गया था। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	37.64
25	मेघालय	राम्बई इम्पाला सुचेन सड़क 1-17 कि.मी. के पुलों एवं पुलियों के पुनर्निर्माण सहित सुधार, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण	भूमि स्वीकृति, हेवी ड्रेजिंग। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	3.65
26	मेघालय	थॉमस जोन्स सायनॉड महाविद्यालय	संरचनात्मक कार्य भूतल के प्रति चौथे तल तक। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	91.89
27	मेघालय	दखिया सतंगा साईपोंग मोलसी हाफलोंग सड़क 9-16 कि.मी. की दोहरी लेन का उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण	भूमि पर्ची की स्वीकृति, प्रावधान करने, लेईंग, फैलाने, कम्पैक्टिंग स्टोन एग्रीगेट्स। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	10.80
28	मेघालय	दखिया सुतंगा साईपोंग मोलसी हाफलोंग सड़क 29-44 कि.मी. का धात्वीकरण एवं ब्लैक टोपिंग सहित सुधार, चौड़ीकरण	भूमि पर्ची की स्वीकृति तथा सड़क के किनारों पर नालियां काटने, मोड़ों को चौड़ा करके सुधार। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	8.93
29	मेघालय	माफलोंग बलात सड़क पर 10 पुलों तथा पहुँच मार्गों का पुनर्निर्माण	फोटोकापी मशीन का क्रय, सुधार सहित चौड़ीकरण, पुनर्स्थापना कार्य(प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	8.09
			कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	2.53
30	मेघालय	जोवाई जल आपूर्ति योजना का नवीकरण	भूमि पर्ची की स्वीकृति/पुनःस्वीकृति तथा सड़क के किनारों पर जल निकासी/कैच वाटर ड्रेन्स का पुर्ननिर्माण। (प्रस्ताव में उपकरणों का प्रावधान नहीं था)	9.52
31	नागालैंड	दीमापुर-खोपनाला-जलुकी-पेरेन सड़क का उन्नयन	अन्य कार्यों को जारी किए गए ह्यूम पाईप सं.गै.व्य.के.पू. से संबंधित नहीं थे। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	77.06
			10 वाहनों का क्रय। (प्रस्ताव में उपकरणों का प्रावधान नहीं था)	54.90
			कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	36.00
32	नागालैंड	सं.गै.व्य.के.पु. के अंतर्गत पुरानी फेक वाया खुजा से सतखा तक सड़क का निर्माण एवं उन्नयन	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	45.00

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	विपथन/अग्राह्य व्यय	शामिल राशि
33	नागालैंड	मोन एवं चुई गावों हेतु जल आपूर्ति योजना	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	7.00
34	नागालैंड	दीमापुर-गणेशनगर सड़क	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	214.00
35	नागालैंड	दीमापुर नीउलैण्ड रोड़	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	
36	नागालैंड	पुराना बजार (रा.रा. 39 बाईपास) से कोहिमा बोकाजन सड़क का निर्माण	अन्य सड़क परियोजना को विपथन । (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	256.00
37	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	ई.ई., पी.एच.ई., भंडार प्रभाग, दीमापुर तथा ई.ई. बिजली ट्रांसमिशन प्रभाग, दीमापुर द्वारा सं.गै.व्य.के.पू. निधियों से भूमि की क्षतिपूर्ति की गई। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	48.94
38	नागालैंड	दीमापुर स्थित जल आपूर्ति का संवर्धन	सं.गै.व्य.के.पू. परियोजना से असंबंधित कार्य हेतु ठेकेदार को ब्याज का भुगतान। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	66.98
39	सिक्किम	गैंगटोक मल निकासी योजना फेस-II का विस्तार	1वाहन का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	5.59
40	सिक्किम	गैंगटोक जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	1वाहन का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	5.57
41	सिक्किम	ग्रेटर रैंगपू की जल आपूर्ति का संवर्धन	1वाहन का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	5.95
42	सिक्किम	बहुस्तरीय पंपिंग परियोजना	5वाहनों का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	21.72
43	सिक्किम	एल.एल.एच.पी. से सेराथान्ग तक 132 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन	6वाहनों का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	31.81
44	सिक्किम	निम्न लग्यप हायडेल परियोजना स्थित 2X6 मे.वा. हायडेल सृजन स्टेशन की मुख्य ओवरहालिंग	3वाहनों का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	16.27
45	सिक्किम	सगबारी-गेजींग-पेलिंग से 132 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन	7वाहनों का क्रय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	37.45
46	सिक्किम	नामची रोप वे, दक्षिणी सिक्किम का निर्माण	भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान।	42.68
47	सिक्किम	देवराली, पूर्वी सिक्किम स्थित रोप वे का निर्माण	भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान । (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	0.19
48	सिक्किम	बुलबुले से सेराथांग नाथूला तक 132 के.वी. ट्रांशमिशन लाईन	भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान । (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	9.91
49	सिक्किम	सगबारी-गेजींग-पेलिंग से 132 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन	भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान । (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	15.51
50	सिक्किम	रंगीत नदी से बहुस्तरीय जल पंपिंग	भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान । (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	170.00
51	सिक्किम	गैंगटोक मल निकासी योजना फेस-II का विस्तार	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी।	29.58

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	विपथन/अग्राह्य व्यय	शामिल राशि
		गैंगटोक जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	(दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	
		तिस्ता नदी पर गोक्षण दारा पुल का निर्माण		
52	त्रिपुरा	कमालपुर-मरचेरा-अम्बासा सड़क पर आर.सी.सी. संरचना द्वारा दो मौजूदा एस.पी.टी. पुलों का प्रतिस्थापन	लेम्बू-मायाचेरी गाँव सड़क का आर.सी.सी. बाक्स सेल द्वारा एस.टी.पी. पुल संख्या 1 का प्रतिस्थापन। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	12.71
			अन्य कार्यों हेतु बिटुमिन तथा टोर स्टील के क्रय हेतु सी.एस.एस. का दावा। (कार्य परियोजना से संबंधित नहीं)	17.21
53	त्रिपुरा	तेलियामुरा स्थित जल आपूर्ति योजना	भूमि अधिग्रहण। (दिशानिर्देशों के उल्लंघन में)	30.00
			अतिरिक्त मदों पर व्यय। (प्रस्ताव में घटकों का प्रावधान नहीं था)	33.76
		योग		2865.27

शब्दावली

उ.पू.क्षे.वि.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का विकास
द्रु.सि.ला.का.	द्रुत सिंचाई लाभ कार्यक्रम
ब.अ.	बजट अनुमान
भा.है.लि.	भारत हैवीइलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
आ.न्यू.से.	आधारभूत न्यूनतम सेवाएं
सी.स.सं.	सीमा सड़क संगठन
भा.नि.यो.	भारत निर्माण योजना
बो.क्षे.प.	बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद
स.प्र.	समापन प्रमाणपत्र
के.लो.नि.वि.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
के.यो.	केन्द्रीय योजना
के.प्रा.यो.	केन्द्र प्रायोजित योजना
आ.सं.अ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
जि.अ.सू.	जिला अवसंरचना सूचकांक
वि.यो.आ.सु.उ.पू.प.का.वि.	विकास योजना, आर्थिक सुधार एवं उत्तर-पूर्वी परिषद कार्य विभाग
वि.प.रि.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ध.तु.सु.	धमधमा तुपाली सुबनखत्ता
ऊ वि.वि.	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग
उ.से.कु.	उच्च सेवा कुण्ड
स.ब.स.	सकल बजटीय सहायता
भा.स.	भारत सरकार
भा.ई.ते.	भारी ईंधन तेल
ह्यू.पा.	ह्यूम पाईप
मा.सं.वि.	मानव संसाधन विकास
ग.दे.ई.	गहन देखभाल ईकाई
भा.प्र.सं.	भारतीय प्रबंधन संस्थान
च.अ.	चल अग्रिम
गृ.मं.	गृह मंत्रालय
म.वि.	मणीपुर विश्वविद्यालय
उ.पू.	उत्तर-पूर्वी
उ.पू.प.	उत्तर-पूर्वी परिषद
उ.पू.क्षे.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
रा.रा.	राष्ट्रीय राजमार्ग
सं.गै.व्य.के.पू.	संसाधनों का गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल
ब.रो.वि.	बहिरंग रोगी विभाग
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति

उ.पू.क्षे.वि.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का विकास
यो.आ.	योजना आयोग
लो.स्वा.अ.वि.	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
लो.नि.वि.	लोक निर्माण विभाग
ति.प्र.रि.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट
रि.सी.कों.	रिइनफोर्सड सीमेंट कोंक्रीट
सं.अ.	संशोधित अनुमान
ग्रा.प्र.वि.वि.	ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग
अ.टि.	अर्धस्थाई टिम्बर
स.शि.अ.	सर्व शिक्षा अभियान
गौ.से.कु.	गौण सेवाएं कुन्ड
उ.प्र.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
क्रो.लि.पो.	क्रोस लिंक्ड पोलीथीन

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, 2010-11

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी. एनआईसी. जीओवी. इन

मूल्य देश में : 65.00 रूपये
विदेश में : 5 अमरीकी डालर
(डाक खर्च/वायुमेल सहित)